डाक पंजीयन संख्या : जयपुर सिटी/417/2017-18 शिविरा पत्रिका (मासिक) ● अप्रैल, 2017 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 18359/66
प्रकाशन तिथि : 2 अप्रैल, 2017 पृष्ठ 52 ● प्रेषण : माह की 5–6 तारीख

Education News Group

जलियाँवाला बाग

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है जलियाँवाला बाग। जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियाँ चला के निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह जघन्य हत्याकाण्ड ही था।

इस घटना की याद में यह स्मारक बना हुआ है।

पत्रिका अवितरित होने की स्थिति में इस पते पर भेजें : वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर–334011

मासिक शिविरा पत्रिका

वर्ष : 57 अंक : 10 अप्रैल–2017 पृष्ठ : 52 मूल्य : ₹15

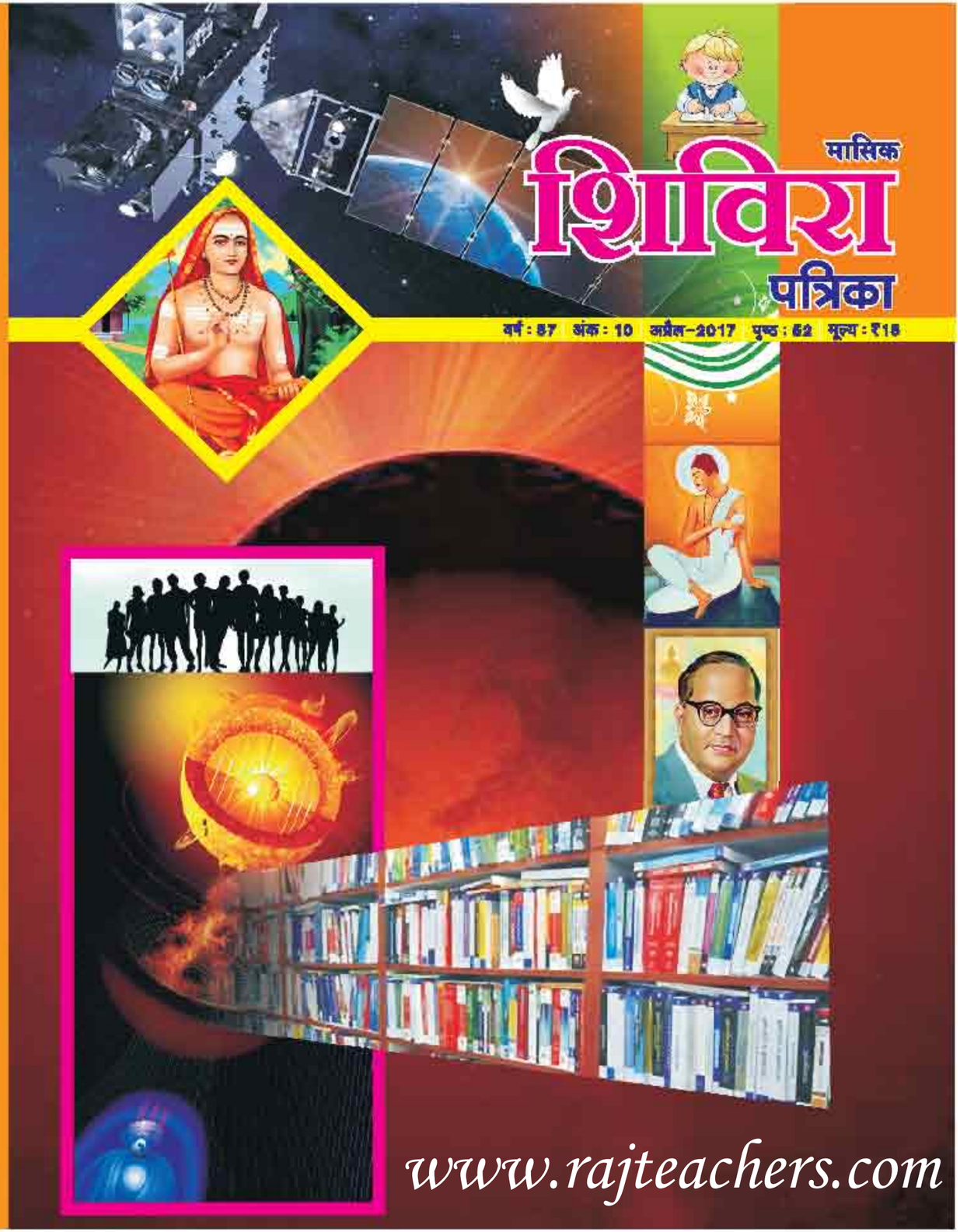

www.rajteachers.com

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 57 | अंक : 10 | चैत्र–वैशाख २०७४ | अप्रैल, 2017

प्रधान सम्पादक
बी.एल. स्वर्णकार

वरिष्ठ सम्पादक
प्रकाश चन्द्र जाटोलिया

सम्पादक
मीमाराम जीनगर

सह सम्पादक
मुकेश व्यास

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 15

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टलऑर्डर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर–334 001
दूरभाष : 0151-2528875
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

दिशाबल्लप : मेरा पृष्ठ
- नवाचारी प्रयास 5

आलेख
- मातामूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः 6
  महावीर प्रसाद गर्ग
- प्रत्येक दिवस हो पृथ्वी दिवस 9
  दीपक जोशी
- जल संसाधन रिक्तता का कारण है वन–विनाश 11
  रमेश कुमार शर्मा
- सूर की भक्ति–पद्धति 13
  रामकिशोर
- कल्याण और विकास का हेतु 'संयम' 14
  देवेन्द्र पण्ड्या
- अद्वैतवाद के प्रवर्तक–आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य 16
  सतीशचन्द्र श्रीमाली
- बीमा की संकल्पना 37
- अम्बेडकर का सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन दर्शन 39
  बजरंग प्रसाद मजेजी
- कर्म साधना का चमत्कार 40
  संकलन–ई. ज्येष्ठानन्द जीनगर
- पुस्तकें भाग्य विधाता 41
  शशिकान्त द्विवेदी 'आमेटा'
- पावन बलिदान का प्रतीक–जलियाँवाला बाग 43
  रामकीलाल पोड़ेला

रपट
- राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता एवं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह 46
  मोहन गुप्ता 'मितवा'

मासिक गीत
- यह क्रम है संसार का 12
  संकलनकर्ता–धनश्याम

स्तम्भ
- पाठकों की बात 4
- आदेश–परिपत्र 17–36
- विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 35
- शाला प्रांगण से 48
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50
- व्यंग्य चित्र : रामबाबू माथुर 15, 40

पुस्तक समीक्षा 44–46
- राजस्थानी गीता मानस :
  लेखक–मुहम्मद कुरैशी 'निर्मल'
  समीक्षक–डॉ. विष्णुदत्त जोशी
- शिक्षा और रोजगार :
  संकलन–शंकरलाल आचार्य
  समीक्षक–सत्यनारायण शर्मा
- धरती के स्वर :
  लेखक–सी.एल. सांखला
  समीक्षक–सुशील निर्वाण

मुख्य आवरण :
नारायणदास जीनगर, बीकानेर

▼ **चिंतन**

गुणः भूषयते रूपम्
शीलम् भूषयते कुलम्।
सिद्धिः भूषयते विद्याम्
भोगः भूषयते धनम्।।

(चाणक्य नीति 8/15)

व्यक्ति की सुन्दरता गुणों से आंकी जाती है और शील से कुल की शोभा होती है। विद्या की शोभा तभी है जब सिद्धि अर्थात् निपुणता प्राप्त हो और धन की शोभा सदुपयोग से होती है।

पाठकों की बात

- शिविरा पत्रिका मार्च, 2017 का अंक मिला बड़ी प्रसन्नता हुई। भारतीय त्योहारों की तिथि, चन्द्र और सूर्य की गति का अवलोकन और गणित से सम्बन्धित ज्ञान हेतु नववर्ष विशेष आलेख पढ़ा। परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु 'प्रयास' को सार्थक करती अंग्रेजी, गणित और विज्ञान सम्बन्धी दी गई सामग्री विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। 'धरती राजस्थान री' कविता पढ़कर राष्ट्रभक्तों की यादें ताजा हो गई। वर्तमान मूल्यपरक शिक्षा हेतु दिया आलेख भी नैतिक स्तर को और उन्नत करने में सहयोग प्रदान करेगा। 'शिक्षक' और 'राजकीय विद्यालय में शिक्षक के अनुभव' दोनों ही लेख अभिभावकों और विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों के प्रति सोच को बदलने में सहयोगी साबित होंगे। महिला दिवस पर नारी शक्ति से सम्बन्धित लेख भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालिका शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। होली के अवसर पर इस अंक में दी गई समस्त जानकारियाँ और विशेष सामग्री के लिए सम्पादक मण्डल को साधुवाद।

  हरिप्रसाद राजा, बीकानेर

- शिविरा मार्च 2017 का अंक मिला, देखकर अपार प्रसन्नता हुई। आवरण पर वसन्त के पश्चात् रंगों के त्योहार होली मे नृत्यरत नायिका व मोर, युग के साथ कम्प्यूटर पर अध्ययनरत प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के साथ प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्री बाई फूले का चित्र आवरणीय गरिमा को चार चाँद लगा रहे हैं। 'परीक्षा बन जाए उत्सव' के माध्यम से मंत्री जी ने विद्यार्थियों को भयमुक्त हो कर परीक्षा को उत्सव के रूप में लिया जाने को कहा। इसी के साथ 'परीक्षा है, पर भयभीत न हों' महेश कुमार चतुर्वेदी का प्रासंगिक रहा। मधुबाला शर्मा का लेख 'महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना के स्वर', डॉ. विष्णु दत्त जोशी–'स्त्री विमर्शः विचार एवं व्यवहार' के साथ प्रातःस्मरणीय महिलाएँ में ब्रह्मवादिनी गार्गी व निष्पक्ष निर्णायक सरस्वती तथा आकांक्षा यादव का 'होली रे होली तेरे रंग कितने' के माध्यम से आवरणीय लेखों का समावेश कर सम्पादक महोदय ने भी आवरणीय सार्थकता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध कर अपने कौशल का सकारात्मक परिचय दिया। स्थाई स्तंभ शाला प्रांगण में गतिविधियों के चित्र समाचारों के साथ भी दिए जाए तो और अधिक अच्छा रहेगा। एन.सी. आसेरी की पुस्तक 'समय की सीपियाँ', सी.एल. सांखला की पुस्तक–'सृजन-मंथन' की समीक्षा बहुत सुन्दर ढंग से की गई है। अंक की उपयोगिता स्वयं सिद्ध प्रकट होती है। इसके लिए सम्पादक मण्डल एवं सहायक कार्मिकों का साधुवाद।

  अनुराधा बीनगर, जयमलसर, बीकानेर

- शिविरा मार्च 2017 के अंक में प्रकाशित गोपेश शरण शर्मा का आलेख 'वर्तमान आवश्यकता मूल्य परक शिक्षा' में लेखक ने स्पष्ट झलकाया है कि वर्तमान की प्रयोगवादी शिक्षा मात्र पेशेवर व्यक्ति तैयार कर रही है जिनका संस्कार तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण से कोई सरोकार नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश में एक जैसी तथा समान उद्देश्य वाली शिक्षा प्रणाली हो जिस पर देश-काल तथा परिस्थिति का प्रभाव नहीं हो। आलेख की अन्तिम पंक्तियाँ अत्यन्त मनन योग्य हैं। मूल्य परक शिक्षा पद्धति के लिए हमें वेदों और पुराणों की ओर भी जाना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। आलेख पूर्णतया हृदयस्पर्शी (Heart Touching) तथा शिक्षाविदों के दर्द से भरा हुआ है। श्रेष्ठ आलेख के लिए लेखक को साधुवाद।

  शान्तिलाल सेठ, बांसवाड़ा

- माह मार्च का शिविरा अंक मिला। मुख्य पृष्ठ व अंतिम पृष्ठ का चित्रांकन हृदयस्पर्शी लगा। श्रीमान शिक्षामंत्री महोदय एवं निदेशक महोदय द्वारा परीक्षा को उत्सव मानकर कार्य करने का आह्वान मर्मस्पर्शी लगा। साथ ही इनकी प्रेरणा शिक्षकों में सकारात्मक चिंतन जाग्रत करने वाली लगी। मार्गदर्शक समूह द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के Topis सारगर्भित लगे। इस अंक में विभिन्न लेखकों द्वारा परीक्षा तैयारी संबंधी विभिन्न तकनीकी मार्गदर्शन प्रेरणाप्रद व सारगर्भित लगा। साथ ही महिला दिवस, अन्तर्राज्य भ्रमण रिपोर्ट एवं विभिन्न विषय वस्तु का संकलन शिविरा की उपादेयता सिद्ध करता है। प्रति माह बेसब्री से शैक्षिक ज्ञान गंगा शिविरा का इंतजार रहता है। एक बार पुनः सम्पादक मण्डल को बधाई एवं होली मुबारक।

  कुजाती राम बागाणी, आऊ, जोधपुर

- मासिक शिविरा पत्रिका शिक्षा विभाग राजस्थान का साझा मंच है। मेरा सुझाव है कि इसमें एक स्थायी स्तंभ 'विद्यालय में नवाचार' नाम से शुरू किया जाए। जिसमें प्रति माह एक बढ़िया नवाचार करने वाले विद्यालय की गतिविधियाँ मय आवश्यक फोटो विस्तार से दी जाए जिससे सम्पूर्ण राजस्थान के सरकारी विद्यालय लाभ उठा सकें। इसकी शुरुआत उन विद्यालयों से करे जो राज्य स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं।

  प्रतिभा न्यौला, सोलाना, झुंझुनूं

सत्यमेव जयते

बी.एल. स्वर्णकार
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

> "विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेशोत्सव प्रारम्भ हो रहा है। राजकीय विद्यालयों को अपनी विशिष्टताओं तथा उपलब्धियों को समुदाय के समक्ष रखना है ताकि समुदाय विद्यालय की ओर आकृष्ट होकर नामांकन लक्ष्य पूर्ति में अपना सार्थक सहयोग प्रदान करें।"

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

नवाचारी प्रयास

शिक्षा विभाग के लिए अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अपने बजट उद्बोधन में विभाग द्वारा काउंसलिंग से पदस्थापन प्रक्रिया का उल्लेख किया तथा इसकी सर्वत्र प्रशंसा की बात कही। विभाग के लिए प्रसन्नता की यह अनुभूति तब और अधिक विस्तृत हो गई, जब आई.टी. दिवस को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग को ऑनलाइन काउंसलिंग सहित कई नवाचारी प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। मैं इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध सभी कार्मिकों/शिक्षकों एवं अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। परन्तु यह आखिरी मंज़िल नहीं है। सफलता की मंज़िलों के लिए अभी रास्ता और भी तय करना है, अभी और बहुत परिश्रम करना शेष है। आशा है, हम सभी इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

नये दौर में आई.टी. का उपयोग जीवन के अन्य क्षेत्रों की भाँति शिक्षा में भी बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में सूचनाओं के संधारण एवं सम्प्रेषण के लिए 'शाला दर्पण' का न केवल प्रयोग करना है वरन् उसे सटीक एवं सार्थक बनाए रखने के लिए सतत रूप से अद्यतन भी करते रहना है। आई.टी. का शिक्षा एवं शिक्षण में समुचित उपयोग एवं अनुप्रयोग हो, जिससे हमारे विद्यार्थी जीवन की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में रह सकें। ई-कन्टेन्ट का उपयोग हो, शिक्षक स्वयं भी अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के लिए ई-कन्टेन्ट तैयार करें और अध्ययन को आसान बनाएँ।

बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन ने एक बार फिर विभाग के शिक्षकों/कार्मिकों एवं अधिकारियों की क्षमता को प्रमाणित किया है। आगामी अध्ययन की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए बोर्ड परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रथम दिवस से ही अगली कक्षा का अध्ययन विद्यालयों में प्रारम्भ किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे शालाओं में अध्ययन का निर्बाध वातावरण बना रहेगा।

विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेशोत्सव प्रारम्भ हो रहा है। राजकीय विद्यालयों को अपनी विशिष्टताओं तथा उपलब्धियों को समुदाय के समक्ष रखना है ताकि समुदाय विद्यालय की ओर आकृष्ट होकर नामांकन लक्ष्य पूर्ति में अपना सार्थक सहयोग प्रदान करें।

इस माह के सभी स्मरणीय दिवस हमारे लिए अविस्मरणीय बनें, ऐसी शुभकामनाएँ।

(बी.एल. स्वर्णकार)

पृथ्वी दिवस विशेष

माताभूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः

❒ महावीर प्रसाद गर्ग

पृथ्वी हमारी माता है क्योंकि पृथ्वी के बिना पूरे ब्रह्माण्ड में कहीं जीवन सम्भव नहीं है। यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएँ देती है, इसलिए इसकी प्राकृतिक गुणवत्ता और हरे-भरे वातावरण को बनाए रखने के लिए हम जिम्मेदार हैं। पृथ्वी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को स्वस्थ वातावरण में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। वह जनचेतना जाग्रत करनी है जिससे लोग प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद और प्रदूषित नहीं करें और प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन और अन्तहीन लालच पर नियंत्रण हो सके। पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाने वाले लोग 'लाइट हाऊस' की तरह हैं जिनके प्रयासों के फलस्वरूप पृथ्वी पर द्रव्य, पानी, मृदा, वनस्पति पर्वत की अस्मिता किसी की मोहताज नहीं होगी। पृथ्वी बीमारियाँ नहीं बल्कि सोना उगलेगी। पृथ्वी दिवस मात्र रस्म अदायगी नहीं अपितु उपलब्धियों का प्रमाण प्रस्तुत करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुजलाम् सुफलाम् शस्य श्यामलाम् धरती सौंपने का दस्तावेज होगा।

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः

अर्थात् पृथ्वी हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये हमारे वेदों में कहा गया है कि ''उप सर्प मातरं भूमिम्'' हे मनुष्यो! मातृभूमि की सेवा करो। अपने राष्ट्र से प्रेम करो। मातृभूमि के प्रति ऐसी निष्ठा व श्रद्धा रखो जिससे सनातन वैदिक धर्म प्रकट हो। भारत वर्ष पृथ्वी दिवस को इस रूप में भी मनाता है। माता के साथ ही पृथ्वी को देवता भी माना गया है अतः इसके सन्दर्भ में ऋषियों द्वारा पृथ्वी सूक्त की रचना की गई है। अथर्ववेद में भी पृथ्वी को माता के समान माना गया है तथा कहा गया है-

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो
यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्
सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु।।
(अथर्ववेद 12,1.3)

अर्थात् जिसमें समुद्र नदियाँ, तालाब हैं, अन्न की खेती हो रही है, जिससे प्राणी प्राणवान् हैं। ऐसी भूमि हमें जीवन का सम्बल प्रदान करे, समस्त ऐश्वर्य प्रदान करे।

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसम्
नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्
सहस्रं धारा द्रविणस्य में दुहां
ध्रुवे धेनुरनुपस्फुरन्ती
(अथर्ववेद पृथिवी सूक्तम् 12,1,45)

अर्थात् अनेक बोली और अनेक धर्म को मानने वाले लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी कामधेनु की भाँति धन की हजारों धाराओं को बहाती हुई हमें धन व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है।

पृथ्वी के साथ ही मनुष्य का भी कल्याण जुड़ा हुआ है अतः ऋग्वेद में कहा गया है-

मधु वाता ऋतायते
मधु क्षरन्ति सिन्धवः
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः

पृथ्वी पर कल्याणकारी वायु चले, जल स्रोत कल्याणकारी रहे और औषधियाँ भी हमारे लिए माधुर्य से युक्त कल्याणकारी बनें। पृथ्वी सूक्त के मंत्रों में पृथ्वी के लिए अनेक सारगर्भित विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें विश्वम्भरा, वसुधानी, हिरण्यवक्षा, निवेशनी माता, विमृग्वरी पर्जन्यपत्न्यै इत्यादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इनके अनुसार हमारी मातृ-भूमि विश्व का भरण-पोषण करने वाली, स्वर्ण रजत आदि वस्तुओं को धारण करने वाली, स्वर्ण की खानवाली, सभी प्राणियों का पालन-पोषण और धारण करने वाली माता के रूप वाली, खोजने योग्य, अन्नादि जीवन तत्वों को प्रदान करने वाली, वर्षा करने वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाले मनुष्यों को उत्पन्न करने वाली है। इस तरह सभी सुखों को प्रदान करने वाली एवं प्राणिजगत् का पालन करने वाली हमारी पृथ्वी वन्दनीय है।

पृथ्वी का महत्त्व हमारे लिए अतुलनीय है, जिस प्रकार माता अपने बच्चे का लालन-पालन करती है उसी तरह यह मातृ-भूमि भी मानव कल्याण के लिए सभी आवश्यक तत्वों को हमें प्रदान करती है। छः ऋतु, दिन और रात, अन्न, धन, वनस्पतियाँ, स्वर्ण, रजत आदि वस्तुएँ तथा अन्य भी जो-जो हमारी आवश्यकताएँ है। यह वर्षा के द्वारा हमारा पालन-पोषण करती है और रक्षा करती है। अपने ऊपर सभी कष्टों को सहन करती हुई हमें धारण करती है। अतः यह वन्दनीय है।

प्रातःकाल उठते ही पृथ्वी का स्पर्श शुभ मंगलदायक व कल्याणकारी माना जाता है।

पृथ्वी क्षमा प्रार्थना

समुद्रवसनादेवि! पर्वतस्तन मण्डिते।
विष्णो पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे।।

अर्थात् समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वतरूपी स्तनों वाली एवं श्री भगवान विष्णु की पत्नी, हे भूमिदेवी! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे पैरों का स्पर्श होगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें।

पृथ्वी की उपयोगिता के आधार पर ही पृथ्वी को इन नामों से सम्बोधित किया गया है-
1. भू 2. भूमि 3. अचला 4. अनन्ता 5. रसा 6. विश्वम्भरा 7. स्थिरा 8. धरा 9. धरित्री 10. धरणी 11. क्षोणी 12. ज्या 13. काश्यपी 14. क्षिति 15. सर्वंसहा 16. वसुमति 17. वसुधा 18. ऊर्वी 19. वसुन्धरा 20. गोत्रा 21. कुः 22. पृथिवी 23. पृथ्वी 24. क्षमा 25. अवनि 26. मेदनी 27. मही

पृथ्वी की उत्पत्ति- पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों का ये मत है कि पृथ्वी सूर्य का ही एक भाग है जो अरबों-खरबों वर्ष में ठंडी होकर पृथ्वी के रूप में परिवर्तित हुआ। धीरे-धीरे पृथ्वी पर जल व थल का निर्माण हुआ तथा विभिन्न जीव जन्तुओं की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी ही ब्रह्माण्ड में एकमात्र ऐसा स्थान है, जहाँ जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे-जैसे जीव जन्तुओं की वृद्धि होती चली गई वैसे-वैसे पृथ्वी पर सन्तुलन बिगड़ता चला गया।

पृथ्वी ब्रह्माण्ड में सबसे अनमोल है जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएँ, ऑक्सीजन और पानी को रखती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन मानव के गलत कार्यों के कारण बिगड़ रहे हैं। इसने पृथ्वी पर जीवन को संकट में डाल दिया है। अनुकूल वातावरण की कमी के कारण बहुत से जंगली जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। बहुत प्रकार के प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों की दर दिन प्रति दिन बढ़ रही है। इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सभी गलत प्रचलनों को रोकना बहुत आवश्यक है।

पृथ्वी की संरचना:– हमारा पृथ्वी ग्रह बेहद सुन्दर व जीवनदायी है। यह अनोखा ग्रह सौरमण्डल का तीसरा ग्रह है जो आज से लगभग साढ़े चार अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया पृथ्वी के जन्म के लाखों–करोड़ों वर्षों के बाद विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं व नाजुक संयोगों के परिणामस्वरूप इस ग्रह पर विभिन्न रूपों में जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी ग्रह की अनोखी संरचना, सूर्य से दूरी एवं अन्य भौतिक कारणों के फलस्वरूप यहाँ जीवन पनप पाया है।

मानव को सबसे बुद्धिमान जीव का खिताब हासिल है। लेकिन ज्यों–ज्यों मानव ने सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ी है त्यों–त्यों उसकी आवश्यकता बढ़ी है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की खातिर मानव ने जरूरत से ज्यादा इस गृह के नाजुक संतुलन को ही गड़बड़ा दिया है।

पृथ्वी की कक्षीय विशेषताएँ उपसौर और अपसौर, अर्द्धमुख्य–अक्ष, परिक्रमण काल (365.256363004) दिन (1,0000174 2096 वर्ष), औसत परिक्रमण गति (29.78 Km/sec) मध्य कौणान्तर (358.617 डिग्री)।

पृथ्वी का झुकाव सूर्य की विषुवत् रेखा पर (7.155 डिग्री) अचर समतल से 1.57869 डिग्री से 2000 सूर्य पथ से (0.00005 डिग्री)।

पृथ्वी का उपग्रह (प्राकृतिक उपग्रह 1265 परिचालन उपग्रह) है।

पृथ्वी की भौतिक विशेषताएँ–पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं में परिधि (40075.017 Km), विषवतीय (8) पृथ्वी का जल क्षेत्रफल

(510072000 वर्ग कि.मी.) (70.8%) जल का भाग है।

आयतन=(1.08321×10^{12}) (घन कि.मी.^{3})

द्रव्यमान = (5.97219×10^{24}) (किग्रा)^{15}

(3.0×10^{-6}) सौर द्रव्यमान

पृथ्वी की वायुमण्डल स्थिति:– सतह पर दाब (101.325 किलो पास्कल)

संगठन) नाइट्रोजन (78.08%)

ऑक्सीजन (20.95 %)

ऑर्गन (0.930%)

कार्बनडाइ ऑक्साइड (0.039%)

जल वाष्प (1%)

पृथ्वी की रासायनिक संरचना में निम्नलिखित तत्वों का योगदान।–

आयरन (34.61%) ऑक्सीजन (29.5%) सिलिकन (15.2%) मैगनीशियम (12.7%) निकेल (2.4%) सल्फर (1.97%) टाइटेनियम (0.05%)

स्थल मण्डल:–अन्य चट्टानों के विपरीत पृथ्वी का भू–पटल 8 प्लेटों में विभाजित है।

i. उत्तर अमेरिका प्लेट
ii. दक्षिणी अमेरिका प्लेट
iii. अंटार्कटिक प्लेट
iv. यूरेशियाई प्लेट
v. अफ्रीकी प्लेट
vi. भारतीय आस्ट्रेलियाई प्लेट
vii. नाज्का प्लेट
viii. प्रशांत प्लेट

मानव के विकास के साथ ही पृथ्वी का प्रदूषण स्तर भी बढ़ता चला गया। औद्योगिक विकास के साथ ही पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्रदूषण फैल गए। जैसे–

वायु प्रदूषण:– वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहते हैं। धुआँ वायु प्रदूषण का कारण है। धूल और मिट्टी के सूक्ष्म कण साँस के साथ फेफड़ों में पहुँचकर कई बीमारियाँ पैदा कर सकते है।

जल प्रदूषण:– जल में अनुपचारित घरेलू सीवरेज के निर्वहन और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषण के मिलने से जल प्रदूषण फैलता है।

भूमि प्रदूषण:– ठोस कचरे के फैलने और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण भूमि में प्रदूषण बढ़ता है।

प्रकाश प्रदूषण– अत्यधिक तीव्र व कृत्रिम प्रकाश के कारण फैलता है।

ध्वनि प्रदूषण:– अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है।

रेडियो ध्वनि प्रदूषण:– परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों के अनुसंधान निर्माण और तैनाती के दौरान उत्पन्न होता है।

पृथ्वी के लगभग 50 कि.मी. ऊँचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है जिसमें ओजोन स्तर होता है। यह स्तर सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुँचने से रोकता है। आज ओजोन स्तर का तेजी से विघटन हो रहा है। ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर जमा बर्फ पिघलने लगी है तथा मानव को अनेक चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। वृक्षों के काटने के कारण वनों का सफाया हो रहा है जिससे वातावरण में गैसों का सन्तुलन बिगड़ रहा है। बीसवीं सदी में जब दुनिया विकास की अंधी दौड़ लगा रही थी तब हमारा पर्यावरण किसी की चिन्ता का विषय नहीं था।

आज हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं। मगर शुद्ध वातावरण में साँस नहीं ले रहे हैं। हमने पिछली शताब्दी में पर्यावरण की कीमत पर विकास हासिल किया है।

विकास के लिए हमने अपने पर्यावरण और जैव विविधता को नजरअंदाज किया है तो आज हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए एक भयावह चुनौती बन गई है। ग्लोबल वार्मिंग एवं इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे प्रदूषित होता पर्यावरण, जीवों व वनस्पतियों की प्रजातियों का विलुप्त होना, उपजाऊ भूमि में होती कमी, खाद्यान्न संकट, तटवर्ती क्षेत्रों का क्षरण, ऊर्जा के स्रोतों का कम होना और नयी–नयी बीमारियों का फैलना आदि संकटों से पृथ्वी ग्रह पर विनाश के बादल मंडरा रहे है।

हमारी पृथ्वी हमसे कभी भी कुछ बदले में नहीं लेती है। हालांकि, पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए यह इसको स्वच्छ बनाए रखने की माँग अवश्य करती है। हमें अपनी पृथ्वी और वातावरण की अपशिष्टों, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी आदि की मात्रा को कम करके रक्षा करनी चाहिए। हमें गंदगी और अपशिष्टों को कम करने के लिए वस्तुओं (कपड़े खिलौने, फर्नीचर, किताब, कागज आदि) के पुनः प्रयोग की आदत को डालना चाहिए। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को बढ़ाने में शामिल गलत गतिविधियों को हमें रोकना चाहिए।

विशेषताएँ:– पृथ्वी पूरे सौर मण्डल में एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। प्राचीन समय में लोग विनाशकारी कार्यों में शामिल नहीं थे। जनसंख्या विस्फोट के बाद, लोगों ने आधुनिक जीवनशैली और सभी के लिए आसान जीवन के लिए शहरों और उद्योगों का विकास करना शुरू किया।

पूरी दुनिया 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाती है। अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले पूरी दुनिया में साल में 2 दिन 21 मार्च व 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता था लेकिन 1970 से 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया। इसका श्रेय अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन को जाता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी दिवस को लेकर देश और दुनिया में जागरूकता का भारी अभाव है। सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते। कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर कोशिश करते रहे हैं किन्तु यह किसी एक व्यक्ति, संस्था या समाज की चिन्ता तक सीमित विषय नहीं होना चाहिए। सभी को इसमें कुछ न कुछ अपना योगदान अवश्य देना चाहिए।

हमें वृक्षारोपण के माध्यम से जंगलों को बढ़ाना चाहिए। हजारों प्रजातियों के पक्षियों के आवास नष्ट होने के कारण प्रजाति विलुप्त हो गयी है। जिससे खाद्य शृंखला संतुलित नहीं रही है। इसे संतुलित किया जाना बहुत आवश्यक है।

- हमारे वातावरण में वनों के उन्मूलन, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और प्रदूषण के परिणामस्वरूप निरन्तर गिरावट आ रही है। यह कार्बनडाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के माध्यम से जीवन के लिए खतरा है। हमें अपने वातावरण के प्राकृतिक चक्र को संतुलित करने के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।
- हमें पृथ्वी को बचाने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक बड़े बदलावों को लाने की आवश्यकता है।
- वातावरण में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए शहरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
- हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए।
- जन क्रान्ति के लिए जन भागीदारी जरूरी है।
- लोगों को निजी कारों को साझा करना चाहिए और आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग करना चाहिए।
- स्थानीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधो संरचना को साफ–सुथरा करना है। यह अभियान 2014 में महात्मा गाँधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर से आरम्भ किया गया। महात्मा गाँधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को उत्कृष्ट संदेश दिया था।

आज सभी को मानवीय मूल्यों और पर्यावरण में होते ह्रास के कारणों, पृथ्वी और यहाँ उपस्थित जीवन के खुशहाल भविष्य को लेकर चिन्ता होने लगी है। ऐसे समय में महात्मा गाँधी के विचार हमारा विश्वास कायम रखते है।

इस समय गाँधीजी के 'सादा जीवन उच्च विचार' वाली विचारधारा को अपनाने की आवश्यकता है। गाँधीजी के विचारों का अनुकरण करने पर मानव प्रकृति के साथ प्रेममय संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वी की सुन्दरता को बरकरार रख सकता है।

पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए हम कम से कम इतना तो करें कि पॉलीथिन के उपयोग को नकारें, कागज का इस्तेमाल कम करें और रिसाइकल प्रक्रिया को बढ़ावा दें क्योंकि जितनी ज्यादा खराब सामग्री रिसाइकल होगी उतना ही पृथ्वी का कचरा कम होगा और हमारा पृथ्वी दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त कर इसे संरक्षित व संवर्धित करें।

सुझाव:– इन सब कार्यों के लिए किसी एक दिन को ही माध्यम क्यों बनाया जाए? इसलिए हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए।

जैसा कि हम सभी जानते है कि पूरे ब्रह्माण्ड में पृथ्वी ही जीवन का एकमात्र ज्ञात ग्रह है। इसलिए हमें पृथ्वी से जो कुछ भी प्राप्त होता है। उसका सम्मान करना चाहिए। हमें धरती माँ की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारे भविष्य की पीढ़ियाँ सुरक्षित वातावरण में रह सकें। हम पृथ्वी की रक्षा पेड़ों, वनस्पति, पानी, प्राकृतिक संसाधन, बिजली आदि की रक्षा कर सकते है।

प्रधानाचार्य
शहीद अमित भारद्वाज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानक चौक–जयपुर
मो : 9414466463

पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वह पवित्र ही यहाँ महान् है।।

पृथ्वी दिवस विशेष

प्रत्येक दिवस हो पृथ्वी दिवस

❑ दीपक जोशी

पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, जिसे 22 अप्रैल को दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका आरंभ अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में किया गया और अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस ने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरूआत को चिह्नित किया। लगभग 20 लाख अमेरिकी लोगों ने एक स्वस्थ, स्थायी पर्यावरण के लक्ष्य के साथ भाग लिया। हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने पर्यावरण के दूषण के विरुद्ध प्रदर्शनों का आयोजन किया। वे समूह जो तेल रिसाव, प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों और ऊर्जा संयंत्रों कच्चे मल-जल, विषैले कचरे, कीटनाशक, खुले हाथों जंगल की क्षति और वन्यजीवों के विलोपन के खिलाफ लड़ रहे थे, ने अचानक महसूस किया कि ये समान मूल्यों का समर्थन कर रहे हैं।

विश्वभर में आयोजन– प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल (1970 से लगातार) विश्वभर में लोग 'विश्व पृथ्वी दिवस' को बड़े उत्साह व धूमधाम से मनाते हैं, अपनी पृथ्वी की समस्त प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लक्ष्य के साथ। विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थी एवं शिक्षकगण इस दिन पृथ्वी व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बहुत से राष्ट्रों की सरकारों द्वारा पृथ्वी की सुरक्षा के संदर्भ में प्रभावी कदम उठाते हुए संवैधानिक नियम बनाए जाते है। विश्वभर में पर्यावरण प्रेमियों द्वारा कई समारोह, कार्यक्रम, सभाओं तथा रैलियों का आयोजन किया जाता है।

विश्व पृथ्वी दिवस को विश्व भर में लोग पृथ्वी तथा पर्यावरण हितैषी गतिविधियों जैसे– पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि में सक्रिय रूप से बढ़-चढ़ कर भाग लेते है। इस दिन विभिन्न राष्ट्रों के टी.वी. चैनलों में पृथ्वी संरक्षण के प्रति जन चेतना जाग्रत करने के लिए पूरे दिन पृथ्वी तथा पर्यावरण हितैषी कार्यक्रमों तथा रिपोर्टों को दिखाया जाता है। लोग जो पृथ्वी दिवस संबंधित

आयोजनों में भाग लेते है इस दिन पेड़-पौधों, फूलों, जानवरों इत्यादि की पोशाक पहनकर परेडों में भाग लेते हैं, इस जागरूकता के साथ कि सम्पूर्ण पृथ्वी हमारा घर है एवं जिसकी सुरक्षा स्वयं हमें ही करनी हैं।

21 वीं सदी और पृथ्वी के सम्मुख संकट व चुनौतियाँ– ज्यों-ज्यों मानव ने सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, त्यों-त्यों उसकी आवश्यकता बढ़ी है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की खातिर मानव ने जरूरत से ज्यादा प्राकृतिक सम्पदा का दोहन करके इस पृथ्वी ग्रह के नाजुक संतुलन को ही गड़बड़ा दिया है। हमने पिछली शताब्दी में पर्यावरण की कीमत पर विकास हासिल किया है। विकास के लिए हमने अपने पर्यावरण और जैव विविधता को नजरअंदाज किया है। भौतिक सुख सुविधाओं एवं वैभवशाली जिन्दगी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, वनोन्मूलन एवं जल, वायु, मृदा प्रदूषित कर हमने पृथ्वी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। आज विकास की राह सिर्फ इंसानों तक सीमित है, जिसमें प्रकृति कहीं नहीं है।

लोकसभा में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक अध्ययन ने वर्ष 2020 से वर्ष 2050 के बीच केवल भारत वर्ष में ही जलवायु परिवर्तन की वजह से लगभग 1,36,000 मौतों का अनुमान लगाया है। यहाँ तक कि विश्व में CO_2 (कार्बनडाई ऑक्साइड) के सघनता का स्तर हमारी जिंदगी में 400 पीपीएम. से ऊपर जाने को है।

वर्ष 2016 के विश्व बैंक के आँकड़ों पर इंडियास्पेंड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार 1.4 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले महानगरों की तुलना में वर्ष 2011 से 2015 के बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बीजिंग और शंघाई से भी बदतर था। डब्ल्यूएचओ. के आँकड़ों के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से आधे भारत में हैं।

ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने मानव अस्तित्व के खतरे से जुड़े व्यापक पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में जो चेतावनी दी है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। हॉकिंग ने कहा है कि मानव समुदाय इतिहास के सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहा है। हमारे पास पृथ्वी को बर्बाद करने वाली तकनीकें तो बड़ी संख्या में सामने आ गई हैं, लेकिन इनसे बचने की तकनीकों का विकास नहीं हो सका है। स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में लियोनार्डो डिकैपरियो की दस्तावेजी फिल्म में चिंता जताई थी कि 'हम नहीं जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कब खत्म होगी और अगर यह समाप्त नहीं हुई तो पृथ्वी

शुक्र ग्रह में तब्दील हो जाएगी। जहाँ तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है साथ ही अम्लीय बारिश शुरू होने लगती है।

मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही अलनीनो का प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमखण्ड पिघल रहे हैं, फलस्वरूप समुद्री जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण अनेक छोटे द्वीप तो डूबेंगे ही बांग्लादेश और कोलकाता जैसे तटीय क्षेत्र भी जलमग्न हो जाएँगे। प्राकृतिक असंतुलन की वजह से 'रेड डाटा पुस्तक' में विलुप्त एवं संकटग्रस्त पादप एवं प्राणी जातियों की सूची लंबी होती जा रही है। परमाणु बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने कहा था ''अब मैं मौत बन चुका हूँ, दुनिया मेरे कारण तबाह हो रही है।'' बावजूद परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं हुई। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान दुनिया के पास लगभग 14,900 घातक परमाणु हथियार हैं। इनमें से 4300 को तो दुश्मन देशों पर तैनात भी कर दिया गया है। 'ग्रीन पीस फाउंडेशन' के अनुसार मानवीय त्रुटि और प्राकृतिक आपदाओं से भी दुनिया को 436 परमाणु संयंत्रों से खतरा हो सकता है।

इसी क्रम में 21 वीं शताब्दी में पृथ्वी के अस्तित्व के लिए संकटों की सूची लंबी है। जिसमें प्रमुख है- 1. जलवायु परिवर्तन, 2. ग्रीन हाउस प्रभाव, 3. अलनीनो प्रभाव, 4. जैव विविधता का ह्रास, 5. जल स्रोतों का अम्लीकरण, 6. ग्लोबल वार्मिंग, 7. बढ़ती जनसंख्या, 8.संक्रामक रोग एवं महामारियाँ, 9. आनुवांशिक अभियांत्रिकी वायरस, 10. ओजोन क्षय, 11. परमाणु हथियार एवं संयंत्र, 12. जल, वायु, मृदा प्रदूषण, 13. औद्योगिकीकरण व वनोन्मूलन 14. ऊर्जा स्रोतों का ह्रास, 15. अकाल एवं खाद्यान्न संकट, 16. बढ़ती प्राकृतिक आपदाएँ इत्यादि।

आखिर पृथ्वी की जीवनदायिनी क्षमता को नष्ट करने वाले इतने संकट उत्पन्न हुए तो किन नीतियों से? किस सोच से? किन मानवीय हस्तक्षेपों से? और क्या वे जरूरी थे? क्या उनमें बदलाव किया जा सकता है? हाँ तो कैसे? अगर पृथ्वी के अस्तित्व को बचाना हैं तो इस तरह के बुनियादी सवालों का सामना करना पड़ेगा, व्यापक बदलाव की तैयारी करनी होगी और नीतियों में इस तरह का बदलाव सुनिश्चित करने के लिए विश्व भर में व्यापक एकता बनाकर जनशक्ति को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और प्रत्येक दिवस को बनाना होगा 'विश्व पृथ्वी दिवस'।

"If we are ever to halt climate change and Conserve land, water and other resources, not to mention reduce animal suffering, we must celebrate Earth day every day- at every meal." (Ingrid Newkrik).

"Man must feel the earth to know himself and recognize his values..... God made life simple. It is man who Complicates it." (Charles A Lindbergh).

World Earth Day Theme-

The theme of World Earth Day 2017 is "Environmental and Climate Literacy".

The theme of world Earth Day 2016 was "Trees for the Earth".

कैसे मनाएँ पृथ्वी दिवस-

विश्व पृथ्वी दिवस को उत्साहपूर्वक मनाना, हमारी आवश्यकता एवं नैतिक जिम्मेदारी दोनों है। **इसे मनाने के लिए-**

- वांछित स्थानों पर पौधारोपण करना।
- अपने परिवार के साथ मिलकर किसी वृक्ष पर पक्षियों का घोंसला बनाकर पर्यावरण में उनके महत्त्व का संदेश देना।
- लोगों को पॉलिथीन तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित करना।
- पुरानी वस्तुओं के पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग के बारे में अपने बच्चों को समझाना।
- विद्यालय, सड़क, सोसायटी तथा उद्यानों में जाकर स्वच्छता अभियान चलाना।
- विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं (पोस्टर, क्विज, निबंध इत्यादि) का आयोजन करना।
- विद्यालय के समस्त स्टाफ तथा बच्चों द्वारा फील्ड में जाकर रैली, परेड तथा नुक्कड़ नाटकों द्वारा लोगों को पृथ्वी तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना।
- ग्रामीण स्तर पर पंचायतों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- सामूहिक स्तर पर रोल प्ले, नाटक तथा सामूहिक गान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देना।
- शैक्षिक संस्थानों में सेमिनार तथा प्रेरक सभाओं का आयोजन करना।
- लोगों को पर्यावरणी रंगों (नीला, हरा, भूरा) की वेशभूषा पहनने के लिए प्रेरित करना।
- अनेक प्रायोगिक गतिविधियों द्वारा लोगों को ऊर्जा संरक्षण का संदेश देना। जैसे-इस दिन मोटर वाहनों का परित्याग कर सामूहिक रूप से साइकिल या पैदल भ्रमण करना।
- पेड़-पौधों, फूलों, पशु-पक्षियों आदि की वेशभूषा पहन कर रैली का आयोजन करना।
- लोगों को यह संदेश देना कि हमारे लिए प्रत्येक दिवस को पृथ्वी दिवस समझना कितना आवश्यक है।

विश्व पृथ्वी दिवस के लिए महत्त्वपूर्ण स्लोगन-

- धरती बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ।
- अर्थ का कुछ करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
- वक्त है कुछ करने का, धरती को बचाने का।
- आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी।
- पृथ्वी हमारा घर है, और घर को नष्ट नहीं करते।
- जब हरी-भरी पृथ्वी होगी, तब शांत-स्वस्थ जनता होगी।
- Save water, save plants, save life, save our earth.
- Plants trees save earth.
- Save Mother earth.
- Every day is earth day.
- World earth day must be celebrate as festivals.
- प्रकृति ना करें हरण, आओ बचाएँ पर्यावरण।
- पर्यावरण के लिए पेड़ बचाओ, देश बचाओ, दुनिया बचाओ।
- पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान।

हमारा घर सिर्फ वह नहीं, जिस चारदीवारी में हम निवास करते हैं। बल्कि यह सम्पूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। और पृथ्वी के अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व कैसे सम्भव है। अतः हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम पृथ्वी और इसकी संपदाओं की सुरक्षा करें। साथ ही अपने जीवन के प्रत्येक दिवस को 'पृथ्वी दिवस' के रूप में मनाएँ।

व.अ. विज्ञान
रा.मा.वि. श्रीरामसर, बीकानेर
मो : 9660727221

जल संसाधन दिवस विशेष

जल संसाधन रिक्तता का कारण है वन-विनाश

❒ रमेश कुमार शर्मा

भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ जल रेलू उपयोग का प्रतिशत सबसे कम है तथापि विज्ञापनों में लोगों को जल का दुरुपयोग रोकने और बूँद-बूँद जल बचाने का संदेश दिए जाने से जल के सीमित उपयोग के प्रति जनता में जागरूकता निरन्तर बढ़ी भी है। परंतु जलाभाव से जूझते देश में जल संसाधन रिक्तता के कारणों पर विचार हो तभी जल संसाधन दिवस मनाने का हेतु स्पष्ट हो सकता है।

विकसित देश अपनी कुल जल-खपत का 50 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक कार्य में खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में उद्योगों की जल-खपत में 54 प्रतिशत भागीदारी है जबकि वहाँ कृषि क्षेत्र में जल कुल खपत का मात्र 33 प्रतिशत और घरेलू कार्य में 13 प्रतिशत प्रयुक्त होता है। विश्वव्यापी आधार पर कहा जाए तो 69 प्रतिशत जल खेती में, 23 प्रतिशत जल उद्योगों में तथा 8 प्रतिशत जल घरेलू कार्य में प्रयुक्त होता है। एशिया महाद्वीप में जहाँ जापान जैसा विकसित देश और चीन, भारत सहित अनेक विकासशील देश हैं खेती, उद्योग एवं घरेलू कार्य के जल उपयोगिता प्रतिशत आंकड़े क्रमश: 86, 8 एवं 6 है। अफ्रीका यद्यपि अविकसित देशों का महाद्वीप माना जाता है, वहाँ भी खेती में 88 प्रतिशत, उद्योगों में 5 प्रतिशत और घरेलू कार्य में 7 प्रतिशत जल उपयोग में आता है। जल-उपयोगिता के इन आँकड़ों के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से यदि भारत के आँकड़े देखे जाएँ तो ज्ञात होता है कि यहाँ कुल जल-खपत का 90 प्रतिशत खेती में लग जाता है, 7 प्रतिशत उद्योगों में लगता है और पेयजल सहित घरेलू कार्य हेतु मात्र 3 प्रतिशत जल ही प्रयुक्त होता है। (उपर्युक्त आँकड़ों के लिए संदर्भ : (Population Reports, Series M, Number 14, Chapter 2.2: How Water Is Used)

भारत में जलाभाव को लेकर धरने, प्रदर्शन होना एक आम बात है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के कारण किसान, विशेषकर

ग्रीष्म ऋतु में, आंदोलनरत रहते हैं भले ही वे कुल जल-खपत का 90 प्रतिशत ग्रहण करते हैं। मात्र 7 प्रतिशत जल-उपयोग भागीदारी वाले देश का उद्योग क्षेत्र जल-वितरण पर असंतोष व्यक्त करता है। साथ ही कुल जल-खपत के मात्र 3 प्रतिशत से अपनी प्यास बुझाने, नहाने, कपड़े धोने वाली देश की एक अरब से भी अधिक जनता उस समय क्रोधाविष्ट हो उठती है जब वह देखती है कि निर्धारित समय पर घर के नल से पानी नहीं आ रहा अथवा उनके कुएँ, बावड़ी सूख चले हैं या उनके पैंदे में थोड़ा सा जल है जिससे कपड़े भले ही धो लिए जाएँ किंतु वह जल पीने योग्य नहीं है।

भारत में जल-वितरण को लेकर अंतर्प्रान्तीय संबंधों में भी खटास आ जाती है। चूंकि नदियों में जल का प्रवाह धीमा हो चला है, नदियों के पानी को लेकर विवाद खड़े होते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद लंबे समय से चल रहा है। राजस्थान भी शिकायत करता है कि उसे पंजाब से भाखड़ा नाँगल बाँध का जल निर्धारित मात्रा में नहीं मिलता। पंजाब कहता है कि मानसूनी बरसातों में कमी के कारण भाखड़ा नाँगल बाँध भर ही नहीं पाता। मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच भी कुछ समय पहले विवाद खड़ा हुआ। राजस्थान का आरोप है कि मध्यप्रदेश गाँधीसागर बाँध से निर्धारित जलापूर्ति नहीं करता। परन्तु बूंद-बूंद पानी बचाने का संदेश देने वाले विज्ञापनों पर रुपये खर्चने वाले भारत में इस बात पर विचार होना चाहिए कि देश में सही समय पर मानसून क्यों नहीं आता और कहीं बाढ़ की स्थिति बनने पर भी वहाँ भूगर्भ जल संरक्षित क्यों नहीं रहता? मध्य एशिया में जलाभाव की स्थिति की विकटता का अनुमान इसी से हो सकता है कि राजनैतिक रूप से या युद्धरत रहने के कारण अखबारी सुर्खियों में बने रहने वाले देश इराक, तुर्की, जार्डन, सीरिया और लेबनान सूखे से प्रभावित चलते रहते हैं। वहाँ भूगर्भ में तेल कितना ही हो जल एक दुर्लभ वस्तु है। परन्तु पर्यावरण में सुधार लाने के लिए विचार करने के स्थान पर वहाँ धीमे प्रवाह से बह रही नदियों के जल पर अधिकार जताया जाता रहा है और ऊँचाई की जलधारा वाले देशों पर नीचाई की जलधारा वाले देशों को जलापूर्ति रोकने के आरोप-प्रत्यारोप ही चलते रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध नील, नाइजर, कोंगो नदियों का महाद्वीप अफ्रीका भी जलाभाव के संकट के दौर से गुजर रहा है। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और लड़कियों को सुदूर कुओं से पानी भरकर लाने में बहुत अधिक समय खपाना पड़ता है। वहाँ के उद्योग न केवल जलाभाव से अपितु मानव संसाधन के अभाव से भी जूझ रहे हैं। विचारणीय विषय यह है कि अमरीका, यूरोप और जापान में इतनी प्रचुर मात्रा में जल कैसे उपलब्ध है कि वहाँ अबाध रूप से औद्योगिक विकास बढ़ता जा रहा है जबकि दूसरी ओर विकासशील और अविकसित देश जनता को पीने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं करा पाते। सामान्यत: विकसित देशों का जनसंख्या घनत्व कम होना एक कारण बताया जाता है। परन्तु यह एक भ्रम ही है जो जापान के जनसंख्या घनत्व पर विचार करते ही टूट जाता है। अमरीका से 12 गुना जनसंख्या घनत्व रखने वाले जापान में जलाभाव का संकट नहीं है। इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जापान का जनसंख्या घनत्व 336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो भारत के 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक ही था। फिर भी

दोनों देशों की जल उपलब्धता में बहुत अंतर क्यों है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। भारत में नदियों के प्रवाह धीमे होते जा रहे हैं और भूगर्भ जल नीचे बैठता जा रहा है। यह एक सामान्य प्रेक्षण है। इस विषय पर कर्नाटक राज्य के पूर्व सचिव येलप्पा रेड्डी ने 1980 से 2000 तक कर्नाटक के पश्चिमी घाटों का पर्यावरणीय अध्ययन कर कहा कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता और प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न पश्चिमी घाट दोनों पूर्व-प्रवाही और पश्चिम-प्रवाही नदियों के लिए जलकोश हैं। इस जल संसाधन को बनाए रखने में वन की वनस्पति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वनों को केवल आर्थिक उत्पाद के रूप में नही देखा जाना चाहिए। रेड्डी का कथन है कि वन जल, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के पुनर्चक्रण में सहायक हैं और मृदा का संरक्षण करते हैं। येलप्पा रेड्डी का निष्कर्ष है कि भूमि अतिक्रमण के प्रति उदारवादिता, भूमिहीनों के पुनर्वास और बहुतेरी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं के चलते पश्चिमी घाट बुरी तरह दरक चुके हैं और इस कारण कर्नाटक राज्य का जलतंत्र प्रभावित हुआ है।

कुछ वर्ष पूर्व भोपाल स्थित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय की ओर से भूमि एवं वन के वैधानिक स्तर का अध्ययन किया गया। शोधकर्त्ताओं ने अनुभव किया कि वन संरक्षण अधिनियम के होते हुए भी प्रबंधन की कमी के कारण मध्यप्रदेश का वनक्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा वनक्षेत्र है, आधुनिक औद्योगिक घनी जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र में परिणत होता रहा। वनक्षेत्र नष्ट होने से, वृक्षों की कटाई से भूमिगत जल-स्तर में गिरावट आती है, यह तथ्य शोध कार्यों से स्पष्ट होता है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan) के समीक्षात्मक मूल्यांकन में भी ऐसे ही तथ्य उजागर हुए हैं। जल संसाधन रिक्तता का कारण वन-विनाश है, यह तथ्य एकदम स्पष्ट है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि भारत जैसा देश जो एक-मंजिली आवासीय बस्तियों के विस्तार से वनविहीन हो चला है, किस प्रकार पुनः सघन वनीकरण की दिशा में बढ़े। विकसित देशों और विकासशील-अविकसित देशों के निर्माण कार्यों में एक बड़ा अंतर यह है कि विकसित देशों में बहुमंजिले आवास और पर्याप्त चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं और ऐसा शहरीकरण सामान्यत: पठारी क्षेत्र में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यत: सघन वन या तो पूर्ववत रखे गए हैं या अज्ञानतावश वन विनष्ट होने की स्थिति में 1970 से 1980 के दशकों में फिर से पर्वतीय क्षेत्रों का वनीकरण किया गया है।

10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को पूरी दुनिया में वानिकी दिवस मनाया जाता है, उसके एक दिन बाद (22 मार्च को) जल दिवस भी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस। वन, जल, पृथ्वी और पर्यावरण ये चारों एक दूसरे के परिपूरक हैं। भूगर्भ जल का स्तर ऊपर उठे, नदियों के प्रवाह में तेजी आए और मानसून पूरी पृथ्वी पर घुमड़े, इसके लिए सघन वनीकरण पहली आवश्यकता है। यदि विश्व के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में सघन वनीकरण होता है तो इसके परिणाम पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्त्व के होंगे और जल संकट अवश्य ही हल होगा। हमारे देश भारत में अच्छा भूप्रबंधन हो, तभी जल संसाधन, वानिकी या पर्यावरण दिवस मनाने की सार्थकता है।

6/134 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर-334004
मो. 09636291556

इस माह का गीत

यह क्रम है संसार का

गिरकर उठना उठकर चलना
यह क्रम है संसार का
कर्मवीर को फर्क न पड़ता
किसी जीत या हार का
यह क्रम है संसार का।।

जो भी होता है घटना-क्रम,
रचता स्वयं विधाता है,
आज लगे जो दंड वही
कल, पुरस्कार बन जाता है।
निश्चित होगा प्रबल समर्थन,
अपने सत्य विचार का।
कर्मवीर को फर्क न.....।।1।।

कर्मों का रोना रोने से,
कभी न कोई जीता है,
जो विष-धारण कर सकता है,
वह अमृत को पीता है।
संबल और विश्वास हमें है,
अपने दृढ़ आधार का
कर्मवीर को फर्क न.....।।2।।

त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो,
त्रुटियाँ हो जाती वरदान,
मानव सदा अपूर्ण रहा है,
पूर्ण रूप होते भगवान।
चिंतन मंथन से पथ मिलता,
त्रुटियों के परिहार का
कर्मवीर को फर्क न.....।।3।।

गिरकर उठना उठकर....यह क्रम है संसार का....

संकलनकर्त्ता-**चनणाराम**
A.B.E.E.O.
कार्या.जि.शि.अ. (प्रारं.शि.), बाड़मेर
मो. 8003890180

सूरदास जयंती विशेष

सूर की भक्ति-पद्धति

❐ रामकिशोर

सूर की भक्ति-पद्धति का मेरुदण्ड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भगवान की भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है- पोषणं तदनुग्रहः। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के दो रूप बताए गए हैं- साधन रूप और साध्य रूप। साधन-भक्ति में भक्त को प्रयत्न करना होता है, किन्तु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। पुष्टिमार्गीय भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, भक्त तो अनुग्रह पर भरोसा करके शान्त बैठ जाता है। इस मार्ग में भगवान् के अनुग्रह पर ही सर्वाधिक बल दिया जाता है। भगवान् का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है।

जा पर दीनानाथ ढरैं।
सोइ कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जा पर कृपा करैं।
सूर पतित तरि जाय तनक में जो प्रभु नेक ढरैं।।

भगवत्कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति-पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य है- ज्ञान, योग, कर्म, यहाँ तक कि उपासना भी निरर्थक समझी जाती है। उन्होंने भगवत् आसक्ति के एकादश रूपों का वर्णन किया है। नारदभक्तिसूत्र के अनुसार आसक्ति के एकादश रूप इस प्रकार हैं- गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, सख्याशक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति, दास्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति और परम विरहासक्ति।।

यद्यपि सूर ने इन सभी का वर्णन किया है किन्तु उनका मन सख्य, वात्सल्य, रूप, कान्त और तन्मय आसक्ति में अधिक रमा है। तन्मयासक्ति का उदाहरण देखिए

उर में माखन चोर गड़े
अब कैसेहू निकसत नहिं ऊधौ,
तिरछे ह्वै जु अड़े।।

सूरदास के आराध्य बालकृष्ण ही थे, अतः उन्होंने श्रीकृष्ण के पूर्वार्द्ध जीवन पर ही विशेष प्रकाश डाला। भागवत का आधार लेते हुए भी सूरदास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण नितांत मौलिक रूप से किया है। भागवत के कृष्ण शक्ति के प्रतीक हैं और सूर के कृष्ण इस गुण से समन्वित होते हुए भी प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रेम और माधुर्य की व्यंजना

बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव हुई है। सूरदास ने कृष्ण के प्रेमपूर्ण जीवन में मौलिकता रखी है। कृष्ण की बाल-क्रीड़ाओं के साथ ही गोपियों के साहचर्यजनित प्रेम का विकास भी होता रहता है। गोपियाँ कृष्ण की छवि पर रीझ चुकी हैं, कृष्ण माखन चुराकर उन्हें उकसाते हैं और प्रेम का भव्य रूप प्रकट होता है। इस प्रेम के प्रारम्भ काल में ही राधा से कृष्ण का परिचय होता है-

खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी।
गये स्याम रवि तनया के तट,
अंग लसत चंदन की खोरी।।
औचक ही देखी तहँ राधा,
नैन बिसाल भाल दिए रोरी।।
सूर स्याम देखत ही रीझे,
नैन-नैन मिलि परी ठगोरी।।

संयोग शृंगार के वर्णन में सूर ने कृष्ण के रूप का चित्रण, गोपी, राधा और कृष्ण का एक-दूसरे के प्रति आकर्षण एवं साहचर्य और प्रेमलीला का चरम रूप 'रास' वर्णित किया है। यहीं से फिर वियोग का वर्णन आता है। कृष्ण चले जाते हैं, गोपियाँ उदास हो जाती हैं। कृष्ण उन्हें सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजते हैं। वियोग की चरम स्थिति का व्यंजक भ्रमर गीत का प्रसंग उपस्थित होता है। वहाँ उद्धव के तर्कों से पीड़ित होकर गोपियाँ भी तर्क-प्रबल हो जाती हैं और भाव पक्ष दब जाता है।

सूर का काव्य गीत-काव्य है। इसमें राग-रागनियों का विशेष सहारा लिया है, इसीलिए सूर के पद संगीत के क्षेत्र में इतने सम्मानित हुए। सूर ने कृष्ण के जीवन से कतिपय मार्मिक स्थल चुनकर अपना भाव संयोजन किया है। इस काव्य का सबसे बड़ा गुण उनकी सहज अन्तःप्रेरणा है, जिससे प्रेरित होकर उनका काव्य मार्मिक बन गया है। कीर्तन करने हेतु तल्लीन होकर जिन पदों की रचना सूरदास ने की, वे अपनी सहज अनुभूति में गेय हो उठे हैं। सूर को उनमें संगीतात्मकता भरने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा वरन् संगीत तो सहज रूप में ही उनके काव्य का प्राण-तत्त्व बन गया है-

निर्गुण कौन देश को वासी।
मधुकर हँसि समुझाय,
सौंह दै बूझति साँच न हाँसी।।

सूर की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की सहजता, उनके चित्रोपम स्वाभाविक वर्णन में स्पष्ट परिलक्षित होती है।

जग में जीवत ही को नातो
मन बिछुरैं तन छार होइगो,
कोउ न बात पुछातौ

सूर के पदों में राग और ताल का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि इनकी रचना ही गायन के लिए हुई थी। सूर के पदों में शब्दों का चुनाव एवं उनकी सजावट स्वर लय के साथ की गई है। इसलिए संगीत के संयोग से उनके भावों में मार्मिकता आ गई है और भावों के सौंदर्य से संगीत भी मर्मस्पर्शी बन गया है। कवि का ध्यान छन्द-रचना की ओर न होकर राग-रागिनियों एवं स्वर-साधना की ओर है। सूरदास जी की जीवनी से भी स्पष्ट विदित होता है कि वे संगीतशास्त्र के अच्छे ज्ञाता एवं उच्च कोटि के गायक थे। सूर के पदों के गेयत्व का स्वरूप शास्त्रीय संगीतज्ञ ही भली-भाँति जान सकता है। सूर के पद जब अपने पूर्ण संगीतमय रूप में गाए जाते हैं तो बड़े प्रभावोत्पादक हो जाते हैं। संगीतात्मकता की दृष्टि से सूर-काव्य अत्युत्तम है। सूर ने अपने पदों में राग-रागिनियों का प्रयत्नपूर्ण आधान नहीं किया, वरन् उनकी

हृदयानुभूति अपने सहज रूप में स्वर ताल-लय से आबद्ध होकर ही अन्तःकरण से निसृत हुई है, क्योंकि राग-रागनियों का निर्माण अन्तःकरण में होता है। संगीत-तत्व की रक्षा के लिए सूरदास जी प्रसाद-गुण-प्रधान शब्दावली को अधिक ग्रहण करते हैं, किन्तु जब संस्कृत गर्भित शब्दावली को ग्रहण करते हैं, तो उन पर स्वरों के अनुकूल ऐसी रंगत लाते हैं कि वह भी नाद-सौंदर्य के अनुरूप हो जाती है-

सोभित कर नवनीत लिए।
घुटुरुन चलत रेनु तन-मंडित
मुख दधि लेप किए।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास की कवित्व शक्ति का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है- ''सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकारशास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे-पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद-पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जान-बूझकर अलंकार का उपयोग कर रहा है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइए, केवल उपमाओं और रूपकों की छटा, अन्योक्तियों का ठाठ, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार-यहाँ तक कि एक ही चीज दो-दो, चार-चार, दस-दस बार तक दुहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ।''

भाषा की दृष्टि से भी सूर अपनी विशेषता रखते हैं। उन्होंने काव्य में भाषा को इतना सुन्दर और आकर्षक रूप दिया कि लगभग चार-सौ वर्षों तक उत्तर-पश्चिम भारत की कविता का सारा राग-विराग, प्रेम-प्रतीति, भजन-भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। सूरदास हिन्दी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन् कृष्ण-काव्य की विशिष्ट परम्परा को भी जन्म दिया।

व्याख्याता
रा. सादुल उ.मा.वि. बीकानेर
मो : 9414604631

महावीर स्वामी जयंती विशेष

कल्याण और विकास का हेतु 'संयम'

□ देवेन्द्र पण्ड्या

''नास्ति येषां यशः कायेजरामरणजं भयम्''
-नीतिशतकम्

अर्थात ''जिनका पंच भौतिक शरीर मृत्यु को प्राप्त करने पर भी उनका यशरूपी शरीर इस संसार में सर्वदा अमर ज्योति रूप में बना रहता है।''

ऐसी ही एक दिव्य ज्योति पाँच सौ वर्ष ईसा पूर्व वैशाली राज्य के कुंडल गाँव में मनुष्य रूप में अवतरित हुई जिसका वर्धमान के रूप में नामकरण हुआ तथा महावीर के रूप में जिसकी पहचान बनी। आगे चलकर यही महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने गए। जैन धर्म अहिंसा धर्म ही है जिसे अनेकांतवाद के आदर्शमय सिद्धांत के रूप में दार्शनिक आधार दिया गया। इसी अनेकांतवाद को ही जैन दर्शन की रीढ़ या आत्मा कहा जाता है। यद्यपि अहिंसा का यह सिद्धांत ऋग्वैदिक संस्कृति के पूर्व ही भारत में था। भगवान ऋषभदेव द्वारा वैदिक व्यवस्था के पूर्व ही 'अहिंसा परमोधर्म' का उपदेश दिया गया था परन्तु भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को ऊँचाई के शिखर पर प्रतिष्ठित करते हुए इसे समाजोन्मुखी बनाकर जैन धर्म का केन्द्र बिन्दु बना दिया। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है कि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा ही परम तप है। अहिंसा ही परम ज्ञान है और अहिंसा ही परम पद है।

अत्यन्त सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिंसा न करना ही अहिंसा है। अहिंसा शब्द 'न+हिंसा' से बना है अर्थात् हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। भगवान महावीर के अनुसार अहिंसा एक महान मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए साहस, धैर्य व पराक्रम की आवश्यकता होती है। यदि महावीर के उपदेशों पर गहराई से चिंतन करें तो हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने तो अहिंसा को व्यापक रूप प्रदान किया है। वैसे भी यह अनुभूत सत्य है कि छोटे जीवों की रक्षा से हमारा जीवन सफल होता है उनके नाश से नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा के दो रूप बताए हैं।

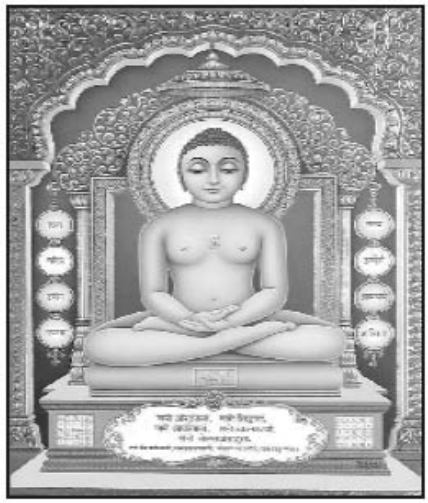

इन्हें हम निषेधात्मक एवं विधेयात्मक रूप में समझ सकते हैं। मन, वचन एवं काया से किसी पर आघात न करना अहिंसा का निषेधात्मक रूप है। साथ ही न केवल स्वयं द्वारा हिंसा नहीं करना अपितु हिंसा करने वाले वाले को नहीं रोकना अथवा उसकी प्रशंसा करना भी हिंसा की श्रेणी में ही गिना जाता है। यही बात हमारे शिक्षा मंदिरों में महावीर जयन्ती को मनाने के औचित्य एवं सार्थकता को पुष्ट करती है। क्रोध, मान, माया अथवा लोभ हिंसा के हेतु हैं। इनसे बचने हेतु हमें क्षमा, मृदुता, सरलता एवं त्याग को अपने जीवन में अपनाना होगा। दूसरी ओर संयम, समता, मैत्री, आत्मीयभाव अहिंसा के विधेयात्मक रूप को दर्शाते हैं। 'सूत्रकृतांग' में तो सबको समान समझने की प्रेरणा दी गई है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी यही उपदेश है कि किसी के साथ भेदभाव न करते हुए सभी को समान रूप से देखना चाहिए।

''सम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम'' (13-28) हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि जो हमारे लिए प्रिय नहीं है उसे हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, संस्कृत भाषा में इसी बात को इन शब्दों में कहा गया है-

'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत'

'सूत्रकृतांग' के अनुसार अहिंसा तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य एवं शाश्वत भी है। महात्मा गाँधी ने तो इसे जीवनभर व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने तो अहिंसा को धर्म का पर्याय बताते हुए इसे जिन्दगी का एक रास्ता स्वीकार किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि जब उन्होंने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति एवं उसके लिए दण्ड दिए जाने की बात कागज पर लिखकर अपने पिताश्री को प्रस्तुत की तब उनके पिताजी उनको डाँटने अथवा मारने के बजाय वे स्वयं चिल्लाकर रो पड़े एवं उनके आँसुओं से कागज भीग गया तथा उन्होंने कागज को फाड़ दिया। यह दृश्य उनके जीवन में अहिंसा का प्रथम सबक बना तथा उन्होंने अपने पिता के आँसुओं को 'Pearl drops of love' कहकर पुकारा एवं कहा कि इन आँसुओं ने उनके द्वारा किए गए पाप को धो दिया था। साथ ही उन्होंने इस घटना पर जो अपनी अनुभूत टिप्पणी दी वो न केवल विद्यार्थियों अपितु मानव मात्र के लिए अनुकरणीय बन गई। "Foregiveness is a great virtue, and Ahimsa can win over an enemy."

वस्तुतः अहिंसा, अपने सक्रिय रूप में, सम्पूर्ण जीवन के प्रति एक सद्भावना है, यही विशुद्ध प्रेम भी है। यह तो हृदय का गुण है। यह तो आत्मा का स्वभाव है। इसी कारण भगवान महावीर ने अपने पाँच सिद्धान्त जिन्हें महाव्रत कहा जाता है में इसे प्रथम स्थान दिया यथा (अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य)। उनके मतानुसार अहिंसा सभी प्रकार के सुखों का आधार है। यहाँ तक कि सत्य के दर्शन का आधार भी अहिंसा ही है। अहिंसा आदमी और पशु के बीच अन्तर समझना सिखाती है। सारा समाज अहिंसा पर उसी प्रकार कायम है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी अपनी स्थिति में बनी हुई है।

भगवान महावीर ने कहा कि हिंसा असंयम की प्रतीक है, जबकि अहिंसा का अर्थ है 'संयम तथा अप्रमाद'। ऐसी स्थिति में मानसिक हिंसा शून्य हो जाती है। संयम का अर्थ है निग्रह करना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महावीर ने अहिंसा एवं संयम की बात मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत की, वस्तुतः किसी भी व्यक्ति को कायिक, मानसिक एवं वाचिक रूप में आघात नहीं पहुँचाने की भावना से दूसरों में दया का भाव प्रादुर्भाव होता है तथा यही दया का भाव आगे जाकर प्रेम भाव को विकसित करता है तथा उसे मजबूत आधार प्रदान करता है। प्रेम भाव के बढ़ने से मैत्री का भाव विकसित होता है तथा यही भाव निःशस्त्रीकरण की प्रेरणा देता है। इसी में कल्याण का मार्ग, विकास का मार्ग तथा वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव छिपा हुआ है। यही भाव लोक कल्याणक् है। इसे प्राणिमात्र को अपने जीवन में व्यवहृत करना है।

भगवान महावीर ने अपने इस अहिंसा के सिद्धान्त को बहुत ही व्यापकता प्रदान की है। उनके मतानुसार हमें अहिंसा को किसी का खराब न करना अथवा किसी को नुकसान पहुँचाने की इच्छा ही नहीं करना तक सीमित न करते हुए इसके सकारात्मक पक्ष को भी समझने की आवश्यकता है। हमें अपना ध्यान सर्वसामान्य की भलाई, उनकी उन्नति एवं प्रगति की ओर केन्द्रित करना है तथा इसी भाव से आगे बढ़ने हेतु तत्पर रहना है। उन्होंने बताया कि अहिंसा अर्थात् कार्यों की अहिंसा, जीव दया अर्थात् हृदय की अहिंसा, अनेकान्त अर्थात् विचारों की अहिंसा और अपरिग्रह अर्थात् व्यवहार की अहिंसा।

प्रसन्नता इस बात की है कि भगवान महावीर के विचारों की आज भी आवश्यकता अनुभव की जा रही है एवं ये हर युग में प्रासंगिक

बने रहे हैं, साथ ही महावीर के पूर्व और महावीर के बाद भी विश्व के सभी महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्रों एवं महापुरुषों ने समय-समय पर इसकी उपादेयता को सिद्ध किया है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी अहिंसा को रेखांकित करते हुए कहा गया है-

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।।
(16-2)

अर्थात् मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करना, चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निन्दादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, आसक्ति का अभाव, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव आदि मानवमूल्य आधारित गुणों को अपनाने से ही लोककल्याण, शान्ति व सुख का मार्ग प्रशस्त होता है।

अस्तु, भगवान महावीर के उपदेशों में अभिव्यक्त अहिंसा एवं संयम व अपरिग्रह के विचारों से मानव जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं है, ये विचार जीवन में कर्तव्य के रूप में प्रतिष्ठित दिखाई दे रहे हैं। संयम एवं अहिंसा का यही विचार सह अस्तित्व, समन्वय, सहिष्णुता तथा विश्वबन्धुत्व की भावना को जन्म देता है। आवश्यकता है महावीर के जीवन दर्शन को अपने स्वयं के जीवन में व्यवहृत करने की, इसे अपनाने हेतु सतत् अभ्यास की। क्योंकि यह श्रद्धा का विषय है, अनुभव का विषय है, ईश्वर में विश्वास का विषय है, प्राणिमात्र के प्रति दुर्भावों को त्यागने का विषय है, और यही सच्चा मानव धर्म है इसका आधार आत्मनिरीक्षण है। निःसंदेह हमारे शिक्षा मंदिर इनके सृजन के अक्षय स्रोत हैं। इन्हीं शाश्वत मूल्यों के आवाहन हेतु उनकी जयन्ती के अवसर पर भगवान महावीर को शत् शत् नमन।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
सिविल लाइन्स, गढ़ी,
बांसवाड़ा-327022

हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है।
अपना तन, मन, जीवन सब ही माटी का उपहार है।

जन्म दिवस विशेष

अद्वैतवाद के प्रवर्त्तक-आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य

❒ सतीशचन्द्र श्रीमाली

आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब हमारे राष्ट्र में अविद्या के वितान के कारण सनातन वैदिक धर्म की व्याख्याएँ मनमाने ढंग से की जाने लगी। जिससे मानवीय मूल्यों का ह्रास होने लगा। धर्म की ओट में अनाचार-दुराचार समाज में व्याप्त हो गया। धर्म अनेक मतों में बँट गया, कतिपय व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बताकर समाज को बाँटने लगे। इस दुष्प्रभाव से एक ओर समाज में शोषण, वर्ग-भेद, ऊँच-नीच, अस्पृश्यता तथा ढोंग जैसी अनेक बुराइयाँ चरम पर थी, वहीं दूसरी ओर इस दुष्प्रभाव से शासक वर्ग भी कमजोर हो रहा था, जो सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय था।

धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण राष्ट्र के त्रस्त लोगों को सम्बल देने, तथाकथित धर्माचार्यों को 'धर्म' की सही व्याख्या से अवगत करवाने हेतु तथा समाज के कल्याण हेतु 'ज्ञान' की भूमिका को सर्वोपरि स्थापित करने हेतु भारत के दक्षिण में सुदूर मालावर प्रान्त के कालाड़ी ग्राम (पूर्णा नदी के तटस्थ) जो चेर साम्राज्य (वर्तमान में केरल) के अन्तर्गत था, में 788 ई. को **वैशाख शुक्ल पंचमी** के दिन मध्याह्न काल में तपोनिष्ठ तैतिरीय शाखा के यजुर्वेदी नामपुद्रि ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्रीमती आर्याम्बा देवी के कुक्ष से एक ज्योति पुंज साक्षात् भगवान चन्द्रमौलिश्वर बालक के रूप में अवतीर्ण हुए। जिन्हें शंकर नाम दिया गया। यही बालक 'श्री आद्य शंकराचार्य' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

अद्वैतवाद के प्रवर्तक श्री शंकराचार्य का जीवनकाल मात्र 32 वर्ष रहा। परन्च इतनी अल्पायु में उन्होंने समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए वे कार्य किए जो आज भी हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले हैं। इन्होंने लगभग 280 ग्रन्थ लिखे। इनमें सर्वाधिक महत्व के ब्रह्मसूत्र, गीता एवं दस उपनिषदों पर लिखे भाष्य तथा तंत्र साहित्य में 'सौन्दर्यलहरी' व 'प्रपंच सार' प्रमुख हैं।

श्री शंकराचार्य ने जीव मात्र में 'ब्रह्म' की उपस्थिति मानी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति से समानता का व्यवहार करना ही उनका उपदेश था। प्रसंगवश काशी में घटित घटना का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है- जिसमें उन्होंने एक चाण्डाल को जो सपत्नीक जा रहा था, उसे मार्ग से दूर हटने को कहा! चाण्डाल ने उन्हें कहा- ''हे द्विजवर! आपने अन्नमय शरीर को अन्नमय शरीर से दूर होने के लिए कहा है अथवा चैतन्य को चैतन्य से अलग करने के लिए दूर हटने को कहा? क्या गंगाजल में या चाण्डाल गृह के पिछवाड़े के कीचड़ में प्रतिबिम्बित होने से अम्बर-मणि सूर्य में कुछ अन्तर आ जाता है? स्वर्ण के पात्र में या मिट्टी के पात्र में प्रतिबिम्बित आकाश में क्या कुछ भेद है? जैसे सूर्य व आकाश प्रतिबिंबन व उपाधि ग्रहण से असंग हैं- उसी प्रकार निस्तरंगित सहजानन्द सागर रूप प्रत्यागात्मा द्विज, चाण्डाल आदि भेदों से नितरां, अस्पृष्ट है- ये भेद महान् भ्रम मात्र हैं।''

आचार्य शंकर ने इस घटना को उजागर किया और इसे समाज में जन-जन तक पहुँचाने के लिए 'मनीषा-पंचक' नामक रचना की। चूँकि वे मानते थे कि मानव जाति का उत्थान तभी सम्भव है जब भेद भाव दूर होंगे। इस भ्रम से दूर रहकर ही समाज में भाईचारा-सहयोग बढ़ेगा तभी राष्ट्र में एकता की भावना परिलक्षित होगी।

श्री शंकराचार्य ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया एवं तथाकथित आडम्बरयुक्त धर्माचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्हें पुनः सही मार्ग से जोड़ा। संस्कृति के प्रमुख केन्द्र रहे मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की- उत्तर में-ज्योतिर्मठ, दक्षिण में- शृंगेरी मठ, पश्चिम में-शारदा मठ व पूर्व में-गोवर्धन मठ! इन सभी मठों में उन्होंने ज्ञान-विज्ञान से युक्त श्रेष्ठ आचार्यों को पदासीन किया। ये मठ शिक्षा और संस्कृति के केन्द्र बने। समूचे राष्ट्र में एकात्मता का भाव रखने में भी ये सहायक रहे। ये कार्य उनकी राष्ट्रभक्ति का परिचायक भी है।

आचार्य शंकर ने समाज को जागृत करने के लिए एक ओर जहाँ वैदिक साहित्य की गूढ़ता को उनके भाष्य लिखकर सरल बनाया वहीं दूसरी ओर उन्होंने ऐसी रचनाएँ की हैं, जिन्हें पढ़कर हम अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों से मुक्त रह सकते हैं। उन्होंने 'ज्ञान' प्राप्ति को सर्वोपरि माना है चूँकि अन्तःकरण की शुद्धि ज्ञानार्जन से ही प्राप्त होती है। 'ज्ञान' जीवन को भटकने व विकृतियों से दूर रखता है। 'चपर्टमञ्जरी' एक ऐसी रचना है जो समाज में घटित व्यवहारों को प्रतिबिम्बित करती है। इसमें कहा गया यह पद 'ज्ञानार्जन' की ओर प्रेरित करता है-

कुरुते गंगा सागर गमनं व्रतपरिपालनमथवादानम्।
ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन्।।

आचार्य शंकर के जीवन में घटित प्रत्येक घटना समाज को प्रेरणा देती है। गुरुकुल में रहते हुए वहाँ की परम्परानुसार एक बार भिक्षार्थ गाँव में गए। वे जिस घर से भिक्षा लेने गए वहाँ उन्हें भिक्षा में देने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। अतः उन्हें सूखा आँवला देते हुए उस घर की महिला ने कहा- घर में और कुछ भी खाद्यान्न नहीं है। उस महिला की विपन्नता देख वे द्रवीभूत हो गए। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के बल पर लक्ष्मी की स्तुति करके उस परिवार की विपन्नता को दूर किया। यह घटना भी हमें प्रेरणा देती है कि- आप जिनसे जो प्राप्त करना चाहते हैं और यदि वे सक्षम नहीं हो तो उनके कल्याण के लिए आप अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करें।

आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य के जीवन दर्शन पर लिखना दुरुह कार्य है तथापि हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। चूँकि उन्होंने मानव-जाति के कल्याण हेतु अल्पायु में वे कार्य किए जो सभी को विस्मय करने वाले हैं। उनके जन्म लेने की आवश्यकता को यदि हम श्रीमद् भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय के सप्तम् और अष्टम् श्लोक से पुष्टि करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसमें गया है कि-

यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।

जस्सूसर गेट रोड,
धर्म काँटे के पास, बीकानेर (राज.)
मो : 9414144456

आदेश-परिपत्र : अप्रैल, 2017

● 1. Installation of Automated Sanitary Napkin Vending Machines and Sanitary Napkin Incinerators in all the schools and educational institution for benefit of menstruating girls/women. ● 2. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत माध्यमिक शिक्षा में आवश्यक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सम्बन्ध में। ● 3. विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत्। ● 4. प्रारंभिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं विद्यालय संचालन से संबंधित कार्यों हेतु संसाधन जुटाना। ● 5. कक्षा 5, 8 एवं 10 में बोर्ड की परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय में अस्थाई प्रवेश देते हुए नियमित कक्षा संचालन सुनिश्चित करने बाबत्। ● 6. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना आयोग में दर्ज अपील/परिवादों के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नियुक्ति बाबत। ● 7. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) की पालना में सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित करने बाबत। ● 8.मंत्रालयिक पदों की नियुक्ति के अधिकारों को अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदत्त करने की स्वीकृति। ● 9. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 की धारा-6 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों की फीस का निर्धारण एवं अधिनियम की धारा-3 के अनुसार समिति द्वारा अनुमोदित फीस से अधिक फीस संग्रहित नहीं किए जाने की पालना सुनिश्चित कराने बाबत्। ● 10.पदनाम- स्पष्टीकरण बाबत्। ● 11.राज्य सरकार को पत्राचार हेतु प्रेषित किए जाने वाले पत्र/प्रकरणों पर संबंधित विभागाध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने बाबत्। ● 12. शाला पोशाक (शाला गणवेश) का पुनः निर्धारण। ● 13.अध्ययनरत विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र विद्यालय स्तर पर जारी करवाकर दिए जाने बाबत्। ● 14. शाला सिद्धि पोर्टल पर विद्यालयों की फीडिंग के संबंध में दिशा निर्देश। ● 15. राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारु संचालन व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु। ● 16. समस्त राजकीय विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव-2017 के आयोजन के सम्बन्ध में। ● 17. राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्ययोजना : 2017-18 ● 18. राज्य के जिलों में जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश।

1. Installation of Automated Sanitary Napkin Vending Machines and Sanitary Napkin Incinerators in all the schools and educational institution for benefit of menstruating girls/ women.

● कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा-स/विविध/नि.सै.नै.वि.यो./2016 दिनांक 03.03.2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय ● विषय : Installation of Automated Sanitary Napkin Vending Machines and Sanitary Napkin Incinerators in all the schools and educational institution for benefit of menstruating girls/women. ● प्रसंगः उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर का पत्रांक प.24(1) शिक्षा-6/2016 दिनांक 30.01.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में पूर्व में प्राप्त पत्र शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-।) विभाग, जयपुर के पत्रांकः प.14(2) शिक्षा-।/सीएम निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 27.09.16 द्वारा आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिक्षक दिवस पर दिए गए निर्देशों के क्रम में सेनेटरी नेपकीन डिसपेंसर एवं इंसीरेटर स्थापित किए जाने बाबत निर्देशित किया था।

आपको पुनः आटोमेटिक सैनेटरी नेपकीन वैंडिंग मशीन एवं सेनेटरी नेपकीन इंसीरेटर सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में लगाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उक्त निर्देश की पालना में पूर्व में प्रसारित पत्र दिनांक 06.10.16 की शर्तें यथावत रहेगी। पालना से उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर एवं इस कार्यालय को सूचित करें।

● **(अरुण कुमार शर्मा)** उप निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

2. राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत माध्यमिक शिक्षा में आवश्यक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सम्बन्ध में।

● कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/6डी/17 दिनांक 02.03.2017 ● समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक ● विषयः राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत माध्यमिक शिक्षा सेवा में आवश्यक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सम्बन्ध में। ● प्रसंगः शासन का पत्रांक प-17(2) शिक्षा-2/2013 दिनांक 27.02.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापक ग्रेड-।।। के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत दिनांक 1.4.2017 की (सम्भावित) स्थिति के अनुसार निम्नांकित प्रारूप में जिलेवार सूचना शासन को जरिये ई-मेल sectteducationgroup2 @gmail.com एवं इस कार्यालय को ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सूचना दिनांक 01.04.17 की स्थिति

क्रम	पद नाम	विषय	माशि के अध्यापक	प्रशि के अध्यापक		6 डी से लेने हेतु उपलब्ध पद	6 डी से लेने हेतु उपलब्ध होने वाले शिक्षक	प्राशि को स्थानान्तरित /सौंपें जाने वाले शिक्षक
				6 डी से माशि में ही समायोजित होने वाले	माशि में समायोजित नहीं होने वाले			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

● **संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण),** माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

3. विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत्।

● राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ● क्रमांकः प. 21(16) प्राशि/आयो/एस एम सी/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक : 19.10.2016 ● 1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर 2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। ● विषय : विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत्।

निर्देशानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग द्वारा पूर्व में सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) गठित कर पंजीयन सहकारी समिति अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत करने के निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशों की पालना में अधिकांश राजकीय विद्यालयों में उक्त समितियों का पंजीयन हो चुका है।

विद्यालयों के विकास हेतु दानदाताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चन्दा आदि प्राप्त किया जाता है। इस दान राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु सभी विद्यालय विकास समितियों और विद्यालय प्रबन्ध समितियों का आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत आयकर विभाग में पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है। इस हेतु आयकर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश की प्रति परिशिष्ठ–A, स्थाई खाता संख्या (PAN) जारी करने हेतु आवेदन पत्र फार्म संख्या 49A परिशिष्ठ–B, फार्म संख्या 10 A application for registration of charitable or religious trust or institution under section 12A (a) of the Income tax Act,1961-Annexure-C, Form No. 10G-application for grant of approval or continuance thereof to institution or fund under section 80G(5)(vi) of the Income Tax Act, 1961 Annexure-D संलग्न है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5)(6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12ए के अन्तर्गत आयकर विभाग में पंजीयन करवाने हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी हैः–

1. जिन विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का सहकारिता विभाग में पंजीयन नहीं हुआ है तो उन विद्यालयों में तत्काल समिति का पंजीयन सहकारिता विभाग में करवाया जावें।
2. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5)(6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए के अन्तर्गत सभी विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन आयकर विभाग में करावें।
3. सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/ विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर समिति में से किसी एक पदाधिकारियों को निम्नानुसार कार्य करने हेतु अधिकृत किया जावेः–

अ. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/ विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) विकास कोष हेतु समिति का बैंक खाता खुलवाने हेतु।

ब. आयकर कार्यालय में पैन (PAN) कार्ड आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

स. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी (5)(6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए के अन्तर्गत सभी विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन आयकर विभाग में 80जी में छूट बाबत आयुक्त (छूट), आयकर कार्यालय जयपुर में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

अधिकृत पदाधिकारी उक्त कार्य शीघ्र सम्पादित करवाएँ।

अतः आपके अधीन संचालित ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें अभी तक विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल पंजीयक, सहकारी समितियाँ, सहकारिता विभाग से पंजीयन करवाने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करें। इसके पश्चात आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी एवं 12ए के तहत छूट प्राप्त करने हेतु उपर्युक्तानुसार सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यवाही करवाना सुनिश्चित कर सूचना इस विभाग को तत्काल भिजवावें।

● **(सुनील कुमार शर्मा)** संयुक्त शासन सचिव, प्रार. शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर।

4. प्रारंभिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं विद्यालय संचालन से संबंधित कार्यों हेतु संसाधन जुटाना।

● परिपत्र ● राजस्थान सरकार ● प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग ● क्रमांकः 21(16)प्राशि. /आयो/2016 जयपुर दिनांकः 22.11.2016 ● परिपत्र ● प्रारम्भिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों के संचालन को और बेहतर बनाने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों/जनसमुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/ विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अभिभावकों/जनसमुदाय से स्वेच्छा से देय राशि विद्यालय विकास निधि के रूप में प्राप्त की जाएगी। अभिभावकों/जनसमुदाय द्वारा स्वेच्छा से विद्यालय विकास निधि के रूप में दी गयी राशि का लेखा–जोखा विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)/ विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) के कोष में रखा जावेगा।

विद्यालय विकास निधि का उपयोग विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं विद्यालय संचालन से संबंधित कार्य यथा-पानी-बिजली के बिल का भुगतान, विद्यालय की साफ-सफाई विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन के लिए श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, स्टेशनरी एवं शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) आदि हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के प्रस्तावानुसार किया जा सकेगा। विद्यालय विकास निधि के अतिरिक्त विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि/अन्य स्रोत से प्राप्त राशि का लेखा-जोखा भी पूर्ववत विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)/ विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के कोष में ही संधारित किया जाएगा।

● **(सुनील कुमार शर्मा)** संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर।

5. कक्षा 5, 8 एवं 10 में बोर्ड की परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय में अस्थाई प्रवेश देते हुए नियमित कक्षा संचालन सुनिश्चित करने बाबत्।

● कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक-शिविरा-माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/ 2016-17/ दिनांक 22.02.2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक-प्रथम/द्वितीय ● विषयः कक्षा 5, 8 एवं 10 में बोर्ड की परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय में अस्थाई प्रवेश देते हुए नियमित कक्षा संचालन सुनिश्चित करने बाबत्। ● प्रसंग : शिविरा पंचांग वर्ष 2016-17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में स्थानीय परीक्षा के अन्तर्गत कक्षा-1 से 4,6,7,9 एवं 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन शिविरा पंचांगानुरूप 13 से 25 अप्रैल-2017 की अवधि में किया जाना है तथा दिनांक : 29 अप्रैल-2017 को वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा/चतुर्थ योगात्मक आकलन के पश्चात् दिनांक : 01 मई, 2017 से नवीन सत्रारम्भ के साथ आगामी कक्षाओं में नियमित रूप से शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा मौजूदा सत्र हेतु कक्षा-8 तथा 10 बोर्ड परीक्षाएँ दिनांक : 09 मार्च से 21 मार्च, 2017 तक तथा कक्षा-12 की बोर्ड परीक्षाएँ दिनांक : 02 मार्च से 25 मार्च, 2017 तक आयोज्य है। इस वर्ष कक्षा-5 के विद्यार्थियों हेतु 'जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन-2017' सम्बन्धित जिले की 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T.)' द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त वर्णित परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम सामान्यतया ग्रीष्मावकाश के दौरान माह मई-जून में घोषित किए जाते हैं। उक्तानुसार कक्षा-5, 8 तथा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औपचारिक कक्षा शिक्षण ग्रीष्मावकाश के उपरान्त प्रारम्भ होता है। दिनांकः 21.06.2017 को **योग-दिवस** का आयोजन होना है तथा ग्रीष्मावकाश उपरान्त दिनांक : 19.06.2017 को विद्यालय पुनः प्रारम्भ होगा।

विगत वर्ष सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् दिनांकः 26 अप्रैल से प्रारम्भ कर दी गई थी तथा कक्षा-8 व 10 बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात् दिया जाकर 01 अप्रैल से आगामी कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विगत वर्ष माह मई-जून, 2016 में राजकीय विद्यालयों में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए थे तथा राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि अभियान आशातीत रूप से सफल रहा था। अतः इस वर्ष भी विभाग द्वारा माह मई एवं जून 2017 में विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में सामान्यतया बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों हेतु स्थानीय परीक्षा आयोजन के तत्काल बाद माह अप्रैल में ही आगामी कक्षाएँ प्रारम्भ कर दी जाती है। उक्त क्रम में राजकीय विद्यालयों में कक्षा- 5, 8 तथा 10 की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों का ठहराव उसी विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात उसी विद्यालय की आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश देते हुए (नामांकन वृद्धि हेतु अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी नव प्रवेश देते हुए) अग्रांकित विवरणानुसार स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए विधिवत कक्षा संचालन किया जाना सुनिश्चित करावें:-

क्र.स	कक्षा, जिसकी परीक्षा में विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ है	आगामी कक्षा, जिसमें अस्थाई प्रवेश दिया जाकर संचालित की जानी है	विधिवत कक्षा संचालन प्रारम्भ करने हेतु निर्दिष्ट तिथि
1.	कक्षा-5	कक्षा-6	08 अप्रैल-2017
2.	कक्षा-8	कक्षा-9	22 मार्च- 2017
3.	कक्षा-10	कक्षा-11	22 मार्च- 2017

उपर्युक्त निर्देशों की पालना क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालयों में सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाई जानी सुनिश्चित करें।

● **(बी.एल.स्वर्णकार)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना आयोग में दर्ज अपील/परिवादों के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नियुक्ति बाबत।

● कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः- शिविरा/मा/सूअप्र/आयोग निर्देश/शास्ति/14-15 दिनांक 28.02.2017 ● परिपत्र ● सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना आयोग में राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने के कारण संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि अपील के सुनवाई के समय माननीय आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें लेकिन राज्य सूचना आयोग से बार-बार नोटिस जारी होने के उपरान्त भी संबंधित

राज्य लोक सूचना अधिकारी नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं जिसके कारण आयोग में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने का वास्तविक कारण प्रस्तुत नहीं हो पाता है। जिसके फलस्वरूप माननीय आयोग द्वारा संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर दी जाती है।

अतः प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक- 05.02.15 एवं 04.07.16 एवं सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर के पत्र दिनांक 09.0217 के अनुक्रम में निर्देशानुसार माननीय सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों/ परिवादों में सुनवाई के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु विभाग के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय का नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, माननीय सूचना आयोग एवं इस कार्यालय को सूचित करावें।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

7. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) की पालना में सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित करने बाबत।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा/सूअप्र/निर्देश/2014-15/88 दिनांक : 02.03.2017 ● 1. समस्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा 2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ● विषय : सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) की पालना में सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित करने बाबत। ● प्रसंग : शासन का आदेश क्रमांक- प.21(8) शिक्षा-2/सहा.सु.अ./2005 जयपुर दि. 14.02.17 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र क्रमांक प.22(16) प्रसु/सूअप्र/2010 पार्ट जयपुर दिनांकः 20.01.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंग में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संदर्भित शासन का पत्रांक-प.21(8)शिक्षा-2/सहा.सु.अ./2005 जयपुर दिनांक 14.02.2017 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र क्रमांक- प.22(16) प्रसु/सूअप्र/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 20.01.2017 की प्रति सलंग्न कर पालनार्थ भिजवायी जा रही है।

● संलग्नः उपर्युक्तानुसार

● **(भवानी सिंह शेखावत)** लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

::- आदेश -::

● राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग ● क्रमांकः प.21(8) शिक्षा-2/सहा.सु.अ./2005 जयपुर, दिनांक 14.02.2017

प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 03.10.2005, 20.02.2006, 11.08.2006, 07.11.2006, 05.03.2007 एवं परिपत्र क्रमांकः प्र.22(16)प्रसू/सूअप्र./2010 पार्ट दिनांक 20.01.2017 की पालना में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत शासन स्तर पर शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग से संबंधित प्रकरणों में शासन सहायक सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग को सहायक लोक सूचना अधिकारी एतद् द्वारा नियुक्ति किया जाता है।

● **(कमलेश आबुसरिया)** राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन उप सचिव-शिक्षा

::- परिपत्र -::

● राजस्थान सरकार ● प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) ● क्रमांक : प्र.22(16)/प्रसू/सूअप्र./2010 पार्ट जयपुर दिनांक 20.01.2017 ● परिपत्र

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) में प्रत्येक लोक प्राधिकरण को सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5(2) की पालना हेतु समस्त लोक प्राधिकरणों को परिपत्र दिनांक 03.10.2005, 20.02.2006, 11.08.2006, 07.11.2006 एवं 05.03.2007 जारी किए गए हैं। परन्तु उक्त परिपत्रों की पालना समस्त लोक प्राधिकरणों द्वारा नहीं की जा रही हैं।

इस संबंध में राज्य सूचना आयोग में अपील संख्या 846/2015 द्वारा श्री वी.के. गुप्ता बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के निर्णय में माननीय आयोग ने निर्देश प्रदान किए हैं कि राज्य सरकार सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के संदर्भ में पूर्व में जारी परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करावे। अतः राज्य के समस्त लोक प्राधिकरणों को निर्देश दिए जाते हैं, कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) की पालना हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 03.10.2005, 28.02.2006, 11.08.2006, 07.11.2006 एवं 05.03.2007 की पालना शीघ्र सुनिश्चित करावें तथा जिन लोक प्राधिकरणों में उपखण्ड स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हैं वहाँ सहायक लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

● **(पवन कुमार गोयल)** प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूअप्र.), जयपुर।

8. मंत्रालयिक पदों की नियुक्ति के अधिकारों को अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदत्त करने की स्वीकृति।

● राजस्थान सरकार ● शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग ● क्रमांक : 10(28) शिक्षा-2/ अधिकार प्रत्यायोजन/2016/ जयपुर, दिनांकः 5/12/2016 ● निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● विषय : मंत्रालयिक पदों की नियुक्ति के अधिकारों को अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदत्त करने की स्वीकृति। ● संदर्भ : निदेशालय के पत्र क्रमांक शिविरा/मा/साप्र/ए-1/1422/02/वो-2/22 दिनांक 02.11.2016 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 2ए(5) के प्रावधानान्तर्गत प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर अधिकार निम्न

प्रकार से प्रदत्त करने की राज्य सरकार की अनुमति प्रदान की जाती है। ये अधिकारी नियुक्ति अधिकारी के रूप में नियुक्ति, वरिष्ठता, पदोन्नति, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण आदि समस्त कार्यों के लिए अधिकृत होंगे।

क्र. सं.	पद का नाम	अधिकारी जिसे नियुक्ति के अधिकार प्रदत्त किये जाने है।
1.	लिपिक ग्रेड द्वितीय	1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/ प्रथम 2. उपनिदेशक (प्रशासन), कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, कार्यालय उप निदेशक समाज शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर।
2.	लिपिक ग्रेड प्रथम, सहायक कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक	1. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अपने परिक्षेत्र में 2. उपनिदेशक (प्रशासन), कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, कार्यालय उप निदेशक समाज शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान बीकानेर।
3.	संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सहायक एवं निजी सहायक	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज., बीकानेर में निहित रहेगा।

● **(कमलेश आबूसरिया)** शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।

9. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 की धारा-6 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों की फीस का निर्धारण एवं अधिनियम की धारा-3 के अनुसार समिति द्वारा अनुमोदित फीस से अधिक फीस संग्रहित नहीं किए जाने की पालना सुनिश्चित कराने बाबत्।

● कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/बी/19426/निजी विद्यालय शुल्क/2016/58 दिनांक 02.03.2017 ● उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त) ● विषय : राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 की धारा-6 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों की फीस का निर्धारण एवं अधिनियम की धारा-3 के अनुसार समिति द्वारा अनुमोदित फीस से अधिक फीस संग्रहित नहीं किए जाने की पालना सुनिश्चित कराने बाबत्। राज्य विधानसभा द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016 पारित कर दिया है और इसे 26 जून, 2016 को अधिसूचना जारी करते हुए 01 जुलाई, 2016 से पूरे राज्य में लागू करने की तिथि नियत कर दी गई है।

उक्त अधिनियम की धारा-19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम की राज्य में प्रभावी क्रियान्विति के लिए राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम-2017 भी अधिसूचित किए जा चुके हैं। साथ ही उक्त अधिनियम की धारा-7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों की पालना में राज्य सरकार द्वारा डीविजनल फीस विनिर्दिष्ट करने में असफल रहने की स्थिति में खण्डीय विनियामक समिति के माध्यम से फीस रेग्यूलेटरी कमेटी का गठन कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्देशित अनुसार डीविजनल फीस रेग्यूलेटरी कमेटी जिसके आप पदेन सदस्य सचिव है, डीविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में तत्काल गठन करावें एवं राज्य के प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय में उक्त अधिनियम के अनुसार फीस का निर्धारण करवाकर विद्यालय स्तरीय फीस निर्धारण समिति से अथवा विद्यालय स्तरीय फीस समिति द्वारा निर्धारित कालावधि के भीतर फीस विनिश्चय करने में असफल रहने की स्थिति में खण्डीय फीस विनियामक समिति के माध्यम से फीस का निर्धारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

अधिनियम की धारा-4 में उल्लेखित अनुसार प्रत्येक विद्यालय के मुखिया (अध्यक्ष/सचिव) को निर्देशित कर शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ से 30 दिवस के भीतर-भीतर अध्यापक अभिभावक संगम का गठन करने, धारा-4 ग के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति गठित करने के लिए इच्छुक माता-पिता सदस्यों की लॉटरी के माध्यम से चयन कराते हुए विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करावें। विद्यालय स्तरीय फीस समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।

1.	अध्यक्ष	- ऐसे प्रबन्ध द्वारा नामनिर्दिष्ट निजी विद्यालय के प्रबंध का प्रतिनिधि
2.	सचिव	- निजी विद्यालय का प्रधानाचार्य
3.	सदस्य	- निजी विद्यालय के प्रबंध द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन अध्यापक
4.	सदस्य	- माता-पिता-अभिभावक संगम से पाँच माता-पिता

अधिनियम की धारा-6 की पालना में प्रत्येक विद्यालय स्तरीय फीस समिति के माध्यम से प्रत्येक निजी विद्यालय की फीस निर्धारित करवाते हुए अधिनियम की धारा-3 की पालना में यह सुनिश्चित करावें कि कोई विद्यालय स्वयं या उसके निमित्त इस अधिनियम के अधीन नियत या अनुमोदित फीस से अधिक कोई फीस संग्रहित नहीं की जावें।

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम 2017 rte.raj.nic.inwebportal पर Online उपलब्ध है। जहाँ से इनकी प्रतियाँ डाउनलोड कर सभी अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराते हुए उसके अनुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें तथा गैर सरकारी विद्यालयों की मीटिंग ली जाकर उन्हें इस अधिनियम तथा इसकी क्रियान्विति हेतु जारी किए गए नियमों की समुचित जानकारी उपलब्ध कराते हुए समयबद्ध रूप से अपने अधीनस्थ प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय की अधिनियम के प्रावधानानुसार गठित विद्यालय स्तरीय फीस समिति के माध्यम से फीस का निर्धारण करवाकर 30 जून, 2017 से पूर्व इस कार्यालय को रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

●निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. पदनाम- स्पष्टीकरण बाबत्।

● राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग ● क्रमांकः प.23(8) विविध/प्राशि/आयो./2015 जयपुर, दिनांक 06.03.2017 ● कार्यालय आदेश ● इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2017 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि आदेश में 'अधिकारियों' शब्द से अभिप्राय समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त शिक्षा उप निदेशक, मण्डल कार्यालय, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी तथा 'कर्मचारियों' शब्द से अभिप्राय स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों से है।

संबंधित समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश/आदेश जारी करेंगे।

● **(सुनील कुमार शर्मा)** संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर।

11. राज्य सरकार को पत्राचार हेतु प्रेषित किए जाने वाले पत्र/प्रकरणों पर संबंधित विभागाध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने बाबत्।

::- आदेश -::

●राजस्थान सरकार ●स्कूल शिक्षा विभाग ●क्रमांक : प.24(01) प्रा.शि./आयो./2015 जयपुर, दिनांक :07.02.2017 ●आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में यह लाया गया है कि प्रायः कई प्रकरणों में अधीनस्थ विभागों यथा निदेशालय प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने वाले पत्र/प्रकरणों में विभागाध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर न किए जाकर अन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किए जाते हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार को पत्राचार हेतु प्रेषित किए जाने वाले पत्र/प्रकरणों पर संबंधित विभागाध्यक्ष/सचिव द्वारा ही हस्ताक्षर कर प्रेषित किए जावें।

कृपया उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

● **(नरेश पाल गंगवार)** शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

12. शाला पोशाक (शाला गणवेश) का पुनः निर्धारण।

::- परिपत्र ::-

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र ● संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.32(01) शिक्षा-1/2000 पार्ट जयपुर, दिनांक 20.02.2017 के क्रम में राज्य की समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2017-18 से शाला पोशाक (शाला गणवेश) का एतद् द्वारा पुनर्निर्धारण किया जाता हैः-

1. छात्रों के लिएः- पैन्ट या हॉफ पैन्ट कथई रंग तथा शर्ट हल्का भूरा (लाईट ब्राउन) रंग का।
2. छात्राओं के लिएः-सलवार/स्कर्ट एवं चुन्नी कथई रंग की तथा कुर्ता/शर्ट हल्का भूरा (लाईट ब्राउन) रंग का।

छात्र/छात्राओं को गुरुवार को शाला पोशाक पहनने में छूट रहेगी। साथ ही कक्षा एक से पाँच में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शाला पोशाक पहनने की अनिवार्यता पर जोर नहीं दिया जावे।

यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रभावी होगी।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा-स/22320/पोशाक/2013-17/83 दिनांक : 7.3.2017

13. अध्ययनरत विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र विद्यालय स्तर पर जारी करवाकर दिए जाने बाबत्।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● परिपत्र ● अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : एफ-11/एससी एसटी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/12/पार्ट-3/7201 दिनांक : 21.02.2017 एवं कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांकः 36028/1/2014-संस्थापन दिनांक 06.05.2016 के अनुसरण में राज्य के विद्यालयों में राज्य सरकार ने कक्षा-5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सुविधाएँ प्राप्त हो सके एवं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो।

उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

1. विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के कक्षा-5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वर्ष में एक बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही भरवाए जाएँगे।

2. आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबंधित स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ सही-सही भरें ताकि विद्यार्थी को सही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी के सम्बन्ध में आवेदन पत्र में वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की जिम्मेदारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की रहेगी।
3. उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिए सितम्बर/अक्टूबर माह में कार्यवाही की जाएगी।
4. प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त दस्तावेजों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई-मित्र/सी.एस.सी. केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी।
5. सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर समयावधि 30-60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेंगे तथा यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को दी जावे एवं प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नियमानुसार इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को अपील की जावें।
6. जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सुरक्षित सेलोफेन कवर (Cellophane Cover) में उपलब्ध करवा दिया जावे तथा एक प्रति सम्बन्धित वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभ/रियायतें/सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय में सुरक्षित रखी जावे।

अतः राज्य में संचालित समस्त राजकीय सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपर्युक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवाएँगे।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22411/2016/ 17 दिनांकः 07.03.2017

14. शाला सिद्धि पोर्टल पर विद्यालयों की फीडिंग के संबंध में दिशा निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/SEQI/2016 दिनांक 09.03.2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय ● विषय : शाला सिद्धि पोर्टल पर विद्यालयों की फीडिंग के संबंध में दिशा-निर्देश। ● प्रसंग : आपका समसंख्यक पत्र क्रमांक : रामाशिप/गुणवत्ता शिक्षा/शाला सिद्धि/2016-17/1192 दिनांक 28.02.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2016-17 से सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम 'शाला सिद्धि' वेब पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय का स्वयं मूल्यांकन कर अपने विद्यालय को ग्रेड करना है एवं अपने विद्यालय की विकास योजना का निर्माण कर विद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों (भौतिक, शैक्षिक, सहशैक्षिक आदि) में आवश्यक सुधार लाना है। दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को श्रीमान शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कोर ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार सत्र 2016-17 में यह कार्यक्रम केवल चयनित राजकीय विद्यालय में ही संचालित होना है। शाला सिद्धि कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु कृपया निम्नलिखित निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित की जावे-

(i) शाला सिद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 2016-17 में चयनित विद्यालय-

- राज्य में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत समस्त विद्यालय (आदर्श विद्यालयों सहित)
- प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत समस्त उत्कृष्ट विद्यालय
- 60 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय
- 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय (चयनित विद्यालयों की सूची संलग्न है)

(ii) चयनित विद्यालयों द्वारा वेब पोर्टल पर अपने-अपने लॉगिन से डेश बोर्ड पर सूचनाएँ अपलोड करनी है।

(iii) राज्य सरकार के निर्णय अनुसार इस सत्र में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी के विद्यालयों के अतिरिक्त शेष रहे विद्यालयों को डेश बोर्ड पर कार्य नहीं करना है।

(iv) शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर चयनित विद्यालयों की फीडिंग दिनांक : 10.03.2017 तक आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चत करें।

(v) शाला सिद्धि वेब पोर्टल के तीन भाग हैः-

- प्रथम भाग विद्यालय प्रोफाइल है, जिसमें विद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं एवं अध्यापकों से संबंधित समस्त जानकारियों को दर्ज किया जाना है।
- द्वितीय भाग में 7 आयाम है जिनके 46 मानक निर्धारित है इन मानकों के अनुसार विद्यालय का स्तर व कार्य योजना की प्राथमिकता स्कूल के द्वारा ऑनलाइन दर्ज करनी है।
- तृतीय भाग में संस्थाप्रधान को अपने विद्यालय का 'Mission Statement' लिखना है एवं विद्यालय विकास की योजना बनाकर, विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार समय निर्धारित कर उसे शाला-सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड करना है।

(vi) शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं फीडिंग हेतु निम्नानुसार चरणबद्ध रूप से फीडिंग की जावे-

1. सर्वप्रथम www.shaalasiddhi.nuepa.org वेबसाइट पर जाएँ।
2. शाला-सिद्धि वेब पोर्टल के होम पेज पर दांयी तरफ लॉगिन बटन पर क्लिक करें, लॉगिन पेज खुलने के बाद जिला/ब्लॉक/क्लस्टर/विद्यालय का नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए 'New User click here' पर क्लिक करें।
3. क्लिक करने के बाद 'Creat User' पेज खुलेगा। जिस स्तर का

Account बनाया जाना है, उस स्तर का चयन करें। उदाहरण- विद्यालय का लॉगिन बनाने के लिए 'School Level' का चयन करें।

4. तत्पश्चात् विद्यालय का 11 अक्षर का सही UDISE CODE टाइप करें।
5. First Name एवं Last Name में संस्थाप्रधान का नाम लिखें।
6. संस्थाप्रधान या किसी प्रभारी का फोन नम्बर लिखें। यदि विद्यालय की ई-मेल आईडी बनाई हुई है तो उसकी भी जानकारी दें।
7. सभी जानकारी देने के बाद **'Generate Pin (OTP)'** पर क्लिक करें। दिए गए मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी पर 6 Digit का Pin प्राप्त होगा (इन 6 अंकों के OTP Pin को कहीं लिखकर सुरक्षित रख लें, पासवर्ड भूल जाने पर व पासवर्ड बदलने हेतु इसकी आवश्यकता रहेगी।)
8. इसके बाद अपना व्यक्तिगत पासवर्ड टाइप करें (पासवर्ड संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश 'Creat User' पेज के बांयीं तरफ दिए हुए है उनकी अनुपालना करें।)
9. रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने पर आप पुनः लॉगिन में जाकर अपना User ID व Password लिखकर अपने विद्यालय को लॉगिन करें। लॉगिन करने के उपरान्त आपके विद्यालय का नाम दिखाई देगा, इसको जाँच लें।
10. लॉगिन करने के पश्चात् आपके विद्यालय के Data Entry कॉलम (Learners, Teachers, School Composite matrix, School Improvement plan) बायीं तरफ सामने आएँगे। एक-एक करके सभी कॉलम के अनुसार प्रविष्टि दर्ज करें।
11. सर्वप्रथम 'Demographic Profile ' में Caste wise विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करनी है। Minority वर्ग वाले विद्यार्थियों की संख्या यूडाईस के समान कुल में से दर्ज करनी है। (Caste wise विद्यार्थियों की संख्या डीसीएफ में जो दर्ज की है वह भरनी है।) विद्यालय प्रोफाईल की सूचना भरने हेतु डाईस-2015-16 को आधार बनाएँ।
12. इसके पश्चात् 'Class wise annual attendance' रेट भरनी है। Class wise annual attendance rate निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करें-

$$\text{Annual Attendance rate} = \frac{\text{total Annual attendance of all students}}{\text{Annaul Instructional days x total no. of student}} \text{ x100}$$

13. 'Performance in key subjects' में सिर्फ कक्षा 8 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ग्रेड विषयवार दर्ज करनी है। ग्रेडवार अंकों का विभाजन शाला सिद्धि पुस्तिका में डेश बोर्ड में बताया गया है।
14. 'Learning Outcomes' में विद्यार्थियों का कक्षानुसार व अंक प्रतिशत अनुसार विवरण दर्ज करना है। ग्रेड के आधार पर अंकों का विभाजन निम्नानुसार करें- (संलग्न- एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश क्रमांक-राशैअप्रसं-उदय/वि-5/प्रकोष्ठ-4/फा.-शाला-सिद्धि/2017 दिनांक 16.02.2017)

- यदि छात्र/छात्रा का नामांकित कक्षा स्तर का है तो-

ग्रेड	प्राप्तांक प्रतिशत
A	75 से ज्यादा व 100 तक
B	50 से ज्यादा व 75 से कम
C	50 से कम

- यदि छात्र/छात्रा का नामांकित कक्षा स्तर से न्यून स्तर का हो-

ग्रेड	प्राप्तांक प्रतिशत
A	33 से ज्यादा व 40 तक
B	25 से ज्यादा व 32 से कम
C	25 से कम

15. 'Teacher Profile' में विद्यालय में कार्यरत श्रेणीवार प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षकों/शिक्षिकाओं की संख्या दर्ज करनी है। अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या यूडाईस में शून्य दर्शायी है। तद्नुसार ही भरें। (यहाँ विद्यालय में कार्यरत सिर्फ नियमित राजकीय शिक्षकों की ही सूचना ही दर्ज करनी है।)
16. 'Teacher Attendance' में अवकाश पर रहे शिक्षकों की संख्या दर्ज करनी है। (Long Leave में एक महीने से ज्यादा अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों की संख्या व Short Leave में एक हफ्ते तक अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों की संख्या दर्ज करनी हैं)
17. तत्पश्चात् आयाम संख्या-1 से आयाम संख्या 7 तक में 46 मानकों में विद्यालय का स्तर व विद्यालय का विकास करने की प्राथमिकता दर्ज करनी है। (Level तीन प्रकार के है- 1,2,3, Level 3 के मायने श्रेष्ठतम, 2 के मायने मध्यम व 1 का तात्पर्य न्यूनतम से है। प्राथमिकताएँ भी तीन प्रकार की है- (Low, Medium, High) कार्य/विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकता का निर्धारण करें। विद्यालय का स्तर एवं प्राथमिकता निर्धारण करने से पूर्व शाला-सिद्धि पुस्तिका के निर्देशों की अनुपालना करें।
18. यदि विद्यालय का स्तर किसी आयाम के किसी मानक में स्तर एक से भी कम हैं या तीन से ज्यादा है तो वह 'NA' का चयन कर सकता है।
19. सभी आयामों को पूर्ण करने के बाद विद्यालय विकास आयोजना भरनी है।
20. विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत सभी विद्यालयों को 'Mission Statement' में विद्यालय हेतु विशिष्ट मिशन स्टेटमेन्ट दर्ज करना है। इस हेतु नमूना मिशन स्टेटमेन्ट संलग्न है।

- विद्यालय में वर्तमान सत्र में अध्ययनरत कक्षा 8 के 80 प्रतिशत विद्यार्थी A Grade पर लाना हमारा लक्ष्य होगा।
- हमारे विद्यालय में 2016-17 के नामांकन में 25 प्रतिशत बच्चों की वृद्धि करने का प्रयास करेंगे।
- आगामी सत्र में समुदाय से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय खेल मैदान की चार दीवारी एवं खेल मैदान का विकास हमारी प्राथमिकता होगी।
- आगामी सत्र से कम्प्यूटर एवं अन्य तकनीकी माध्यमों से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाएगा।

21. सम्पूर्ण डेटा फीडिंग के पश्चात् 'Final Submit' से पहले इसकी एक हार्ड कॉपी अवश्य निकाल लें तथा इन्द्राज की गई सूचना अच्छी तरह से जाँच लें। इसके पश्चात् आवश्यक संशोधन (यदि कोई हो) कर इसे Final Submit करें। Final Submit के पश्चात् विद्यालयों की सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
22. डेटा प्रविष्टि के समय आपके पास पहले से ही डेश बोर्ड प्रपत्र की हार्ड कॉपी भरी होनी चाहिए, इससे ऑनलाइन डेटा फीडिंग में कम समय लगेगा तथा त्रुटियों की सम्भावना कम रहेगी।
23. यह भी ध्यान रहे कि प्रत्येक आयाम (Domen) में आपके विद्यालय का वास्तविक स्तर ही भरें, इससे आपको स्वयं मूल्यांकन करने व आगे कार्य योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
24. विद्यालय द्वारा पोर्टल पर फीड की गई सूचनाओं से संबंधित दस्तावेज/सामग्री एक फाईल में संधारित करके रखें। यह दस्तावेज बाह्य मूल्यांकन के समय अवलोकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा देखे जाएँगे।
25. जिला/ब्लॉक/विद्यालयवार प्रगति की रिपोर्ट शाला-सिद्धि वेबपोर्टल के होम पेज पर रिपोर्ट मैन्यू में डेटा स्टेट्स नाम से लगाई गई है। इसे बिना किसी लॉगिन के माध्यम से देखा जा सकता है।
26. किसी भी सहायता हेतु आप shaalasiddhi.raj@gmail.com पर ई-मेल कर सकते है, साथ ही SSA/RMSA के जिला MIS प्रतिनिधि/ब्लॉक के शाला-सिद्धि आरपी/ब्लॉक ओपरेटर से सम्पर्क कर सकते हैं।
27. प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय शाला-सिद्धि वेब पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय रामाशिअ कार्यालय में सम्पर्क करें।

(vii) **डीपीसी/एडीपीसी एसएसए एवं रमसा के दायित्व:-**

- जिले के शाला-सिद्धि सन्दर्भ व्यक्तियों व एमआईएस प्रतिनिधि के दूरभाष नम्बर संबंधित संस्था प्रधानों को उपलब्ध करवाएँ।
- वाट्सअप ग्रुप बनाया जाए, फीडिंग में आ रही समस्याओं का निराकरण आरपी/एमआईएस प्रतिनिधि द्वारा किया जाए।
- प्रत्येक जिले में SSA/RMSA कार्यालय द्वारा एक कार्मिक नियुक्त कर शाला सिद्धि पोर्टल पर विद्यालयवार फीडिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करवाई जावे।
- सभी जिले/ब्लॉक के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के द्वारा अपना-अपना लॉगिन शाला सिद्धि पोर्टल पर उपर्युक्त बिन्दु संख्या 2 से 8 के अनुसार बनाएँ (विद्यालय के UDISE CODE के स्थान पर जिला/ब्लॉक का कोड अंकित करें।)
- जिले/ब्लॉक के अतिरिक्त क्लस्टर स्तर पर नवसृजित PEEO/CRCF स्तर के लॉगिन भी बनाए जाने हैं तथा बनाए गए लॉगिन से क्लस्टरवार मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें।
- शाला सिद्धि कार्यक्रम के तहत इसके वेब पोर्टल पर की जाने वाली फीडिंग हेतु प्रत्येक ब्लॉक में Task Basis पर किसी कम्प्यूटर एजेन्सी के माध्यम से बाह्य स्रोत (Out Source Agency) के द्वारा यह कार्य करवाया जावे। इसके लिए पृथक से आदेश क्रमांकः राप्राशिप/गुणवता/शाला सिद्धि/2016-17/14948 दिनांक 21.02.2017 के द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं।
- प्रारम्भिक शिक्षा के संस्था प्रधान ब्लॉक कार्यालय में विद्यालयों की भरी हुई समस्त सूचनाओं की हॉर्ड कॉपी अपने साथ ले जाकर कम्प्यूटर ऑपरेटर की मदद से सूचनाएँ अपलोड कराएँगे और इसकी हॉर्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग, अन्तर्गत संचालित विद्यालय जिनमें कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है। फीडिंग हेतु ब्लॉक पर कार्यरत बाह्य स्रोत (Out Source Agency) की सहायता से फीडिंग कार्य करवा सकते हैं।
- विद्यालय की सूचना पोर्टल पर अपलोड करने के बाद संस्थाप्रधान पोर्टल पर भरी गई सूचनाओं की प्रति कम्प्यूटर ऑपरेटर आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

15. राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारु संचालन व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु।

● कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/विद्यालय व्यवस्था/2017/26 दिनांकः 6-3-2017 ● कार्यालय आदेश

राज्य में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुचारु संचालन व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालयों के कार्यप्रभार के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2017 में संशोधन किए जाकर निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. किसी भी उप्रावि/प्रावि में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संस्था प्रधान का दायित्व/प्रभार उसके पास रहेगा।
2. वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त होने अथवा स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जावेगा।
3. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/प्रबोधक का पद रिक्त होने की स्थिति में शारीरिक शिक्षक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा।
4. उपर्युक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के अलावा अन्य स्थिति होने पर वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी/पैराटीचर/ट्रेनी अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान के दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर होगा।

● निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

16. समस्त राजकीय विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव-2017 के आयोजन के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2017-18/06 दिनांक : 15.03.2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय ● विषय :- समस्त राजकीय विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव-2017 के आयोजन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत वर्ष राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के उद्देश्य से आयोजित किए गए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के उत्साहवर्धक परिणामों के क्रम में इस वर्ष भी दो चरणों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्नांकित विवरणानुसार आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. प्रथम चरण :- दिनांक 26 अप्रेल, 2017 से 09 मई, 2017 तक।
2. द्वितीय चरण :- दिनांक 19 जून, 2017 से 30 जून, 2017 तक।
3. इस वर्ष राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रवेश प्रक्रिया को कारगर एवं प्रभावी बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा- 5, 8 तथा 10 की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों का ठहराव उसी विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उसी विद्यालय की आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश देते हुए (नामांकन वृद्धि हेतु अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी नव प्रवेश देते हुए) अग्रांकित विवरणानुसार स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए विधिवत कक्षा संचालन सुनिश्चित किया जाना है :-

क्र. सं.	कक्षा, जिसकी परीक्षा में विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ है	आगामी कक्षा, जिसमें अस्थाई प्रवेश दिया जाकर संचालित की जानी है	विधिवत कक्षा संचालन प्रारम्भ करने हेतु निर्दिष्ट तिथि
1.	कक्षा-5	कक्षा-6	08 अप्रैल- 2017
2.	कक्षा-8	कक्षा-9	22 मार्च- 2017
3.	कक्षा-10	कक्षा-11	22 मार्च- 2017

4. उपर्युक्त निर्देशो के क्रम में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया माह मार्च के द्वितीय पखवाड़े में प्रारम्भ हो जाएगी। तत्पश्चात् प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्थानीय परीक्षाओं की समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक: 26 अप्रेल से आपके विद्यालय परिक्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन से शेष रहे विद्यार्थियों के चिह्नीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए तथा दिनांक: 29 अप्रेल, 2017 को SDMC की साधारण सभा एवं शिक्षक अभिभावक परिषद् की बैठक आयोजित कर परिक्षेत्र के समस्त चिह्नित विद्यार्थियों का प्रवेश विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु वृहद् स्तर पर विचार विमर्श कर कार्य योजना निर्मित करें। इस बैठक में समस्त सदस्यों को अपने विद्यालय की स्टार रैंकिंग के बारे में बताएँ तथा आगामी सत्र में विद्यालय की रैंकिंग में और अधिक सुधार हेतु स्टाफ के सहयोग से निर्मित की गई कार्ययोजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करें। इस हेतु समस्त अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक लब्धियों की जानकारी देने के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाने वाली शिक्षक अभिभावक परिषद् की बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी हेतु प्रेरित करें।
5. सर्वे के आधार पर विद्यालय से जोड़े जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को प्रवेश निमन्त्रण पत्र भी सम्बन्धित शाला प्रधान के पर्यवेक्षण में सर्वे टोली के सदस्यों द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। प्रवेशोत्सव के सम्बन्ध में पुन: स्पष्ट किया जाता है कि समन्वित विद्यालयों में कक्षा 01 से 05 में कम से कम 150 का नामांकन, कक्षा 06 से 08 में 105, कक्षा 09 से 10 में 50 प्रति कक्षा के अनुसार 100 तथा कक्षा 11 व 12 में प्रति कक्षा 50 के अनुसार कुल 100 विद्यार्थियों का न्यूनतम नामांकन सुनिश्चित किया जाए। समग्र रूप से विद्यालय के नामांकन में वर्ष 2017 के प्रवेशोत्सव में कम से कम 05 नामांकन प्रति अध्यापक के अनुसार औसत रूप से 20 प्रतिशत की नामांकन वृद्धि के प्रयास आप द्वारा किये जाने हैं।
6. संस्था प्रधान द्वारा ग्राम पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थानों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम के मौजिज व्यक्तियों से समन्वित प्रयास कर नामांकन के लक्ष्य को आसानी से गुणवत्ता के साथ अर्जित किया जा सकता है। नामांकन वृद्धि हेतु जन समुदाय के समन्वय से अनुकरणीय कार्य करने वाले शिक्षकों का विद्यालय स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रवेशोत्सव के दौरान नव प्रवेशित छात्रों के साथ स्वागत किये जाने की कार्यवाही भी इस दिशा में अन्य शिक्षकों एवं कार्मिकों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है।
7. पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न अवसरों पर सम्पूर्ण राज्य में ग्राम पंचायतों की आम सभा एवं वार्ड सभाओं के आयोजन के सम्बन्ध में तिथि मुकर्रर की जाकर सम्पूर्ण राज्य में उक्त निर्धारित तिथि को ग्राम पंचायत स्तर पर आम सभा एवं वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाता है। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से समन्वय कर जिला परिषद द्वारा जारी ग्राम सभाओं के कार्यक्रमानुसार सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में ग्राम पंचायत मुख्यालयों से सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा आम सभा/वार्ड सभाओं में आवश्यक रूप से उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त आम सभा/वार्ड सभाओं में प्रवेशोत्सव के सम्बन्ध में अवगत करवाते हुए राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, प्रोत्साहन योजनाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विभाग द्वारा लागू योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को विस्तार से अवगत करवाया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी जाए।
8. पंचायत समिति व जिला परिषद की साधारण सभाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी

अधिकारी, जिला परिषद से समन्वय कर प्रवेशोत्सव कार्य योजना के अनुसार जिला परिषद व पंचायत समिति की साधारण सभा बैठकों में एजेण्डा बिन्दु रखवाकर, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला परिषद की साधारण सभा में एवम् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अनुभवी अधिकारियों द्वारा जिले की समस्त पंचायत समितियों की साधारण सभा में उपस्थित रहकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी एवं सार्थक जुड़ाव प्रवेशोत्सव कार्यक्रम तथा नामांकन वृद्धि अभियान में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किए जाने की कार्यवाही सम्पादित करावें ।

- प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2017 मय प्रवेश निमन्त्रण पत्र एवं कार्यक्रम रूपरेखा।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

प्रवेशोत्सव : कार्यक्रम रूपरेखा

प्रस्तावना–

गत वर्ष विभाग द्वारा चलाए गए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक, जनप्रतिनिधि व अभिभावकों द्वारा दिए गए सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से पहले समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु आगामी दो वर्षो के नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। विभाग लक्ष्य को अर्जित करने के लिए कटिबद्ध है, अत: इस वर्ष भी विभाग ने प्रवेशोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षक तथा संस्था प्रधानों की है। विभाग अपेक्षा रखता है कि शिक्षक व संस्थाप्रधान चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रदत्त नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने में सफलता प्राप्त करेंगे।

प्राय: यह देखा गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कक्षा 12 तक पहुँचते–पहुँचते काफी कम रह जाती है अर्थात् विद्यार्थी अपनी शिक्षा निरन्तर नहीं रख पाते हैं। प्रवेशोत्सव मात्र विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में विद्यार्थी के प्रवेश तक ही सीमित नहीं है वरन् यह मध्य की कक्षाओं में ड्रॉप–आउट हुए विद्यार्थियों को पुन: शिक्षा की मुख्य धारा में लाए जाने का भी प्रयास है।

शिक्षा में निरन्तरता को बनाए रखना राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन व छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन के बाद भी इस क्षेत्र में वांछित सफलता अभी शेष हैं। अत: आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया जाए तथा उनका पूर्ण Tracking रिकार्ड भी संधारित हो। इस हेतु अपने आस–पास के फीडर विद्यालयों से अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करें, साथ ही निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को राजकीय विद्यालयों की विशेषताओं यथा–पूर्ण प्रशिक्षित योग्य शिक्षक, विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन संबंधी सुविधाओं के बारे में अवगत और आश्वस्त करवाते हुए राजकीय विद्यालय मे प्रवेश हेतु प्रेरित करें।

वर्ष 2017–18 हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि हेतु एक व्यापक अभियान चलाए जाने का निश्चय किया गया है । प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं संस्था प्रधान का दायित्व है कि वे अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश राजकीय विद्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेशोत्सव का यह विशेष अभियान दिनांक 26 अप्रेल 2017 से विधिवत रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान द्वारा नामांकन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। यह अभियान समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के रास्ते में मील का पत्थर साबित हो, इसलिए आवश्यक है कि इसमें अभिभावकों, जनप्रतिनिधियो एवं स्थानीय जन–समुदाय का प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्राप्त करते हुए इस अभियान को सफल बनाएँ।

उद्देश्य –

- कक्षा 1 में नव प्रवेशी बालकों को चिह्नित कर नामांकित करवाना।
- अध्ययन की निरन्तरता हेतु, अध्ययन निरन्तर नहीं रख पाने वाले छात्र–छात्राओं पर विशेष ध्यान देना।
- ड्रॉप आउट हुए छात्र–छात्राओं को 'Back-to-school' हेतु कार्ययोजना बनाना।
- मौसमी पलायन करने वाले बालक–बालिकाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित गैर आवासीय विशेष शिक्षण शिविरों से उत्तीर्ण बच्चों को मुख्य धारा में प्रवेश दिलवाना।
- बाल श्रम में संलग्न ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक–बालिकाओं को चिह्नित कर पूर्ववर्ती कक्षा से आगे अध्ययन हेतु प्रवेश दिलवाना।
- कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय से उत्तीर्ण बालिकाओं हेतु शारदे छात्रावास अथवा अन्य विद्यालयों में उनके अध्ययन की निरन्तरता हेतु Tracking Plan बनाना।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को उच्चतम कक्षा पूर्ण होने तक उसी विद्यालय में अध्ययन निरन्तरता हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना।

दो प्रमुख चरण –

1. प्रथम चरण – दिनांक 26 अप्रेल 2017 से 09 मई 2017 तक।
2. द्वितीय चरण – शेष रहे हार्ड कोर लक्ष्य समूह हेतु दिनांक 19 जून 2017 से 30 जून 2017 तक।

पूर्व तैयारियाँ एवं प्रचार–प्रसार/ आई.ई.सी. (Information for Education Communication)–

- **नजरी नक्शा बनाना** – उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में उनके फीडर स्कूलों/निवास स्थानों का एक कार्डशीट पर नजरी नक्शा तैयार करना, जिसमें नामांकन लक्ष्य और विद्यालय की स्थिति एवं उपलब्धि (At a glance) अंकित हो। यह नजरी नक्शा

आपके विद्यालय में हर समय उपलब्ध हो ताकि निरीक्षण के समय विभागीय अधिकारियों/ जनप्रतिनिधियों से अभियान बाबत् सम्बलन प्राप्त करने में सुविधा रहे।

- शहरी विद्यालयों के निकटस्थ फीडर स्कूल/कैचमेन्ट एरिया का निर्धारण।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा शिक्षा की निरन्तरता हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- इस हेतु सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- शिक्षा की निरन्तरता की इस अभिनव पहल पर आधारित पोस्टर एवं हैण्ड आउट्स प्रिंट करवाना।
- ढोल एवं गाजे-बाजे के साथ रैलियाँ आयोजित करना जिसमें बैनर एवं नारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने हेतु मौहल्ला/ग्रामवार टोलियाँ बनाकर लक्ष्य समूह से घर-घर सम्पर्क करते हुए लक्ष्य समूह को निमन्त्रण पत्र/ कार्ड वितरित कर उनके बच्चों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु निमन्त्रित करना।
- प्रवेश हेतु निमन्त्रण पत्र का प्रारूप -

माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान
प्रवेशोत्सव अभियान-2017
कक्षा ..... में प्रवेश हेतु निमन्त्रण

जिला..... ब्लॉक.....
नाम छात्र/छात्रा-
पिता/माता/संरक्षक का नाम-
ग्राम/वास स्थान-
पंचायत का नाम-
पूर्ववर्ती विद्यालय का नाम-
प्रवेश लेने वाले विद्यालय का नाम-
विद्यालय में आयोजित होने वाले प्रवेशोत्सव की तिथि-
हस्ताक्षर संस्था प्रधान
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय.....

लक्ष्य समूह निर्धारण -

- पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले लक्ष्य समूह के बच्चों की सूचियाँ फीडिंग एरिया/कैचमेन्ट एरिया के आँगनबाड़ी केन्द्रों से प्राप्त करना।
- सर्व शिक्षा अभियान से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचियाँ प्राप्त करना।
- प्रवेश लेने वाले लक्ष्य समूह के बच्चों को चिह्नित कर सूचियाँ तैयार करवाना।
- कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की सूचियाँ सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- कक्षा 9 में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की सूचियाँ सम्बन्धित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- कक्षा 11 में प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की सूचियाँ सम्बन्धित माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- कैचमेन्ट एरिया के निजी विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची बनाना।

कन्वर्जेन्स (सहयोगी संस्थाएँ)

i जिला प्रशासन।
ii शिक्षा विभाग (प्रारंभिक शिक्षा)।
iii शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)।
iv जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
v सर्व शिक्षा अभियान।
vi राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
vii पंचायतीराज संस्थाएँ एवं शहरी निकाय ।
viii समाज कल्याण विभाग।
ix महिला एवं बाल विकास विभाग।
x साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग।
xi लक्ष्य समूह के अभिभावक गण ।
xii स्वयंसेवी संस्थाएँ।

प्रवेशोत्सव क्रियान्विति के महत्त्वपूर्ण बिन्दु-

- प्रवेशोत्सव से संबंधित पैम्फलेट्स का आवश्यक संख्या में मुद्रण एवं ग्राम/कस्बे/ढाणियों में वितरण।
- आवश्यकतानुसार प्रवेश हेतु निमंत्रण कार्ड का मुद्रण करवाना।
- पंचायत एवं ब्लॉक स्तरीय समितियों की बैठकों में फीडिंग/कैचमेन्ट एरिया का निर्धारण करना।
- परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही लक्ष्य समूह के निर्धारण हेतु संस्था प्रधानों से क्रमशः कक्षा 5 उत्तीर्ण, कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 उत्तीर्ण बालक-बालिकाओं की सूचियाँ प्राप्त करना।
- सूचियों का validation करवाना।
- प्रवेशोत्सव से पूर्व प्रतिदिन का कार्यक्रम बनाकर समाचार पत्रों/ सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- नव प्रवेशी बालक-बालिकाओं का स्वागत कार्यक्रम आयोजित करना।
- नव प्रवेशी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण और अन्य प्रोत्साहन सामग्री वितरित करवाना।
- समय-समय पर प्रभावी मॉनिटरिंग द्वारा नामांकन का शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करना।
- अभिभावक सम्पर्क/ जन सम्पर्क करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षा से वंचित जिन बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया जाना है, उनकी सूची विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शिक्षक के पास उपलब्ध हों। इस हेतु विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र में शिक्षा से वंचित अनामांकित बच्चों के प्रवेश हेतु V.E.R. (Village education register)/ W.E.R. (Ward education register) का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसे उस क्षेत्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के नोडल प्रधानाध्यापक से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम – 2017
प्रथम चरण– अप्रैल, मई– 2017 (26.04.2017 से 09.05.2017)

क्र. स.	दिनांक	वार	कार्यक्रम/गतिविधि/क्रियाकलाप
1.	26 अप्रैल, 2017 से 28 अप्रैल, 2017	बुधवार से शुक्रवार	1. विद्यालयों से लक्ष्य समूह की सूचियाँ प्राप्त करना एवं कार्ड तैयार करना। 2. स्वयं प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रवेश करवाना। 3. बालक–बालिकाओं एवं अध्यापकों की टोलियों का गठन कर उन अभिभावकों से विशेष रूप से सम्पर्क स्थापित करना जिनके बच्चे विद्यालय में अनामांकित हैं, उन्हें प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित करना। साथ ही बालिका नामांकन/बालिका प्रवेश हेतु विशेष ध्यान देना। 4.एस.एस.ए. द्वारा किये गये सी.टी.एस. सर्वे के अनुसार विद्यालय जाने योग्य बच्चों की खोज करना।
2.	29 अप्रैल, 2017	शनिवार	SDMC की साधारण सभा एवं शिक्षक–अभिभावक परिषद् की बैठक आहूत करना एवं प्रवेशोत्सव के आयोजन के सम्बन्ध में जानकारी देना तथा उनका वांछित सहयोग प्राप्त करना। इस बैठक में विद्यालय की स्टार रैकिंग के बारे में बताएँ तथा आगामी सत्र में विद्यालय की रैकिंग में और अधिक सुधार हेतु स्टाफ के सहयोग से निर्मित की गई कार्ययोजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करें। इस हेतु समस्त अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक लब्धियों की जानकारी देने के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाने वाली अध्यापक–अभिभावक परिषद् की बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी हेतु प्रेरित करें। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के समुचित प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय मीडिया की नामांकन वृद्वि अभियान में सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार स्थानीय अभिभावकों एवं जनसमुदाय का सहयोग प्राप्त करें।
2.	1 मई, 2017	सोमवार	प्रार्थना सभा में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलकार्चन द्वारा स्वागत–सत्कार। विद्यालय परिसर की साज–सज्जा, वृक्षारोपण कार्य करवाना एवं घर–घर सम्पर्क द्वारा कार्ड वितरण करना एवं स्टाफ के साथ बैठक कर नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रवेशोत्सव की अवधि में किए जाने वाले कार्यो के लिए व्यापक योजना निर्मित करना। प्रवेशोत्सव में प्रत्येक स्टाफ सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उन्हें आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक कार्यो की जिम्मेवारी प्रदान करना।
3	2 मई, 2017	मंगलवार	स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना, जिसमें शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित बैनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल–नगाड़े एवं मंजीरे के साथ रैली निकालना।
4	3 मई, 2017	बुधवार	स्थानीय जनप्रतिनिधियों/अभिभावकों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित करना एवं प्रार्थना सभा के आयोजन में ही नवीन प्रवेश लेने वाले बालक–बालिकाओं का माला एवं तिलक लगाकर स्वागत करना।
5.	4 मई,2017	गुरुवार	मोहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, वार्डपंच/सदस्य एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को सम्बोधन कराना।
6.	5 मई, 2017	शुक्रवार	बाल सभा, स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेलकूद गतिविधियों एवं ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना जो बच्चों को प्रवेश दिलाने में प्रेरक बने। यदि संभव हो तो प्रेरक चल चित्र का प्रदर्शन कराना । विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करने के साथ बच्चों की चित्रकला एवं सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। बच्चों हेतु खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, बाल मेलों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन। पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन ।
7.	6 मई, 2017	शनिवार	प्रभात फेरी आयोजन तथा नव प्रवेशी बालक–बालिकओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण। अध्यापकों की टोलियों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्याओं का पता लगाकर, वंचित रह गए बच्चों को प्रवेश देने के लिए विशेष प्रयास करना।
8.	8 मई, 2017	सोमवार	समारोह आयोजित कर नव प्रवेशी बच्चो का स्वागत, पहचान–पत्र, बैज इत्यादि सामग्री का जनप्रतिनिधियों/संस्थाप्रधानों द्वारा वितरण के साथ नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक/प्रोत्साहन सामग्री का वितरण।
9.	9 मई, 2017	मंगलवार	प्रवेशात्सव के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार एवं पखवाड़े के अन्तर्गत किए गए कार्यो की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

Education News Group

प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण : जून- 2017 (19.06.2017 से 30.06.2017)
:: कार्यक्रम विवरण ::

क्र. स.	दिनांक	वार	कार्यक्रम/गतिविधि/क्रियाकलाप
1.	19 जून, 2017	सोमवार	विभागीय निर्देशानुसार **अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस** के विद्यालय में सम्पूर्ण तैयारी के साथ आयोजन हेतु समस्त स्टाफ की बैठक का आयोजन। इस कार्यक्रम में समस्त विद्यार्थियों और स्थानीय जन-समुदाय की अधिकाधिक भागीदारी हेतु समस्त स्टाफ द्वारा घर-घर जाकर सम्पर्क किया जाए। विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक को आयोजन की विशिष्ट जिम्मेवारी प्रदान की जाए तथा स्टाफ बैठक में प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण की कार्ययोजना पूर्व प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्मित की जाए।
2.	20 जून, 2017	मंगलवार	प्रथम चरण में शेष रहे हार्ड कोर बच्चों की सूचियाँ तैयार करना, कार्ड तैयार करना, घर-घर सम्पर्क हेतु योजना बनाना। लक्ष्य समूह से घर-घर सम्पर्क कर पुन: प्रवेश हेतु आमन्त्रित करना।
3.	21 जून, 2017	बुधवार	विद्यालय में **अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस** को समारोह पूर्वक मनाना। इस कार्यक्रम में आस-पास के जनसमुदाय को सम्मिलित करते हुए योग की महत्ता से अवगत कराते हुए विभिन्न आसन, प्राणायाम इत्यादि का प्रदर्शन करना। विद्यार्थियों के मध्य खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना। प्रवेश से अब तक वंचित बच्चों के बारे में पुन: फीडबैक प्राप्त कर उनके अभिभावकों को प्रेरित करना।
4.	22 जून, 2017	गुरुवार	विद्यालय परिसर की साज-सज्जा, वृक्षारोपण कार्य करवाना एवं घर-घर सम्पर्क द्वारा कार्ड वितरण करना।
5.	23 जून, 2017	शुक्रवार	स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना, जिसमें शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित बैनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल-नगाड़े एवं मंजीरे के साथ रैली निकालना।
6.	24 जून, 2017	शनिवार	अमावस्या तिथि के अनुसार S.M.C./S.D.M.C. की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन एवं प्रवेशोत्सव के द्वितीय-चरण के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु विचार विमर्श करना। स्थानीय जनप्रतिनिधियों/अभिभावकों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित करना एवं प्रार्थना सभा में नवीन प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं का माला एवं तिलक लगाकर स्वागत करना।
7.	27 जून, 2017	मंगलवार	मोहल्ला बैठकों के माध्यम से विद्यालय प्रवेश से अब तक वंचित बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच/पंचायत संस्थाओं के सदस्य एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को सम्बोधन कराना।
8.	28 जून, 2017	बुधवार	भामाशाह जयन्ती का विद्यालय में समारोहपूर्वक आयोजन करना। इस आयोजन में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित कर विद्यालय हेतु सहयोग जुटाने के लिए प्रेरित करना। प्रवेशोत्सव के बारे में भामाशाहों को जानकारी देकर नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रतीकात्मक अध्ययन सामग्री यथा- पेन, पेंसिल, कॉपी इत्यादि भामाशाहो से प्राप्त कर प्रोत्साहन स्वरूप वितरण करवाना।
9.	29 जून 2017	गुरुवार	पुन: विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना, पुन: ढोल-नगाड़े इत्यादि के साथ रैली/प्रभात फेरी का आयोजन। अभी भी वंचित रह गए बालक-बालिकाओं से 'डोर टू डोर' सम्पर्क कर प्रवेश हेतु प्रेरित करना।
10.	30 जून, 2017	शुक्रवार	SMC/SDMC की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित सत्रपर्यन्त कार्य योजना को अन्तिम रूप देना तथा विद्यालय को वर्ष 2017-18 हेतु कक्षा समूहवार प्रदत्त नामांकन लक्ष्य अर्जन की शाला स्टाफ के साथ सामूहिक बैठक में समीक्षा उपरान्त आवश्यकतानुसार आगामी कार्ययोजना का निर्माण करना । अध्यापकों की टोलियों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालक-बालिकाओं को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्याओं का पता लगाकर, वंचित रह गए बच्चों को प्रवेश देने के लिए विशेष प्रयास करना। प्रवेशोत्सव के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा एवं कार्यो की विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2017

ग्रामवार/विद्यालयवार सर्वेक्षित बालक/बालिकाओं के विवरण की सूची

प्रपत्र संख्या– 1

ग्राम/विद्यालय का नाम..... ग्राम पंचायत/नगरपालिका का नाम.....

क्र.सं.	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	आयु/जन्मतिथि	वार्ड/गाँव का नाम	आधार सर्वेः सीटीएस/सम्पर्क	पहचान विवरणः नवीन/ड्रॉप आउट	पूर्व स्कूल का विवरण	ड्रॉप आउट का कारण
1								
2								
3								
4								
5								
..								
..								
..								
..								
30								

हस्ताक्षर अध्यापक

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2017

प्रपत्र संख्या– 2

विद्यालयवार जोड़े गए बालक–बालिका से संबंधित सूची

विद्यालय का नाम.....

क्र.सं.	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	आयु/जन्म तिथि	वार्ड/ग्राम का नाम	निवास स्थान से विद्यालय की दूरी
1					
2					
3					
4					
5					
6					
..					
..					
..					
30					

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

प्रगति विवरण | **प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2017** | **विद्यालय स्तर–** | **प्रपत्र–3**

विद्यालय का नाम .... पंचायत/निकाय–........................... पंचायत समिति–...........................

दिनांक	कक्षा 1 में प्रवेश			कक्षा 2 में प्रवेश			कक्षा 3 में प्रवेश			कक्षा 4 में प्रवेश			कक्षा 5 में प्रवेश			कक्षा 6 में प्रवेश			कक्षा 7 में प्रवेश			कक्षा 8 में प्रवेश			कक्षा 9 में प्रवेश			कक्षा 10 में प्रवेश			कक्षा 11 में प्रवेश			कक्षा 12 में प्रवेश			योग नामांकन		
	उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
26-Apr-17																																							
27-Apr-17																																							
28-Apr-17																																							
29-Apr-17																																							
1-May-17																																							
2-May-17																																							
3-May-17																																							
4-May-17																																							
5-May-17																																							
6-May-17																																							
8-May-17																																							
9-May-17																																							
योग–अ																																							
19-Jun-17																																							
20-Jun-17																																							
21-Jun-17																																							
22-Jun-17																																							
23-Jun-17																																							
24-Jun-17																																							
27-Jun-17																																							
28-Jun-17																																							
29-Jun-17																																							
30-Jun-17																																							
योग–ब																																							
महायोग (अ+ब)																																							

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2017 **प्रपत्र संख्या–4**

श्रेणीवार प्रवेशित बालक/बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

कक्षा	अनु.जाति		अजजाति		अपिव		अल्पसंख्यक		विशेष योग्यजन		सामान्य		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
योग														

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2017 **प्रपत्र संख्या–5**

श्रेणीवार प्रवेशित बालक/बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

कक्षा	अनु.जाति		अनु जनजाति		अपिव		अल्पसंख्यक		विशेष योग्यजन		सामान्य		योग	
	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
योग														

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

17. राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्ययोजना : 2017–18

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22492/प्रवेशोत्सव/2017–18/59 दिनांक : 21.03.2017 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय ● विषय :– राजकीय विद्यालयों में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना : 2017–18 ● प्रसंग– शासन का पत्रांकः प.32(1) शिक्षा–1/2000 पार्ट, जयपुर दिनांक 14.3.2017

1. **प्रस्तावनाः–** विगत वर्षों में प्रदेश की गाँव–ढाणियों में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक की अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् भी राजकीय विद्यालयों में नामांकन में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने तथा विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि व ड्रॉप आउट की दिशा में वांछित सुधार दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में विगत वर्ष माह अप्रैल–मई एवं जून में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु दो चरणों में वृहद् अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान के सकारात्मक परिणामों के रूप में राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सकल नामांकन में वर्ष 2015–16 की तुलना में वृद्धि अवश्य हुई है, परन्तु शासन स्तर से विभिन्न कक्षा वर्गों हेतु निर्धारित आदर्श नामांकन लक्ष्य को बहुत से राजकीय विद्यालयों द्वारा हासिल किया जाना अभी शेष है। उक्त क्रम में विगत वर्ष की लक्ष्य पूर्ति में कमी का समायोजन करते हुए आगामी दो वर्षों की तय समयावधि में प्रदत्त लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण किया गया है। उक्त नामांकन लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध रूप से इस वर्ष भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के आयोजन बाबत समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 15.03.2017 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अनेक सुविधाएँ यथा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण, छात्र दुर्घटना बीमा, मिड–डे मील, कक्षा–8, 10 एवं 12 के मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण, कक्षा 9 में प्रवेशित सभी बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की सुविधा एवं अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं प्रोत्साहन योजनाओं की सुविधाएँ दिए जाने के पश्चात् भी अपेक्षित नामांकन में वृद्धि नहीं होने से नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना के माध्यम से नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने के क्रम में प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।
2. **नामांकन लक्ष्यः–** आगामी दो वर्षों हेतु जिला, विद्यालय एवं कक्षा वर्गवार पुनर्निर्धारित नामांकन लक्ष्यों के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.17 द्वारा आपको अवगत करवाया जा चुका है, जो कि विभागीय वेबसाइट लिंक (http://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondaryeducation/en/awards/NamankanLakshay.html) पर भी जिला/विद्यालयवार उपलब्ध है। उक्त क्रम में प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु कक्षा–1 से 5 में 150, कक्षा–6 से 8 में 105, कक्षा–9 से 10 में 100 एवं कक्षा–11 से 12 में 100 विद्यार्थियों के न्यूनतम नामांकन की सुनिश्चितता संबंधित संस्था प्रधान एवं स्टाफ द्वारा समन्वित प्रयासों से की जाएगी।
3. **नामांकन वृद्धि हेतु प्रचार–प्रसारः–** राजकीय विद्यालयों में नामांकन से वंचित समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किए जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं अधिकतम लक्ष्य उपलब्धि के क्रम में प्रवेशोत्सव को प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कर जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर नामांकन लक्ष्य अर्जन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही में सम्बन्ध में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उसी विद्यालय में आगामी अध्ययन हेतु पूर्वोल्लेखित पत्र दिनांक 15.03.2017 में कार्यक्रम रूपरेखा द्वारा विस्तृत उल्लेख किया गया है। उक्त बाबत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उसी विद्यालय में आगामी अध्ययन हेतु ठहराव सुनिश्चित किए जाने तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भी अधिकाधिक नामांकन राजकीय विद्यालयों में करवाए जाने हेतु कक्षा 5 हेतु 'जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगत स्तर मूल्यांकन–2017' तथा कक्षा–8 किया जाकर विधिवत कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किए जाने के निर्देश समसंख्यक पत्र दिनांक 22.2.2017 द्वारा पूर्व में ही प्रदान किए जा चुके हैं। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान के सफल एवं प्रभावी संचालन हेतु जिला प्रशासन से समुचित समन्वय स्थापित कर अधीनस्थ संस्था प्रधानों को भी स्थानीय प्रशासन, राजकीय एजेन्सियों, स्थानीय मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर राजकीय संगठनों, स्थानीय भामाशाहों का भी आवश्यकतानुसार सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करने हेतु प्रेरित/निर्देशित करें।
4. **नामांकन लक्ष्य पूर्ति हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग (प्रबोधन):–**

- **संस्था प्रधान स्तर–** नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संस्थाप्रधान व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रवेशोत्सव के दोनों चरणों में शाला हेतु प्रदत्त नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करेंगे तथा इसमें अपने शाला स्टाफ, शिक्षक–अभिभावक परिषद्/वार्ड पंच/सरपंच/जन प्रतिनिधियों/भामाशाहों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क कर नामांकन लक्ष्य को पूर्ण करेंगे तथा व्यक्तिगत रूप से इसका सतत् प्रबोधन करेंगे। उक्त बाबत प्रत्येक संस्थाप्रधान द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से पूर्व मौजूदा वर्ष हेतु विद्यालय को आवंटित कक्षावार नामांकन के लक्ष्य अर्जन की वस्तुस्थिति की समीक्षा समस्त स्टाफ के साथ की जाकर इस वर्ष के शेष रहे नामांकन लक्ष्यों का समायोजन करते हुए आगामी वर्ष हेतु प्रदत्त कक्षा वर्गवार नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाकर समस्त स्टाफ को नामांकन के व्यक्तिगत लक्ष्य आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। संस्थाप्रधान से अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ प्रतिदिन समीक्षा करें ताकि आवंटित लक्ष्य शत–प्रतिशत अर्जित हो सके। नामांकन लक्ष्य पूर्ति/प्रवेशोत्सव के पश्चात् संस्थाप्रधान स्टाफ के साथ मासिक समीक्षा कर सुनिश्चित

करेंगे कि प्रवेश किए गए नामांकित बच्चे विद्यालय से ड्रॉप-आउट तो नहीं हो रहे हैं। एक बार प्रवेश के पश्चात् नियमित रूप से तीन माह तक अधिक देखरेख व प्रभावी पर्यवेक्षण से ड्रॉप-आउट की दर में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। ड्रॉप-आउट से सम्बन्धित बच्चों के अभिभावकों से निरन्तर समन्वय व संपर्क से भी ठहराव में सुधार हो सकेगा।

- **जिला शिक्षा अधिकारी स्तर-** जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु नॉडल अधिकारी नियुक्त कर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट के साथ विद्यालयवार प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। जिन विद्यालयों में नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति में कठिनाई आ रही है, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जाकर उस संबंधित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य स्वयं सहायता समूहों से संपर्क कर उस क्षेत्र के नामांकन के लक्ष्य की पूर्ति करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे तथा संस्थाप्रधान एवं स्टाफ को आवश्यकतानुसार सम्बलन प्रदान करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान के समुचित पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ व संसाधनों का आवश्यकतानुसार सदुपयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम एवं नामांकन वृद्धि अभियान को दिए गए महत्त्व के मद्देनजर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय के नॉडल अधिकारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) के साथ पूर्ण सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण जिले को प्रदत्त नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु फील्ड में परिवीक्षण की समन्वित कार्ययोजना तैयार कर दैनिक आधार पर नियमित समीक्षा हेतु उत्तरदायी होंगे। पदेन जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा उक्त सम्बन्ध में दोनों अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित रूप से दायित्वबद्ध किया जाकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।
- **उपनिदेशक स्तर** : उपनिदेशक (मण्डल अधिकारी) अपने अधीनस्थ जिलों का प्रभावी प्रबोधन करने हेतु अपने कार्यालय में पदस्थापित सहायक निदेशक (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को नॉडल अधिकारी नियुक्त कर नामांकन सम्बन्धी प्रगति की नियमित जानकारी अपने अधीनस्थ जिलों से प्राप्त कर साप्ताहिक आधार पर सतत रूप से समीक्षा करेंगे। जिन जिलों में नामांकन उपलब्धि लक्ष्य से कम अर्जित हो रही है, उन जिलों का प्राथमिकता से भ्रमण कर जिला शिक्षा अधिकारी एवं शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी से नियमित सम्पर्क में रह कर नामांकन अर्जन की दिशा में आ रही कठिनाइयों एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु निरन्तर सम्बलन प्रदान करेंगे।
- **निदेशालय स्तर:-** निदेशालय स्तर पर उप निदेशक (सांख्यिकी) पाक्षिक समय अन्तराल से गत पखवाड़े के नामांकन लक्ष्य की समीक्षा हेतु जिलेवार रिपोर्ट प्राप्त कर उप निदेशक (माध्यमिक) से समन्वय कर प्रभावी समीक्षा करेंगे। मौजूदा वर्ष के नामांकन लक्ष्यों की समीक्षा से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि कक्षा 1 से 5 में नामांकन वृद्धि अपेक्षानुरूप नहीं रही है तथा आगामी वर्ष हेतु लम्बित लक्ष्य के समायोजन उपरान्त सकल नामांकन वृद्धि करीब 30 प्रतिशत अपेक्षित है। विगत दो वर्षों में समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में SIQE के क्रियान्वयन से प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उक्तानुरूप उक्त कक्षाओं में नामांकन लक्ष्य अर्जन हेतु उप निदेशक (समाज शिक्षा) द्वारा उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं उप निदेशक (माध्यमिक) से आवश्यक समन्वय कर प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन लक्ष्य पूर्ति को विशेष रूप से मॉनिटर किया जाएगा।

5. **पुरस्कार एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही:-** संस्थाप्रधान/अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय के नामांकन लक्ष्य को पूरा करने/अधिक लक्ष्य प्राप्त करने पर संस्थाप्रधान द्वारा अध्यापकों एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर संस्थाप्रधानों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो संस्थाप्रधान/अध्यापक नामांकन के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/निप्र/डी-1/21901/पप/2015-16/300 दिनांक 18.04.2016 के प्रावधानान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

● **(बी.एल. स्वर्णकार)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

माह : अप्रैल, 2017	विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम					प्रसारण समय : दोपहर 2.40 से 3.00 बजे तक
दिनांक	**वार**	**आकाशवाणी केन्द्र**	**कक्षा**	**विषय**	**पाठ्यक्रमांक**	**पाठ का नाम**
01.04.2017	शनिवार	उदयपुर	7	सामाजिक विज्ञान	21	लोक संस्कृति
03.04.2017	सोमवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
05.04.2017	बुधवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
06.04.2017	गुरुवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
07.04.2017	शुक्रवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
08.04.2017	शनिवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम		
10.04.2017	सोमवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम पुनरावलोकन सत्र 2016-17

कलेण्डर वर्ष–2017 में राजस्थान के जिलों में जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश की सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	दिनांक	वार	अवकाश का कारण
1.	जयपुर	20/03/2017	सोमवार	शीतला सप्तमी (मेला चाकसू)
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
2.	अलवर	04/07/2017	मंगलवार	श्री जगन्नाथ मेला
		29/08/2017	मंगलवार	पाण्डुपोल मेला
3.	दौसा	01/02/2017	बुधवार	बसन्त पंचमी
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
4.	भरतपुर	21/08/2017	सोमवार	वन यात्रा
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
5.	सवाईमाधोपुर	16/01/2017	सोमवार	चौथ माता मेला
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
6.	करौली	12/04/2017	बुधवार	श्री महावीर जी रथयात्रा
		31/10/2017	मंगलवार	अंजनी माता मेला
7.	अजमेर	03/04/2017	सोमवार	उर्स मेला
		03/11/2017	शुक्रवार	पुष्कर मेला
8.	भीलवाड़ा	20/03/2017	सोमवार	शीतला सप्तमी
		05/09/2017	मंगलवार	अनन्त चतुर्दशी
9.	नागौर	20/03/2017	सोमवार	शीतला सप्तमी
		17/10/2017	मंगलवार	धनतेरस
10.	टोंक	25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
		17/10/2017	मंगलवार	धनतेरस
11.	कोटा	25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
		05/09/2017	मंगलवार	अनन्त चतुर्दशी
12.	बारां	01/09/2017	शुक्रवार	जलझूलनी एकादशी
		29/09/2017	शुक्रवार	महानवमी
13.	बूँदी	10/08/2017	गुरुवार	कजली तीज
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
14.	झालावाड़	05/04/2017	बुधवार	राडी के हनुमान जी का मेला
		05/09/2017	मंगलवार	अनन्त चतुर्दशी
15.	जोधपुर	21/03/2017	मंगलवार	शीतला अष्टमी
		23/08/2017	बुधवार	बाबा रामदेव मेला (मसूरिया)
16.	पाली	20/03/2017	सोमवार	शीतला सप्तमी
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
17.	बाड़मेर	28/04/2017	शुक्रवार	अक्षय तृतीया (आखातीज)
		17/10/2017	मंगलवार	धनतेरस
18.	जैसलमेर	28/04/2017	शुक्रवार	अक्षय तृतीया
		17/10/2017	मंगलवार	धनतेरस
19.	सिरोही	01/02/2017	बुधवार	बसंत पंचमी (सम्पूर्ण जिला आबू रोड तह. को छोड़कर)
		03/03/2017	शुक्रवार	रघुनाथ पाटोत्सव (केवल आबूरोड तह. क्षेत्र)
		28/04/2017	शुक्रवार	अक्षय तृतीया (सम्पूर्ण जिला)
20.	जालोर	15/02/2017	बुधवार	जालोर महोत्सव
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
21.	उदयपुर	25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
		29/09/2017	शुक्रवार	महानवमी (रामनवमी)
22.	बांसवाड़ा	05/09/2017	मंगलवार	गणेश विसर्जन
		23/10/2017	सोमवार	मंशाव्रत
23.	चित्तौड़गढ़	20/03/2017	सोमवार	शीतला सप्तमी (केवल उपखण्ड क्षेत्र राशमी एवं गंगरार में)
		21/03/2017	मंगलवार	शीतला अष्टमी (उपखण्ड क्षेत्र राशमी एवं गंगरार के अलावा सम्पूर्ण क्षेत्र में)
		05/09/2017	मंगलवार	अनंत चतुर्दशी
24.	प्रतापगढ़	10/05/2017	बुधवार	गोतमेश्वर मेला
		25/08/2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
25.	डूँगरपुर	10/02/2017	शुक्रवार	बेणेश्वर मेला
		08/09/2017	शुक्रवार	रथोत्सव
26.	राजसमन्द	20/03/2017	सोमवार	शीतला सप्तमी
		29/09/2017	शुक्रवार	महानवमी (रामनवमी)
27.	चूरू	11/04/2017	मंगलवार	हनुमान जयंती
		16/08/2017	बुधवार	गोगानवमी
28.	सीकर	08/03/2017	बुधवार	खाटूश्याम जी मेला
		03/04/2017	सोमवार	जीणमाता मेला
29.	बीकानेर	29/04/2017	शनिवार	अक्षय तृतीया
		05/06/2017	सोमवार	निर्जला एकादशी
30.	हनुमानगढ़	13/01/2017	शुक्रवार	लोहड़ी
		30/08/2017	बुधवार	गोगानवमी
31.	झुंझुनूं	21/08/2017	सोमवार	लोहागर्ल मेला
		17/10/2017	मंगलवार	धनतेरस
32.	श्रीगंगानगर	13/01/2017	शुक्रवार	लोहड़ी
		26/10/2016	गुरुवार	श्री गंगानगर स्थापना दिवस

धौलपुर में अवकाश उपचुनाव पश्चात घोषित किया जाएगा।

बीमा की संकल्पना

भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर तथा IRDA हैदराबाद से उपभोक्ता/ग्राहकों के हितार्थ जारी निर्देश यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति जो वित्तीय कठिनाई से स्वयं को बचाना चाहता है, को चाहिए कि वह बीमा के सम्बन्ध में विचार करे। बीमा अप्रत्याशित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव को कम करने और वित्तीय सुरक्षा निर्मित करने के लिए विशेष रूप से बताया गया वित्तीय साधन है। समस्त संस्थाप्रधान, शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर जनजागरण करें, SDMC मीटिंग में भी चर्चा करें एवं सूचना पट्ट पर भी इसका अंकन करावें ताकि गाँव की चौपाल तक बात पहुँच सके। सही उपयोगी जानकारी सभी को मिले, इस भाव से यह प्रकाशन किया जा रहा है। -वरिष्ठ संस्थापक

जीवन अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा पड़ा है। इन अनिश्चित घटनाओं से अपना, अपने परिवार और समाज का बचाव करना सदियों से मनुष्य की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहा है-जोखिम।

'जोखिम' एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम प्रायः उपर्युक्त जैसी अनिश्चित घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि उठाने की संभावना के लिए करते हैं। जोखिम उत्पन्न करनेवाली घटनाएँ संकटों के रूप में जानी जाती हैं जैसे आग, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प, वज्रपात।

हम नहीं जानते कि हमारे अपने लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों अथवा संपत्ति के लिए कब किस प्रकार की कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होगी। ऐसी अनहोनी को रोकना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, हम तूफान अथवा किसी की मृत्यु को घटित होने से रोक नहीं सकते।

बचत और निवेश : हमारे लिए यह संभव है कि हम उपर्युक्त जोखिमों के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय परिणामों को कम करने के लिए उपाय करें और वित्तीय रूप से अपनी रक्षा करें। आम तौर पर यह जिन तरीकों से किया जाता है उनमें से एक तरीका बचत और निवेश की सहायता से है। तथापि, ऐसी बचत हमें केवल अपनी स्वयं की धनराशि कुछ प्रतिलाभ के साथ वापस दे सकती है।

यदि किसी मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है अथवा कोई व्यक्ति स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर निर्योग्य (डिसेबल) हो जाता है तो क्या होगा?

ऐसी परिस्थितियों में उठाई गई हानि इतनी अधिक होती है कि वित्तीय भार को वहन करने के लिए एक व्यक्ति की बचत पर्याप्त नहीं हो सकती।

बीमा : हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो 'बीमा' कहलाता है। यद्यपि मृत्यु अथवा आग जैसी घटना किसी के लिए एक भयानक विपत्ति के रूप में आ सकती है, फिर भी जब हम समग्र रूप में समाज को लेते हैं, तब किसी एक विशिष्ट वर्ष में केवल कुछ ही लोग इस प्रकार से हानि उठाते हैं। यदि समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति से एक अल्प अंशदान संगृहीत किया जाता है और एक सामान्य निधि का निर्माण करने के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो इस प्रकार संगृहीत की गई राशि का उपयोग उन बदनसीब सदस्यों को धनराशि अदा करने के लिए किया जा सकता है जो उक्त हानि के अधीन रहे हों।

बीमा ऐसे व्यक्तियों के समूह, जो एक ही प्रकार के जोखिमों के प्रति असुरक्षित हैं, के बीच जोखिमों और निधियों का समूहन करने के द्वारा जोखिम अंतरण और साझेदारी करने की एक व्यवस्था है जो ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए है जो उक्त जोखिम के कारण हानि उठाते हैं।

पारंपरिक तौर पर संयुक्त परिवार भारत में एक अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा के रूप में रहा है। आधुनिक समाज में सामाजिक सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्हें संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। बीमा औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक साधन माना जाता है तथा अधिकांशतः दो प्रकार से संचालित किया जाता है।

1. पहली पद्धति सामाजिक बीमा कहलाती है। यहाँ राज्य अथवा सरकार द्वारा उन लोगों का ध्यान रखा जाता है जो किसी जोखिमपूर्ण घटना के कारण हानियों के अधीन हैं। उदाहरण हैं, व्यक्ति के वयोवृद्ध होने पर पेंशन प्रदान करना अथवा निःशुल्क डॉक्टरी चिकित्सा उपलब्ध कराना, अस्पताल में भर्ती का खर्च वहन करना, आदि। इस प्रयोजन के लिए निधि एक ऐसे समूह से आती है जो करों अथवा अधिदेशात्मक सामाजिक सुरक्षा अंशदानों से बनाया जाता है जिन्हें उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाना अपेक्षित है जो काम करते हैं और आय अर्जित करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) जो कर्मचारियों को चिकित्सा सेवा और अन्य लाभ उपलब्ध कराती है एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जो कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में पेंशन और उत्तरजीवियों के लाभ प्रदान करता है, इस शीर्ष के अंतर्गत लोकप्रिय योजनाएँ हैं।

2. दूसरी पद्धति स्वैच्छिक निजी बीमा के माध्यम से है। यहाँ व्यक्ति और समूह किसी बीमा कंपनी के साथ बीमा की संविदा करने के द्वारा उक्त बीमा कंपनी से बीमा खरीद सकते हैं। बीमा कंपनी एक संविदा (बीमा पॉलिसी) करती है जिसके द्वारा वह (बीमाकर्ता) निश्चित घटना (बीमाकृत संकट) के घटित होने पर एक निर्धारित धनराशि (बीमित राशि) बीमा करानेवाले व्यक्ति (बीमित व्यक्ति) को अदा करने के लिए सहमति देते हुए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अल्प धनराशि (प्रीमियम) के विनिमय में वचन देती है।

बीमा कंपनियाँ यह संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रीमियम संगृहीत करती हैं तथा हानियों का भुगतान बीमा करानेवाले जनसाधारण से इस प्रकार संगृहीत किये गये प्रीमियम से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, बीमा संविदा बीमाकृत व्यक्ति से प्राप्त प्रीमियम के लिए प्रतिफल में एक निश्चित राशि बीमाकृत व्यक्ति को अदा करने का वचन देती है।

उदाहरण : निम्नलिखित दो उदाहरण बीमा की संकल्पना को स्पष्ट करते हैं।

उदाहरण 1 : एक गाँव में 400 मकान हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 20,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष औसतन 4 मकान जल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल 80,000 रुपये की हानि होती है।

मकानों की संख्या	400
प्रत्येक मकान का मूल्य	20,000 रु.
प्रत्येक वर्ष जल जानेवाले मकान (औसत)	4
कुल हानि (4 मकान *20,000 रु.)	80,000 रु.

80,000 रुपये की हानि हेतु क्षतिपूर्ति करने के लिए 400 मकान मालिकों के द्वारा किया जानेवाला अंशदान = 80,000 रु./400	200 रु.

यदि सभी 400 मकान मालिक एकसाथ होते हैं और प्रत्येक 200 रुपये का अंशदान करते हैं, तो सामान्य निधि 80,000 रुपये होगी। यह उन 4 मकान मालिकों में से प्रत्येक को 20,000 रुपये अदा करने के लिए पर्याप्त है, जिनके मकान जल गये हों। इस प्रकार 4 मकान मालिकों का जोखिम गाँव के 400 मकानों/ मकान मालिकों के बीच व्याप्त है।

उदाहरण 2 : ऐसे 1000 व्यक्ति हैं जिनमें से सभी की आयु 50 वर्ष है और सभी स्वस्थ हैं। यह अनुमान है कि इनमें से संभवतः 10 व्यक्तियों की मृत्यु वर्ष के दौरान हो सकती है। यदि प्रत्येक मरनेवाले व्यक्ति के परिवार द्वारा उठाई जानेवाली हानि के आर्थिक मूल्य को 20,000 रुपये के रूप में लिया जाता है, तो कुल हानि 2,00,000 रुपये की होगी।

व्यक्तियों की संख्या	1000
प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक मूल्य	20,000 रु.
व्यक्ति जिनकी मृत्यु वर्ष के दौरान हो सकती है (संभावित)	10
कुल हानि (10 व्यक्ति *20,000)	2,00,000 रु.
2,00,000 रुपये की हानि हेतु क्षतिपूर्ति करने के लिए 1000 व्यक्तियों के द्वारा किया जानेवाला अंशदान=2,00,000 रु./1000	200 रु.

यदि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये वार्षिक अंशदान करता है, तो सामान्य निधि 2,00,000 रुपये होगी। यह उन दस व्यक्तियों, जिनकी मृत्यु हो सकती है, में से प्रत्येक के परिवार को 20,000 रुपये अदा करने के लिए पर्याप्त होगी। इस प्रकार, 10 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण उठाई गई हानि के जोखिम की साझेदारी 1000 व्यक्ति करते हैं।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि जोखिम का समूहन, साझेदारी और अंतरण करने के लिए बीमा एक अत्यंत उपयोगी वित्तीय साधन है जिससे किसी संकट के कारण नुकसान उठानेवाले व्यक्ति को होनेवाली वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

वृत्त अध्ययनः जोखिम और संरक्षण : शीतल और सिमरन एक ही कक्षा में पढ़नेवाली दोस्त हैं तथा नियमित रूप से एकसाथ घर जाती हैं। शीतल हमेशा एक छतरी अपने साथ रखती है और सिमरन उसका मजाक उड़ाती है। शीतल सरलतापूर्वक मुस्कराती है और कहती है कि चूँकि छतरी धूप और वर्षा से उसे बचाती है, इसलिए अपने स्कूल बैग में पाठ्य पुस्तकों के साथ रखकर छतरी ले जाने में उसके लिए वह कोई अतिरिक्त भार नहीं लगती।

एक दिन अचानक बारिश होने लगी। सिमरन के पास बरसाती (रेनकोट) या छतरी नहीं थी, जिसके कारण वह स्वयं भी भीग गई और उसका बैग और पुस्तकें भी भीग गईं। शीतल ने उसे और उसके बैग को पानी से बचाने के लिए अपनी छतरी का उपयोग किया। शीतल ने अपनी छतरी का साझा करने का प्रस्ताव किया और सिमरन से अपने घर आने के लिए कहा। शीतल के घर पहुँचने के बाद सिमरन ने देखा कि शीतल के पिताजी सावधानीपूर्वक कुछ कागजों की छँटाई कर रहे थे और नोट्स बना रहे थे। शीतल की माँ ने सभी के लिए नाश्ता बनाया और वहाँ कोई आवाज नहीं हो रही थी।

जब सिमरन ने शीतल की माँ से पूछा कि अंकल क्यों इतने गंभीर हैं, तो उन्होंने कहा, असल में तुम्हारे अंकल जी एक बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए कागजात को अंतिम रूप दे रहे हैं। आखिर बीमा पॉलिसी क्या होती है? सिमरन ने जानना चाहा।

शीतल की माँ ने स्पष्ट किया, बीमा अप्रत्याशित जोखिमों से संरक्षण देती है, जैसे कि रेनकोट या छतरी हमें पानी से बचाती है।

यह जोखिम क्या है? सिमरन ने पूछा।

शीतल की माँ ने कहा, देखो सिमरन। हम अपने जीवन में कई जोखिमों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम बारिश में पूरी भीग जाती हो तो बीमार पड़ सकती हो। इसमें बीमार होने का जोखिम है। वर्षा के कारण बिजली की शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इस टी.वी. में और अन्य घरेलू वस्तुओं में इलैक्ट्रॉनिक खराबी होने का जोखिम है। हमारी कार की चोरी होने का जोखिम है जो गराज में पार्क की हुई है और सड़क पार करते समय दुर्घटना होने का भी जोखिम है।

इसलिए जोखिम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्या जोखिम के कारण हानि होगी या नहीं तथा कब और कितनी हानि होगी, इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, नहीं जाना जा सकता अथवा हर समय इसपर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जबकि हम इनमें से अधिकांश जोखिमों से बच नहीं सकते, वहीं बीमा खरीदने के द्वारा हम जोखिम का अंतरण बीमा कंपनी को कर सकते हैं।

सिमरन ने पूछा, यह कैसे होता है?

शीतल की माँ ने स्पष्ट किया, मान लो, मूसलाधार वर्षा इतनी ज्यादा है कि संभव है इसके कारण बाढ़ आ जाए, हमारी कार पानी में डूब जाए। इससे कुछ अत्यावश्यक कल-पुरजे खराब हो जाएँ और उनकी मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाए। चूँकि हमने अपनी कार का बीमा करवा लिया है, इसलिए बीमा कंपनी मरम्मत के खर्च की प्रतिपूर्ति करती है जिससे कार को हुई क्षति के कारण उठाये गये नुकसान का प्रभाव कम किया जाता है।

सिमरन ने मासूमियत के साथ पूछा, लेकिन आंटी, इस बारिश को क्यों नहीं रोका जा सकता और तभी उसने छींका।

शीतल की माँ ने उद्गार प्रकट किया, जीती रहो! और उससे कहा, अगर तुम अपने साथ छतरी रख लेती तो पानी में भीगने से बच जाती। देखो, अब चूँकि तुम भीग चुकी हो, क्या हम तुम्हें छींकने से रोक सकते हैं?

सब लोग ठहाका मारकर हँस पड़े।

(सौजन्य से-RBI, JAIPUR एवं IRDA, Hyderabad)

आवश्यक सूचना

रचनाएँ आमंत्रित

'शिविरा पत्रिका' (मासिक) में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशनार्थ विविध विषयों व विधाओं पर शिक्षकवृंद व सुधी पाठकों से रचनाएँ आमंत्रित की जाती हैं। अतः अपने शैक्षिक चिंतन-अनुभव, कहानी, संस्मरण, एकांकी, बाल साहित्य, कविता एवं राजस्थानी साहित्य (गद्य-पद्य) आदि मौलिक रचनाएँ दिनांक 30 जून, 2017 तक 'वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर' के नाम से प्रेषित करें। रचना के अंत में मौलिकता की घोषणा एवं हस्ताक्षर भी आवश्यक है। साथ ही बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति रचनानुसार अलग-अलग संलग्न करें। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त रचनाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

-वरिष्ठ सम्पादक

अंबेडकर जयंती विशेष

अम्बेडकर का सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन दर्शन

❒ बजरंग प्रसाद मजेजी

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 22 दिसम्बर 1952 को पुणे में भाषण में कहा था कि- "लोकतंत्र की कामयाबी की सबसे पहली शर्त यह है कि समाज में किसी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए। कोई दलित वर्ग न हो और कोई शोषित वर्ग भी न हो। ऐसा कोई वर्ग न हो जिसके सिर पर सारा बोझ हो। इस तरह का वर्ग-भेद हिंसक क्रांति को जन्म देता है तथा लोकतंत्र भी उसका कोई उपचार नहीं कर सकता।" उनके अनुसार जाति प्रथा सहकारी एवं सहभागी जीवन के विपरीत एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जो समाज को स्थायी तौर पर शासित एवं शोषित वर्ग में विभाजित कर देती है। वर्तमान भारतीय जाति व्यवस्था इन्हीं बुराइयों से ग्रस्त है। इसलिए अस्पृश्यता जैसी जड़ जाति व्यवस्था का उन्मूलन आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वर्ण जाति व्यवस्था अनगिनत अन्यायों की जननी है। इससे 1. आर्थिक अन्याय 2. सामाजिक अन्याय 3. राजनैतिक अन्याय 4. धार्मिक अन्याय 5. सांस्कृतिक अन्याय पनपते हैं। अम्बेडकर इन अन्यायों के विरुद्ध जीवन पर्यन्त लड़े। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर-धनंजयसिंह कीर पृष्ठ 97 में लिखा है कि-"अस्पृश्यता की रूढ़ि से मुक्त होकर अगर उन्हें आत्म स्वातंत्र्य प्राप्त होता है तो इससे वे केवल अपनी उन्नति ही नहीं करेंगे बल्कि अपने पाठ्यक्रम से, बुद्धि से, देश की उन्नति के लिए कारण सिद्ध होंगे। हमारा आन्दोलन केवल पतितोद्धार का नहीं है उसमें लोकसंग्रह की भूमिका है। .... हमने जो कार्य हाथ में लिया है, वह पतितोद्धार का नहीं है, उसमें हिन्दू धर्म के उद्धार के लिए भी स्थान है और यह सत्य है, यही राष्ट्रीय कार्य है।"

डॉ. अम्बेडकर अस्पृश्यता आन्दोलन को माध्यम बनाकर स्वतंत्रता, समता, बंधुता इन तीनों के आधार पर समग्र हिन्दुस्तान के सभी समाजों का पुनर्गठन या पुनर्रचना करना चाहते थे। उनका स्वतंत्रता से तात्पर्य था कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति समान है तथा उसे समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के आधार पर न होकर, कार्य के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने समाज की वर्गीय व्यवस्था का विरोध किया। उनके अनुसार यह व्यवस्था लोगों को गुलाम

बनाती है और मनोवैज्ञानिक जटिलता को जन्म देती है। डॉ. अम्बेडकर ने दुखी होकर कहा कि- "मैं अस्पृश्य समाज में जन्मा हूँ, केवल इस कारण उच्च विद्याविभूषित व्यक्ति का यह हाल है, तो मेरे समाज के लाखों अनपढ़, गंवार भाई-बहिनों का क्या हाल होता होगा? यहाँ जानवरों को सम्मान मिलता है, जबकि अस्पृश्य मानवों के साथ बदत्तर व्यवहार होता है।" डॉ. अम्बेडकर का समता से तात्पर्य समस्त समाज के लिए था। उन्होंने मात्र अस्पृश्य जाति के लिए ही विचार नहीं किया अपितु सभी जातियों के बारे में चिन्तन किया, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं। समाज में श्रमिक, काश्तकार, महिला वर्ग के बारे में उनका मत समानता का था। उन्होंने अनुभव किया कि साधारणतः नागरिक एकता चाहते थे और समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, प्रेम और सहानुभूति चाहते हैं। इस आधार पर वे समाज का रूपांतरण चाहते थे। उनका उद्देश्य भी था कि सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर मानव समाज में सामाजिक समता-एकता की अनुभूति पैदा की जा सकती है। उनका बन्धुता ही नहीं विश्व बन्धुता के लिए कहना था कि भाईचारा (भातृत्व) मानव के उस गुण का नाम है, जिसके अनुसार यह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ प्यार तथा सम्मान का भाव रखता है। इससे सामाजिकता मजबूत होती है। व्यक्ति तब व्यावहारिक रवैया अपनाता है। यही मनोवृत्ति व्यक्ति को सचेत करती है कि दूसरों की भलाई, सहयोग की हिन्दू समाज की पुनर्रचना स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। उनके सामाजिक दर्शन के अनुसार प्रत्येक हिन्दू को धर्म बन्धुओं के साथ सभी प्रकार के निर्बन्धों के अधीन रहकर सम्बन्ध जोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिन्दुओं को चाहिए कि सब जातियों के लिए समान सामाजिक संहिता की रचना करें। डॉ. अम्बेडकर कलेक्टेड वर्क्स-राइटिंग एण्ड स्पीचेज खंड 283-84 में कहते हैं कि- "अधिकार, समता और स्वतंत्रता तो ठीक है। परन्तु, बंधुता के अभाव में स्वतंत्रता समता को एवं समता स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है।"

सामाजिक समानता के पक्षधरः- डॉ. अम्बेडकर ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में 'कास्ट इन इंडिया' प्रबन्ध प्रस्तुत करते हुए कहा कि- "भारत में यद्यपि समाज में अनगिनत जातियाँ हैं, परन्तु भारत में सांस्कृतिक एकता है।" उनका मानना था कि जब समाज अलग-अलग जातियों में बँट जाता है तो उनके आदर्श अलग-अलग हो जाते हैं। उनका हित एक दूसरे से टकराता है। इसलिए समाज का एक वर्णीय होना आवश्यक है। वे कहते थे कि राष्ट्र केवल संस्कृति से खड़ा नहीं होता। राष्ट्र के खड़े होने के लिए सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ सामाजिक एकता, समानता का भी उतना ही महत्त्व है। सामाजिक परिवर्तनों के लिए अम्बेडकर ने शांति, अनुनय और संविधान जैसे कारकों की संस्तुति की। बम्बई में 31 मई, 1936 में भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि "अस्पृश्यों को राजनैतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता एवं समानता की अति आवश्यकता है। जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती संविधान के बनाए कानूनी प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं है।" वे शोषित एवं वंचित समुदाय के लोगों को राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के पक्षधर तो थे किन्तु, वे चाहते थे कि इस वंचित वर्ग को उच्च

शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की जाए जिससे वह समाज के अन्य वर्ग के समक्ष अपनी क्षमता व गुणवत्ता के आधार पर खड़ा हो सके। सामाजिक लोकतंत्र पर उनकी सोच महात्मा गाँधी से भिन्न थी। वे सामाजिक बदलाव की गति से असंतुष्ट थे। वे चाहते थे कि देश को सामाजिक बदलाव को प्राथमिकता देकर उसका न्याय संगत समाधान निकालना चाहिए। वे इस वर्ग का स्पष्ट परिवर्तन चाहते थे।

समान नागरिकता सिद्धांत के समर्थक: – डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि सबल लोकतंत्र राष्ट्र को सबल बनाता है। उसमें जातीय, भाषायी अथवा पंथीय अलगाव की मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने समान नागरिकता संहिता की पुरजोर वकालत की। उनका मानना था कि सभी धार्मिक सम्प्रदाय अपने-अपने पंथ नियमों के द्वारा यदि उनके समुदाय के लोगों को संचालित करेंगे तो संवैधानिक लोकतंत्र कमजोर होगा। समान नागरिक संहिता एक नए उदारवादी लोकतंत्र की सार्थकता के लिए आवश्यक है।

लोकतंत्र का उद्देश्य लोगों को अधिकार एवं सम्पन्नता सम्पन्न कराना ही नहीं वरन् ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें बंधुता एवं सहजीवन का भान हो। उनका कहना था कि भाईचारे से सामाजिकता मजबूत होती है। अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक असमानता को अपूर्णता का प्रतीक माना। वे सदैव कहते थे कि भारत की एकता का आधार सांस्कृतिक है, यही चेतना अन्य परिवर्तनों का कारण बनेगी उनका कहना था कि विश्व में सभी राजनैतिक क्रांतियों के पूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई है। इस हेतु उन्होंने 1920 में 'मूक नायक' पत्रिका का प्रकाशन किया। जिसका उद्देश्य दलितों को राष्ट्रीय आन्दोलन में जोड़ने के लिए प्रेरित करना और सामाजिक सुधार के लिए जमीन तैयार करना था। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह, 1930 में काला राम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह और इसके बाद पुणे का पार्वती सत्याग्रह के द्वारा सार्वजनिक कुँओं से पानी पीने से लेकर, अन्य अस्पृश्य व्यवहारों से बहिष्कृत समाज के अधिकार दिलाने के प्रयत्न किए। वे असमानता के विरुद्ध अपने जीवन को समर्पित कर समाज की समानता के लिए वंचितों के अधिकार के लिए उपेक्षा से मुक्ति के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए संघर्षरत भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने "भगवान बुद्ध और उनका धम्म" पृष्ठ 236 में लिखा है कि "जैसे दूसरे वैसे ही मैं। जैसे हम वैसे ही दूसरे। इस विचार से दूसरों के साथ समरस हो जाओ।" यही समान नागरिकता का भाव है।

डॉ. अम्बेडकर के बारे में कुछ लोगों ने धारणा बना ली कि ये केवल तत्कालीन अछूत वर्ग के क्रांतिकारी नेता है। यह बाबा साहब के विराट स्वरूप को जो कि सर्वव्यापी था, उसे संकीर्ण दायरे में बाँधने का कुंठित प्रयास है। जबकि उन्होंने सामाजिक दंश झेलने के बावजूद, इस समाज की सामूहिक शक्ति को पहचाना और सबसे राष्ट्रहित में एक रहने का आह्वान किया। वे कहते थे कि सामाजिक कटुता हमें बाँटती है और नुकसान सारे देश को होता है। उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा इसी बात से आँकी जा सकती है कि 6 दिसम्बर 1956 को उनके स्वर्गवास होने पर दाह-संस्कार में 5 लाख नर-नारी, बाल-वृद्ध सम्मिलित हुए। भारत सरकार ने मरणोपरान्त उन्हें 'भारत रत्न' की उपाधि से विभूषित किया। ऐसे महामानव को कोटि-कोटि नमन!

से.नि. प्रधानाध्यापक
साँपला, तह. केकड़ी, अजमेर
मो: 9460894708

कर्म साधना का चमत्कार

जलपाईगुड़ी के चाय बागान में तेरह वर्ष का एक लड़का कुली का काम करता था। गरीब, पितृहीन (बिना बाप के) लड़के का नाम था भीमचन्द्र चटर्जी। यह बालक प्रतिदिन 18 घण्टे परिश्रम करता था। उस समय उसे 15 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था और उसमें से 10 रुपये वह अपनी माँ को दे देता था।

एक दिन उसकी माँ उससे बोली-"बेटा भीम, हमारे घर की स्थिति खराब ही सही, परन्तु मैं आज तुझ से कह रही हूँ कि तू नौकरी के चक्कर में मत पड़। हमें चाहे कितने भी कष्ट सहने पड़ें, पर तू चिन्ता न कर। मेरी इच्छा है कि तू पढ़ाई कर और जीवन में कुछ बन कर दिखा।"

बेटे ने बदामस्तक होकर माँ की आज्ञा को स्वीकार किया। घर-बार बंधक रखकर उसने पढ़ाई आरम्भ की। वह जीवन में आगे ही आगे बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ा कि लंदन की चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। उच्चकोटि के अभियन्ता (इंजिनियर) के रूप में उनकी प्रसिद्धि ऐसी हुई कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर तक उनके पास ट्रेनिंग लेने आते।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी (इन्जिनियरिंग) विभाग का प्रारूप भीमचन्द्र चटर्जी ने बनाया। इतना ही नहीं, 20 वर्ष तक 16-16 घण्टे और 5 वर्ष तक 20-20 घण्टे परिश्रम करके उन्होंने एक भारी ग्रन्थ लिखा। वह 30 खण्डों में है और उसमें 15,000 पृष्ठ है।

यह है कर्म-साधना का चमत्कार।

संकलन-ई. ज्येष्ठानन्द बीनगर
गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर, बीकानेर
मो. 9982426280

विश्व पुस्तक दिवस

पुस्तकें भाग्य विधाता

□ शशिकान्त त्रिवेदी 'आमेटा'

कहा जाता है कि पुस्तकें संत मिलन का उत्तम धाम हैं। वस्तुतः पुस्तकें मात्र 'वस्तु' नहीं है बल्कि एक बौद्धिक उत्पाद भी हैं। "पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक-दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अन्तःकरण को उज्ज्वल करती हैं।" पुस्तकें स्थायी ज्ञान प्राप्ति का साधन हैं। बर्नाड शॉ के अनुसार "पुस्तकें विचारों की चंग में बेहतरीन अस्त्र हैं। किसी ने सच ही कहा है कि पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची साथी होती हैं। ये व्यक्ति का हर मोड़ पर साथ देती हैं। अतः पुस्तकों के लिए यह कह दिया जाए कि "पुस्तकें संसार का सर्वश्रेष्ठ धन हैं' तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यद्यपि पुस्तकें बहुमूल्य धरोहर है, जो भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य का संग्रहालय है। पुस्तकें ज्ञान का अक्षय भण्डार होती हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का प्रेरक वाक्य 'कम खाओ, अधिक पढ़ो' भी सराहनीय है। इस वाक्य पर हर व्यक्ति अमल करे तो अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। डॉ. दौलतसिंह कोठारी ने कहा था-'चरित्र निर्माण करना ही शिक्षा की मूल भूमिका है। सकारात्मक बातों को सीखना ही शिक्षा है। पुस्तकें हमारी श्रेष्ठ साथी है, एक अच्छा मार्गदर्शक हैं, प्रथम एवं योग्य शुभ चिन्तक है। समस्त ज्ञान पुस्तकों के द्वारा ही प्रकाश में आता है। पुस्तकों के पढ़ने और पढ़ी हुई बातों का चिन्तन करने से श्रेष्ठ विचारों का उदय होता है। जो पढ़ता है पर चिन्तन नहीं करता उसका कोई भविष्य नहीं होता अतः पढ़ने के साथ-साथ चिन्तन भी जरूरी है। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, वे हमारी सबसे अधिक सहायक हैं। सद्साहित्य पढ़कर सकारात्मक सोच विकसित करें तो राष्ट्र की उन्नति अवश्यम्भावी है।

ज्ञान का कोई अन्त नहीं होता। ज्ञान महान है। विलासिता नहीं किन्तु अध्ययन है। ज्ञान सम्मान है और व्यक्ति के अन्तर को निखारने का एक मात्र उपाय है। ज्ञान तो सतत प्रवाहमयी गंगा है, ज्ञान बिना ध्यान नहीं। पढ़-

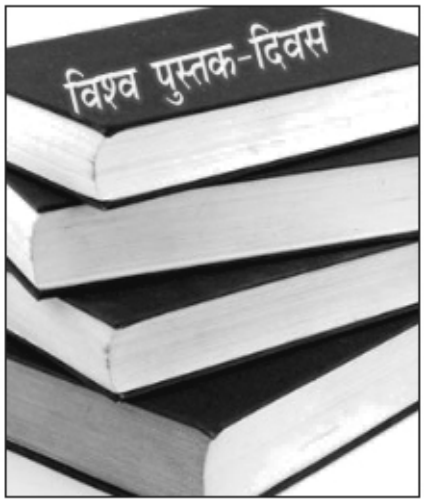

लिखकर बनता है इंसान, नहीं तो रहता है अनजान। ज्ञान में निखार की आवश्यकता होती है अतः नित्य नया ज्ञान अर्जित करना चाहिए। निखारने वाला विशेषज्ञ बनता है। निखार लाने से गुणवत्ता बढ़ती है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अध्ययन एक उच्च कोटि की साधना है। अध्ययन की साधना गंभीरता से होती है। अध्ययन तपस्या से कम नहीं है। तपस्वी में बल होना चाहिए। मनचाहा फल प्राप्त हो जाता है। पढ़ने का शौक अपने आप में दिलचस्प होता है। फ्रांसिस बेकन ने कहा है-"अध्ययन का उद्देश्य आत्मसंतुष्टि है। अध्ययन से तात्पर्य केवल पुस्तकों की पढ़ाई या विद्वत्ता से नहीं है।" स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है। विवेक जाग्रत होता है। अद्यतन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क शक्ति में दृढ़ता आती है। अध्ययन निर्विवाद रूप से शाश्वत स्रोत है।

रेने डकार्टेस का कहना है-"बेहतर पुस्तकों का अध्ययन करना गुजरे जमाने के बेहतरीन व्यक्तियों के साथ संवाद करने के समान है।" अध्ययन के लिए एकांत वातावरण अति उत्तम होता है। तन और मन का तालमेल होना जरूरी होता है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम नई पीढ़ी में पुस्तक पठन की आदत विकसित करें। नवीनतम ज्ञान जिज्ञासा को तृप्त कर सकता है। शिक्षक को स्वयं ज्ञानार्जन की निरन्तरता के साथ इसके उपयोग की आवश्यकता को समझना होगा। नवीनतम ज्ञान का स्वाभाविक स्रोत है पुस्तक। पुस्तक ही शिक्षक का सच्चा मित्र है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है-"मैं नरक में भी सद्ग्रन्थों का स्वागत करूँगा, क्योंकि उनमें वह शक्ति है कि जहाँ वे होंगे, वहीं स्वर्ग बन जाएगा।"

ज्ञान को आगे बढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। जितना ज्ञान है, उसको आज ही पा लेना कठिन है। शिक्षा की आवश्यकता समाज के प्रत्येक सदस्य के जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता के कारण होती है। समाज में निरन्तर अस्तित्व बनाए रखने के लिए शिक्षण और ज्ञानार्जन की आवश्यकता होती है। अपने अस्तित्व को कायम रखने का प्रयत्न करना जीवन का स्वभाव होता है। यह जो शरीर है, उसमें कलुष किसी न किसी बहाने आ ही जाता है। पर उससे हटकर ज्ञान का शुद्ध रूप, चैतन्य का चिन्मय रूप इन पुस्तकों में विद्यमान है। पुस्तकालय-सन्त मिलन के सबसे उत्तम मार्ग हैं क्योंकि इसके भीतर ही महापुरुषों का चिन्मय रूप, ज्ञानमय रूप एवं उनकी उपलब्धियाँ सुरक्षित हैं। पुस्तकालय सही मायने में ज्ञान के सागर होते हैं जहाँ से ज्ञान का प्रवाह होता है। इस ज्ञान की मंदाकिनी में जो आदमी जितना नहाता है, इसका जितनी गहराई से अध्ययन करता है उतना ही परिपक्व और विलक्षण बनता है। इसमें कोई शक नहीं है।

पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है, जहाँ प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक की सूचनाओं का संकलन रखने का हर संभव प्रयास किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के कई साधन हैं; जैसे-अध्ययन, मनन, प्रयोग तथा पर्यटन। इनमें पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ज्यादा सहज एवं सरल है। विद्यालय में पुस्तकों का स्वाभाविक स्रोत पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, वे हैं पुस्तक+आलय

अर्थात् वह स्थान जहाँ पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से पाठकों की ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए रखा जाता है। प्राचीनकाल के 'भारती भण्डार' और 'सरस्वती भण्डार' पुस्तकालय के संस्कृत पर्याय हैं।

कहा जाता है-

'सरस्वती के भण्डार की बड़ी अपूरब बात,
ज्यों-ज्यों खरचे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खरचे घट जात।

यह ज्ञान ऐसा होता है जिसे खर्च करने पर बढ़ता है और संचित करने पर घटता रहता है।

पुस्तकालय एक ऐसा मन्दिर है, जहाँ ज्ञान रूपी दीपक दिन-रात जलता रहता है। पुस्तकालय वर्तमान समाज का एक अंग है। किसी समाज या राष्ट्र के निर्माण में पुस्तकालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। पुस्तकालय सभी देशों की मान्यता प्राप्त संस्था है। पुस्तकालय को हम ज्ञान का अक्षय भण्डार कहें तो वाचनालय को ज्ञान को प्रवाहित करने वाले स्रोत की संज्ञा दी जा सकती है। पुस्तकों के महत्त्व को हम सब जानते हैं, स्वीकारते हैं, फिर भी विद्यालयों में पुस्तकालयों का व्यवस्थित संचालन आज भी एक चुनौती है। वाल्टेयर भी राष्ट्र निर्माण में पुस्तकों का महत्त्व इस प्रकार प्रकट करते हैं- **असभ्य राष्ट्रों को छोड़कर सम्पूर्ण विश्व में पुस्तकों का ही शासन है। हमें पुस्तकों का महत्त्व स्वीकारना होगा।** अतः विद्यालय खोलकर जिस प्रकार से भी हो, इसकी रक्षा करो और इसको बढ़ाने का प्रयत्न करो। वैसे भी पुस्तकों के सन्दर्भ में नेहरु जी का कथन था- ''पुस्तकें ज्ञान का सागर हैं इसे हम जितनी सफाई-हिफाजत से रखेंगे, उतना ही पढ़ने में हमारा मन लगेगा और ज्ञान मिलेगा। इनका सदा ही आदर सम्मान करना चाहिए।''

समाज के जिस अंग को हम विद्यालय कहते हैं उसका पहला काम एक सरलीकृत पर्यावरण उपलब्ध करवाना होता है। सुप्रसिद्ध विचारक कार्लाइल का कहना है ''अच्छी पुस्तकों का संकलन करना एक अच्छा विद्यालय कायम करने के समान है। अच्छी पुस्तकों से मित्रता करके हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं।''

संस्थाप्रधान को पुस्तकालय के विकास एवं व्यवस्थापन में अधिक ध्यान देना आवश्यक है। पुस्तकों का निरन्तर अधिकतम उपयोग हो। पुस्तकों को क्रय करने से पूर्व शिक्षकों से विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है। पुस्तक संस्कृति के निर्माण की दिशा में समाज बढ़ेगा तो घर-घर में बच्चों को पढ़ने का चस्का लगेगा। पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक का ही दायित्व है कि विद्यार्थियों में अधिक से अधिक साहित्य पढ़ने तथा स्वाध्याय की रुचि विकसित करने का प्रयत्न करें। साहित्य गुणों का भण्डार है। उत्तम साहित्य श्रेष्ठ नागरिक तैयार करता है। अतः पुस्तकालयों में पुस्तकों की सुरक्षा और संरक्षा करना पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रमुख दायित्व है।

आधुनिक युग में श्रव्य-दृश्य साधनों के प्रयोग की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कम्प्यूटर व इंटरनेट के उदय ने तो यह भावना भी शुरू कर दी है कि पुस्तकें सम्भवतया दृश्य से धीरे-धीरे ओझल होने वाली है। पुस्तकें ही हैं जिन्हें हवाई जहाज, रेल या बस की यात्रा में पुस्तकालय के शांत कोने में, स्कूल-कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ सकते हैं। शैक्षिक संस्थाएँ पुस्तक पठन के लिए अनिवार्य कालांश निर्धारित कर पुस्तक पठन सुनिश्चित कर सकती हैं और पुस्तकालयाध्यक्ष अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग रहें तो इस समस्या का निदान हो सकता है। दूरदर्शन के कारण आजकल हम पुस्तकों को भूलते जा रहे हैं। आज का विद्यार्थी एवं युवा वर्ग अपना अधिकांश समय टी.वी. देखकर बिताना चाहते हैं लेकिन पुस्तकें पढ़ना उन्हें पसन्द नहीं। टेलीविजन तथा कम्प्यूटर विलास नहीं है। ये आज की आवश्यकताएँ अवश्य हैं, ये साधन हैं साध्य नहीं।

पुस्तकालयों में बन्द पुस्तकों को आजीवन कारावास की सजा दिलवा दी गयी है। उनकी ऐसी दुर्दशा, ऐसी हालत हमारे लिए सोचनीय है। क़ैदी रूपी पुस्तकें आलमारी में बन्द तेज आवाज में चिल्लाती रहती हैं, मुझे किस जुर्म में कैद किया गया है? मुझे इतनी भयंकर सजा क्यों दिलवाई जा रही है। आवश्यकता है उन क़ैदी पुस्तकों की आवाज सुनें तथा ताला खोलकर उन पुस्तकों को मुक्त कर दें।

पुस्तकों के प्रति जागरूकता पैदा करने में समाचार-पत्र समाज के अंतिम छोर तक पहुँचने वाला माध्यम है, पुस्तकों के प्रति जागरूकता पैदा करने में मददगार हैं। टेलीविजन और रेडियो दोनों ही पुस्तकों के प्रति जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करें तो हम पुस्तकों की विद्यमानता को सजीवता प्रदान करते हुए एक पुस्तक प्रिय समाज की ओर बढ़ सकते हैं और तब पुस्तकें भी 'बोल' उठेंगी। पुस्तकें कभी नहीं मर सकती। ज्ञान कभी नहीं मरता। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों द्वारा समाचार, कविताएँ, कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग, चुटकुले आदि सुनवाएँ जाएँ तथा कभी-कभी श्रेष्ठ पुस्तकों की चर्चा भी की जाएँ और अन्त में सत्रपर्यन्त अधिकतम पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर राष्ट्रीय पर्व, हर शुभ अवसर पर जैसे जन्मोत्सव, विवाह, नवसंवत्सर, दीपावली, विद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव पर अच्छी पुस्तकें उपहार में दी जाकर पुरस्कृत/सम्मानित किया जा सकता है।

महापुरुषों की महानता के पीछे सद्ग्रन्थों का रहस्य ही छिपा है। जब विश्व विजयी सिकन्दर विश्राम कर रहा था, तब उसके एक सैन्य अधिकारी ने आकर अमूल्य रत्नों से जड़ी हुई एक पेटी उसे भेंट की और कहा कि आप इसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु रखें जिससे इसकी याद हमेशा बनी रहे। सिकन्दर ने कहा- ''सद्विचारों की प्रेरणा तो मुझे महाकवि होमर कृत महाकाव्य 'इलियड' से प्राप्त हुई है, इसने मुझे पापों का प्रायश्यित करने की प्रेरणा दी है। अतः इस बहुमूल्य पेटी को मैं इस अमूल्य अंश द्वारा सुशोभित करूँगा।'' किताबें आपको सफलता का रास्ता बताती हैं।

आइए, हम स्वाध्याय का संकल्प लें, इसे जीवन का व्रत बनाएँ। अनिवार्य यह है कि हमारा दृढ़संकल्प कृत संकल्प हो तभी कर्तव्य कर्म शुभ संकल्पमय एवं शिव संकल्पमय होगा।

'पुस्तकें बोलती रहेंगी।
पुस्तकें विद्यमान रहेंगी।।'

पूर्व प्राध्यापक
फोरेस्ट चौकी के पास
लोहारिया, बाँसवाड़ा-327605
मो: 9460116012

अहंकार लोक और परलोक दोनों का ही विनाश करता है।

बैशाखी विशेष- 13 अप्रैल

पावन बलिदान का प्रतीक-जलियाँवाला बाग

□ रामजीलाल घोड़ेला

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास शहीदों के बलिदान से भरा हुआ है। इस स्वतंत्रता संग्राम में बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों ने सक्रियता से भाग लिया। जब भारत के वीर सैनिकों ने विश्वयुद्ध जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो अंग्रेज सरकार ने घोषणा की, कि वह भारत को स्वायत्त शासन देने के लिए तैयार हो रही है। राष्ट्रपति विल्सन ने भी एक 14 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

रॉलेट एक्ट व दमनकारी नीतियाँ:- अंग्रेज सरकार ने 21 मार्च, 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया और इसने 'डिफेंस ऑफ इंडिया' एक्ट की जगह ली, क्योंकि वह कानून प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त होने के साथ-साथ समाप्त हो जाना था। रॉलेट एक्ट में ऐसी विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई थी जिनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। मुकदमा बन्द कमरे में होता था, जिसमें गवाह पेश करने की भी अनुमति नहीं थी। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे दमनकारी प्रावधान थे, जो भारतीयों पर अत्याचार से कम नहीं थे। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गाँधी जी ने पहले कदम के रूप में जनता को आह्वान करते हुए एक प्रतिज्ञा लेने को कहा-"जब तक इस कानून को वापिस न लिया जाए, आप सभ्यतापूर्वक इसे मानने से इनकार कर दें।" फिर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया। उस दिन देश भर में समस्त आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हो गई और हड़ताल को आशातीत सफलता मिली।

राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रव्यापी आन्दोलन:- उन्हीं दिनों हिन्दू-मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली में मुसलमानों ने जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। इसी तरह महात्मा गाँधी और श्रीमती सरोजनी नायडू ने बम्बई की मस्जिदों में भाषण दिए। उधर पंजाब में आन्दोलन का नेतृत्व डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल ने संभाला। एक मुसलमान और एक हिन्दू। परन्तु दोनों को ही अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर और अन्य नगरों में शानदार हड़ताल हुई। शायद उससे पंजाब का बदमिजाज और अक्खड़ लेफ्टिनेंट-गवर्नर माइकेल ओ डवायर घबरा गया। गवर्नर ने घबरा कर अमृतसर का नियंत्रण सेना को सौंप दिया। 11 अप्रैल की रात को नगर का

कार्यभार ब्रिगेडियर डायर ने संभाल लिया। नगर में सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

वैशाखी का दिन और जलियाँवाला बाग:- जब यह सब हो रहा था तो 13 अप्रैल वैशाखी का दिन आ गया जो पंजाब में फसल पकने का प्रमुख त्योहार तो है ही, सिखों के लिए यह बहुत पवित्र दिन है क्योंकि इसी दिन सन् 1699 ईस्वी में सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी इसलिए इस दिन लोग किसी भी प्रकार का बंधन मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह घोषणा की गई कि 13 अप्रैल के दोपहर बाद स्वर्ण मन्दिर के निकट जलियाँवाला बाग में एक आम सभा होगी। यह सभा प्रशासन का विरोध करने व अपने अधिकारों की रक्षा के लिए होनी थी। जलियाँवाला बाग नगर के मध्य में स्थित है। यह चारों ओर से ऊँची इमारतों से घिरा हुआ है। केवल एक ही तंग रास्ता इसके अन्दर जाता है। इस सभा में लगभग 2500 से अधिक स्त्री, पुरुष और बच्चे भाग ले रहे थे।

ब्रिगेडियर डायर की क्रूरता:- सभा प्रारम्भ हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि ब्रिगेडियर डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया। सभा को तितर-बितर करने के लिए सैनिकों को अंधाधुंध गोलियाँ चलाने का आदेश दिया। एक मात्र तंग रास्ता पहले ही अवरुद्ध करवा दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसी बीभत्स हत्याकाण्ड का हृदय विदारक वर्णन किया। जैसे ही मशीनगनों से गोलियाँ बरसनी शुरु हुई, शवों के ढेर लग गए। हजारों लोग घायल हो गए। वहाँ बुरी तरह भगदड़ मच गई। सैंकड़ों लोग पैरों तले कुचले गए। परन्तु स्त्रियों और बच्चों की चीख-चिल्लाहट गोलियों की धांय-धांय की आवाज में दब गई। पूरा गोला-बारुद समाप्त होने पर ही गोलियाँ चलनी बंद हुई। मृतकों और घायलों को छोड़ कर डायर अपने सैनिकों सहित वहाँ से चला गया। घायलों की देखभाल तो दूर, वहाँ उन्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं था। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 379 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए। हजारों घायल हो गए। जलियाँवाला बाग का कुआँ पूरी तरह भर गया। सैंकड़ों लोग इस कुएँ में दब कर मर गए। गैर सरकारी आँकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या चार अंकों में थी। बाग की नालियाँ घायलों के खून से लबालब भर गई।

निर्मम हत्याकाण्ड और ब्रिटेन के माथे पर कलंक:- इस निर्मम हत्याकाण्ड का समाचार सुनकर दुनिया दहल गई। महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 'सर' की उपाधि सरकार को वापिस लौटाते हुए यह कहा कि, "जिस तरह हमें अपमानित किया गया है, अब उसे देखते हुए सरकार से मिले सम्मान के तमगे हमारे लिए लज्जा का विषय बन गए हैं। इसलिए मैं अपने देशवासियों की खातिर उन सब विशेष सम्मानों से वंचित होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे देशवासियों को इतना महत्वहीन समझा गया और उनसे ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया गया जो मनुष्योचित भी नहीं कहा जा सकता।" जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के बारे में विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्ति ने यह कहा कि जलियावाँला बाग हत्याकाण्ड जैसा लोमहर्षक काण्ड ब्रिटेन के इतिहास पर बॉन ऑफ आर्क की हत्या के बाद सबसे बड़ा कलंक है। वास्तव में तभी से भारत में ब्रिटेन के शासन का अंत होना शुरु हो गया था।

जलियाँवाला बाग एक तीर्थ:- जलियाँवाला बाग एक तीर्थ स्थल है तथा यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया है जहाँ सबने मिल-जुलकर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना रक्त बहाया था। उन सभी शहीदों को कोटि-कोटि नमन।

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले।
वतन पे मरने वालों का, यही बाकी निशां होगा।।

प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आडसर,
बीकानेर मो : 9414273575

पुस्तक समीक्षा

राजस्थानी गीता मानस

अनुवादक : मुहम्मद कुरैशी 'निर्मल', प्रकाशक : मास्टर अब्दुल गनी मैमोरियल साहित्य एवं शोध संस्थान, ब्यावर संस्करण : 2016, पृष्ठ संख्या : 174, मूल्य : ₹ 200

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कृत वाङ्मय का अनन्य ग्रंथ है। कोटि-कोटि भारतीय और भारतीयेतर मानव इस ग्रंथ को अपने जीवन की प्रेरणा मानते हैं। इसी प्रेरणा का प्रतिफल है कि इस ग्रंथ का अनुवाद, टीकाएँ-व्याख्याएँ वर्षों से विभिन्न देशी-विदेशी भाषाओं में लिखी जाती रही हैं। इसी परंपरा में श्री मुहम्मद कुरैशी 'निर्मल' ने श्रीमद्भगवद्गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद रामचरित मानस की दोहा-चौपाई शैली में 'राजस्थानी गीता मानस' नाम से किया है।

श्री 'निर्मल' का यह ग्रंथ भारतीय काव्य परंपरा के अनुसरण में मंगलाचरण एवं ईश वंदना से प्रारम्भ हुआ है। तुलसी और जायसी की तरह इन्होंने 'राजस्थानी गीता मानस' को दोहा-चौपाई शैली में लिखा है। वैसे दोहा छंद से राजस्थानी भाषा की पुरानी प्रीत रही है लेकिन चौपाई छंद की सरसता और सहजता को राजस्थानी भाषा में अवतरित करने का श्री कुरैशी जी का प्रयास विशिष्ट कहा जाएगा। जिन पाठकों के लिए गूढ़ राजस्थानी शब्दों का अर्थ समझना कठिन होता है, उनके लिए मूल संस्कृत श्लोकों के साथ हिन्दी अनुवाद भी दिया हुआ है। इस शैली के कारण पाठक हाथों हाथ कठिन राजस्थानी शब्दों का हिन्दी में अनुवाद पढ़कर ग्रंथ का निर्बाध रसास्वादन कर सकते हैं। अनूदित ग्रंथ का शब्द चयन सार्थक बन पड़ा है। धर्म-दर्शन और अध्यात्म के पारिभाषिक शब्दों को मूल तत्सम रूप में ही रखा गया है। यथा- 'आप जगत पिता चराचर रा/त्रिलोक पूज्य नहीं आप सर रा।' (पृ. सं. 119) वहीं दूसरी ओर तत्सम व तद्भव शब्दों का मेल पाठकों को चमत्कृत भी करता है। यथा-'वगास करता, चलमदाता हूँ/त्रि, वाक्, स्मृति, मेधा धृति क्षमा हूँ।'

संपूर्ण अनूदित काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों की आभा विस्तीर्ण है। संस्कृत काव्य की पद संश्लिष्टता में रूपक अलंकार सदैव गुंथा हुआ होता है; परन्तु 'निर्मल' ने राजस्थानी अनुवाद में उस गुंफन का कहीं भी बिखराव नहीं होने दिया है। ऐसा ही रूपक सौंदर्य इस चौपाई में दृष्टव्य है-'माया जीव सनातन जाणी/राग द्वेस वस्तु प्रकृति पिछाणी।'

'निर्मल' ने अनुवाद के मूल सिद्धांतों 'ध्वनि एवं शब्द के स्तर पर समतुल्यता' का विशेष ध्यान रखा है, परन्तु इस प्रयास में कहीं-कहीं अनुवाद में भाषा राजस्थानी के स्थान पर हिन्दी परिलक्षित होने लगती है, यथा- 'काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।/ महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्।।3-37।। (पृ.सं. 50) का अनुवाद -'रजोगुण उपजे काम क्रोध है/अतृप्त सठ अधीर शत्रु भोग है।'

'निर्मल' ने ध्वनि एवं शब्द के साथ ही 'प्रोक्ति के स्तर पर समतुल्यता' का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। हर भाषा की अपनी शैलीगत विशेषताएँ होती हैं। इसलिए इस अनुवाद में भाषा का अंतरण करते समय दोनों भाषाओं में शैलीगत सामंजस्य रखा है। इसके साथ ही निर्मल ने अनुवाद के सबसे मुख्य 'सांस्कृतिक ऐक्य सिद्धांत' का पूर्णतया पालन किया है। इस पुस्तक के अनुवाद में मूलनिष्ठता, सहजता, सटीकता, प्रभावशीलता तथा मौलिकता का समावेश इसे एक महत्त्वपूर्ण कृति बनाता है। हाँ, रचना की भाषा में ठेठ राजस्थानी शब्दों का कम प्रयोग और तत्समता की अधिकता कहीं-कहीं अखरती है।

'निर्मल' ने परंपरा से प्राप्त ग्रंथ एवं मानव चरित्रों की अपने क्षेत्र की भाषायी आवश्यकता के संदर्भ में पुनर्रचना की है। उनकी इस पुनर्रचना में ही उनकी कला प्रकट होती है। यह पुनर्रचना पुरानी रचना को दोहराना या उसका अनुकरण नहीं है; यह पुनर्रचना वस्तुतः एक नई रचना है। परंपरा की पुनर्रचना करने वाली नई सृष्टि-दृष्टि में कवियों की कला और रचना कौशल की अभिव्यक्ति होती है। 'निर्मल' के अनुवाद के शब्द लोकभाषा और लोकजीवन के हैं, लेकिन अनुवाद की रचनादृष्टि उनकी अपनी है। रचना दृष्टि का यही निवेपन 'निर्मल' की अनुवाद कला की विशिष्टता का मुख्य कारण है। 'निर्मल' की रचना दृष्टि की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें अनुभूति, तन्मयता, निश्छलता, सच्चाई और पवित्रता से प्राचीन भाषा की लोकभाषा से सहज सौन्दर्य की स्वाभाविक एकता है। यही भविष्य में 'निर्मल' की 'राजस्थानी गीता मानस' की लोकप्रियता का मूलभूत कारण बन सकती है।

कवि 'निर्मल' ने प्रस्तुत ग्रंथ का अनुवाद करते समय कहीं भी गीता की मूल मान्यताओं, सिद्धांतों एवं घटनाओं को किंचित् भी परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। धार्मिक ग्रंथों का भाषायी अनुवाद करते समय यह अपेक्षित भी रहता है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों की मूल शब्दावली और मान्यताओं में थोड़ा हेर-फेर भी विवाद का विषय बन जाता है। कवि की यह अनुवादक चेतना श्लाघ्य है।

वस्तुतः मुहम्मद कुरैशी 'निर्मल' ने 'राजस्थानी गीता मानस' के माध्यम से राजस्थानी वाङ्मय को समृद्ध किया है। सर्व धर्म समभाव की दिशा में इस प्रकार के प्रयासों का अपना सामाजिक महत्त्व है। यह पुस्तक राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के सहृदयों एवं गीता प्रेमी आध्यात्मिक जनों के लिए पठनीय एवं संग्रहणीय है। 'राजस्थानी गीता मानस' जैसा चिर-प्रतीक्षित अनुवाद करने वाले लेखक अनुवादक श्री मुहम्मद कुरैशी 'निर्मल' को 'राजस्थानी रसखान' कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

समीक्षकः डॉ. विष्णुदत्त जोशी
व्याख्याता
रा.उ.मा.वि., किरमसर, नोखा, बीकानेर
मोः 9414028368

शिक्षा और रोजगार

संकलनकर्ता : शंकरलाल आचार्य प्रकाशक : श्री मानव कल्याण ट्रस्ट, II-113 मुरलीधरव्यास नगर, मौसम विभाग मार्ग, बीकानेर, प्रकाशन वर्षः 2016 पृष्ठ संख्या : 136 मूल्य : ₹ 100

10+2 के बाद छात्र और अभिभावक के

सामने यह प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या? बच्चे को क्या विषय दिलाएँ। पड़ौसी, कार्यालय के सहकर्मी भी सलाह करते हैं। छात्र के अपने दोस्त-सहपाठी भी आपस में सलाह करते हैं। अभिभावक और छात्र के सामने कुछ विकल्प होते हैं तथा अगली कक्षा में प्रवेश के अंतिम क्षण तक जैसे-तैसे आखिर कोई भी निर्णय कर लिया जाता है।

डॉक्टर, इंजीनियर, आई.टी.आई. या फिर एस.टी.सी.। प्रायः परिवारों में विकसित शैक्षिक वातावरण न होने से अभिभावक निष्क्रिय ही रहते हैं। छात्र ही अपनी रुचि बिद या फिर दोस्तों के कहने से किसी भी विषय का चयन कर लेता है।

प्रायः देखा गया है कि अलग-अलग समय में सामाजिक, आर्थिक समानता के अनुसार शिक्षा में विषयों के चयन का दौर आता है तथा बदलता भी रहता है। कभी साइंस के दौर मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाने का उत्साह तो कभी समूह के समूह विद्यार्थी कॉमर्स ही लेने लग जाते है। सी.ए. और एम.बी.ए. का दौर चला तो थोक के भाव में सी.ए./एम.बी.ए. की डिग्रियाँ प्राप्त सामान्य या कम रोजगार ही प्राप्त कर रहे हैं। एक समय में जो क्रेज था इन विषयों का तो उस हिसाब से नौकरी रोजगार नहीं मिल पाते हैं। शिक्षा का संबंध वर्तमान में चरित्र निर्माण से ज्यादा नौकरी-रोजगार से जुड़ा है। जैसे कि वर्तमान में आई टी का दौर चल रहा है। जबकि इन विषयों के लिए एक विशेष टैलेंट की आवश्यकता होती है। कभी 60% अंक प्राप्त करने वाला धन्य हो जाता था लेकिन अब 85% से तो रेंज शुरू होती है। जो आखिर में 95-98% तक जा पहुँचती है।

इस व्यवस्था में उच्च संस्थाओं में कोचिंग प्राप्त करके भी छात्र तनाव और कुंठाग्रस्त बना रहता है। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक के आई टी कंपनियों के पैकेज विद्यार्थी को लुभाते हैं। अभिभावक सामर्थ्य से अधिक खर्च करने को भी तैयार बैठे हैं।

12वीं के बाद क्या? अर्थात विषय का चयन वर्तमान में छात्र और अभिभावक दोनों के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। तो ऐसे में श्री शंकर लाल आचार्य द्वारा संकलित 'शिक्षा और रोजगार' नामक यह पुस्तक विषय का चयन करने के लिए मार्गदर्शन हेतु एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। वर्तमान में प्रचलित 100 से अधिक रोजगारों का उल्लेख इसमें है। चयन करने वाले छात्र की योग्यता, प्रवृत्ति, संबंधित संस्थान, पाठ्यक्रम की अवधि, संस्थानों से संपर्क करने का पता आदि का विस्तार से वर्णन इस पुस्तक में उपलब्ध है।

पुस्तक में वर्णित कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। भारत और विश्व के टॉप शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय। आज के विकासशील युग में डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी विभिन्न प्रकार के सौ से अधिक शैक्षिक शाखाओं की जानकारी इसमें उपलब्ध है। उदाहरणार्थ सिनेमेटोग्राफी, टूरिज्म, एग्रोकेमिकल्स फैशन डिजायनिंग, विदेशी भाषा अध्ययन, इंटीरियर डिजायनिंग वन और मौसम सेवा, एयर होस्टेस, एविऐशन आदि के साथ फाइनेंस प्लानर आदि से संबंधित शैक्षिक जानकारी उसका पाठ्यक्रम, अवधि, वांछित योग्यता, कोचिंग संस्थान कहाँ है, तथा संपर्क के वैब एड्रेस, शुल्क, छात्रवृत्तियाँ, नौकरी के अवसर आदि की जानकारियाँ एक ही स्थान पर विस्तार से उपलब्ध कराई गई है।

ये सब इतना पर्याप्त है कि तीव्रगति के इस शैक्षिक ढाँचे में 10+2 के बाद विद्यार्थी अपने आपको कैसे समायोचित करे इसका समाधान अभिभावकों के लिए भी इस पुस्तक के माध्यम से राहत प्रदान कर सकता है।

पुस्तक की छपाई, गेटअप आकर्षक है। कम मूल्य में इतनी विस्तृत जानकारी एक जगह उपलब्ध करा देने के लिए साधुवाद।

समीक्षक : सत्यनारायण शर्मा
C/o मनीषा साड़ी सेन्टर,
मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर
मो : 9413278960

धरती के स्वर

लेखक : सी.एल. सांखला प्रकाशक : शब्दवन प्रकाशन, टांकरवाड़ा (कोटा) संस्करण : 2014 पृष्ठ : 48 मूल्य : ₹75

भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने के लिए समयानुकूल भारत में युवा व प्रौढ़ वर्ग के लिए कवि सम्मेलन, नाटक प्रदर्शन, वृत्त चित्र एवं फिल्म का निर्माण किया जाता रहा है लेकिन विद्यालयी परिवेश में पल-बढ़ रहे बाल मन में राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र भक्ति का बच्चा डालने के लिए विद्यालयों में 26 जनवरी व 15 अगस्त के कार्यक्रमों में राष्ट्रीयता से सम्बन्धित कविताओं की प्रस्तुतीकरण की कमी खलती नजर आती है, इसी कमी की पूर्ति के लिए कवि सी.एल. सांखला ने अपनी पुस्तक 'धरती के स्वर' में राष्ट्र-प्रेम के बादल बरसाकर तन-मन को भिगोकर तर करने का सरसक प्रयास किया है।

समीक्षित कृति 'धरती के स्वर' सी.एल. सांखला की प्रथम कृति है। इस कृति में राष्ट्र-प्रेम से सम्बन्धित 31 कविताओं का समावेश है। सम्पूर्ण काव्य संग्रह में बाल मन से ओत-प्रोत कविताएँ है।

देश के खातिर प्यार मोहब्बत अपनाकर स्वार्थ के झगड़ों को त्याग कर, हिल मिल कर रहने का संदेश प्रवाहित किया है कविता 'हर प्राण देश का है भाई' में। कविता 'मातृ कसम' में, देश के दुश्मन पर तीखा प्रहार करते हुए उनके नापाक इरादों को ललकारा है पढ़िए एक बानगी-

"कितनी भी साजिशें रचो तुम
बैठ के अपने अड्डों में
लेकिन अब तुम छिप न सकोगे
लेट के भीतर गड्ढों में"
"तेरी तोप तमंचों से हम
बिल्कुल ना डरने वाले
जान हथेली पर रखते
हम सीमा पर रहने वाले"

देश में स्वार्थ, हिंसा, आगजनी-पथराव, भोग विलास व ईर्ष्या के मकड़जाल से दूर अमन-चैन व सद्भाव के वातावरण पर चिन्तनीय अभिव्यक्ति दी है, कविता 'रोग' में तो जातिवाद के जहर को न उगलने का संकल्प दिलवाया है। कविता 'देश प्रेम का भाव अगर है' में-

देश का हर बाशिंदा अपना,

है अपने सिर का मोती,
रहे एकता कायम,
दमके अखिल विश्व में ज्योति।

आजादी के वीर सिपाही चन्द्रशेखर, भगतसिंह, तिलक, गोखले, सुभाष, गाँधी व नेहरु को याद किया है। 'स्वाधीनता दिवस' में तो वीर योद्धा जो सीमा पर हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं से रक्षा करनें एवं 'लाज बचा मेरे भारत की' में लाज बचाने का आह्वान बखूबी किया है। भावी कर्णधारों में देश भक्ति का जज्बा भरा है कविता 'देश की शान' में, वहीं मानव को हाड़-माँस के पुतले के रूप में प्रतिबिम्बित कर मानवता की सच्चाई को उजागर किया है कविता 'कौन?' में। देश की पावन धरा पर सूरज की चमक, भँवरों की गुंजन एवं नदियों की लहरों से शीतलता 'स्वतंत्रता की मिसाल' में भरी है।

विश्व में मेरा भारत परचम फहराए, वह किसी के आगे झुके नहीं, विश्व में सम्मान मिले, ऐसे भाव प्रस्फुटित हुए हैं 'देश का सम्मान चाहिए' कविता में। इस कविता में दुश्मन देशों पर शब्द रूपी तोप के गोले दागे हैं, तलवारें चली हैं एवं गोलियाँ बरसाई हैं।

रचनाकार सी.एल. सांखला ने लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे जैसे वीरों को; शिवाजी व राणा प्रताप जैसे फौलादी रणधीरों को; चन्द्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु जैसे दीवानों को; सुखदेव अशफाक जैसे परवानों को; भीमराव, महावीर, बुद्ध, विवेकानन्द, कबीर जैसे महापुरुषों को कविताओं में याद किया है। सांखला जी ने अपने काव्य में तन-मन-धन अर्पित कर स्वार्थ से ऊपर उठकर जन हित में साधना कर निज हित की परवाह न करते हुए अमन रूपी गंगा बहाकर सद्भावों की मूसलाधार वर्षा की है। कविता 'ऐसा देश हमारा' में। काव्य का मुखावरण व पृष्ठावरण देश भक्ति से ओत-प्रोत है। भाषा सरल है। पुस्तक का पेपर व मुद्रण अच्छा है। निःसन्देह सांखला जी की कविताएँ रुचिकर एवं उद्देश्यपूर्ण हैं।

समीक्षक : **सुशील निर्वाण**
'सुकवि निलय', आदर्श कॉलोनी,
बीकानेर रोड, सरदारशहर-331403, चूरू

दूसरों की निन्दा करके किसी को कुछ नहीं मिला, जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया।

रपट

राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता एवं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह

❐ मोहन गुप्ता 'मितवा'

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय' कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र 2016-17 में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न स्तरों पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता में प्रथम स्तर पर समस्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता 7 फरवरी को विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई और प्रथम विजेता छात्र-छात्राओं को 150 रुपये का पुरस्कार दिया गया।

द्वितीय स्तर पर 16 फरवरी को विद्यालय स्तर पर विजेता छात्र-छात्राओं की ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता की गई जिसमें जिला स्तर प्रतियोगिता हेतु चुना गया और ब्लॉक स्तर पर विजेता छात्र-छात्राओं को क्रमशः 350 व 250 रुपये प्रथम व द्वितीय का पुरस्कार दिया गया।

ब्लॉक स्तर पर चयनित छात्र-छात्राओं की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 21 फरवरी को आयोजित की गई। जिला स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को क्रमशः 500, 400 एवं 300 रुपये का पुरस्कार दिया गया।

जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर चयनित छात्र-छात्राओं की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिनांक 28 फरवरी को शिक्षा संकुल परिसर के जयपुर के राजीव गाँधी विद्या भवन में आयोजित की गई। राज्य स्तर पर आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में समस्त जिलों के चयनित 2 छात्र एवं 2 छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय छात्र एवं छात्राओं को (पृथक-पृथक) क्रमशः 5000, 4500 एवं 4000 रुपये राशि के चैक एवं प्रमाण-पत्र एक भव्य समारोह में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी के द्वारा प्रदान किए गए। राज्य स्तर पर विजेता छात्र-छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं -

(अ) छात्र वर्ग- प्रथम स्थान : श्री मनोज नायक, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, लालसिंहपुरा सींथल (बीकानेर)

द्वितीय स्थान : श्री यशवंत जांगिड़, कक्षा 8, राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय, धौली धेड़ (पाली)

तृतीय स्थान : श्री ताराचन्द रैगर, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुढ़ा कलां, भिनाय (अजमेर)

(ब) छात्रा वर्ग - प्रथम स्थान : सन्जू मेघवाल, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धनावा (बून्दी)

द्वितीय स्थान : रेणु कुमारी मीणा, कक्षा 8, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, निठार (भरतपुर)

तृतीय स्थान : ज्योति कुमारी लोधा, कक्षा 6, राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय झूलन खेड़ी (झालावाड़)

इसी प्रकार **'राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार'** में 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय' कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के कुल 70970 राजकीय विद्यालयों में से केवल 16,371 विद्यालयों ने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। लेकिन इनमें से भी केवल 13,216 विद्यालयों ने ही वांछित फोटो अपलोड किए। अपलोड किए गए आवेदनों का जिला एवं राज्य स्तरीय दलों द्वारा प्रमाणीकरण किए जाने के पश्चात् 40 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने की अनुशंसा की गई। इन

चयनित 40 विद्यालयों में 20 प्रारम्भिक शिक्षा के तथा 20 माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं। इनमें 3 प्राथमिक विद्यालयों को 20,000 रुपये के चैक एवं प्रमाण-पत्र प्रति विद्यालय, 17 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 25,000 रुपये के चैक एवं प्रमाण-पत्र प्रति विद्यालय दिए गए। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के 2 माध्यमिक विद्यालयों व 18 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 30,000 रुपये के चैक एवं प्रमाण-पत्र प्रति विद्यालय दिए गए। उक्त पुरस्कार भी माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी के द्वारा भव्य राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किए गए। पुरस्कृत विद्यालयों की सूची निम्नानुसार हैं।

इस राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह के प्रारम्भ में श्री गिरीश भारद्वाज, हाईजीन अधिकारी राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का विस्तार से परिचय प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वासुदेव देवनानी ने विद्यालयों में भौतिक, शैक्षिक एवं परीक्षा परिणामों के आधार पर विद्यालयों की स्टार रेटिंग (यथा 3 और 5 स्टार) तथा राज्य मे शिक्षा के उन्नयन के किए जाने वाले अन्य विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री नरेश पाल गंगवार, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा ने विजेता छात्र-छात्राओं और संस्था प्रधानों को बधाई देते हुए अन्य छात्र-छात्राओं को प्रेरणा लेने हेतु आग्रह किया। समारोह के विशेष अतिथि श्री जोगाराम, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् थे। उक्त समारोह में यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ श्रीमती सुलगना राय ने चयनित स्वच्छ विद्यालय हेतु 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दिए जाने की सहमति प्रदान की जिसे उक्त सभी 40 विद्यालयों में एस.एम.सी./ एस.डी.एम.सी. के खातों में स्थानान्तरित की जाएगी।

आशा है सरकार का यह कदम राज्य के बालक-बालिकाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति वातावरण निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा।

राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त विद्यालयों की सूची :-

(अ) प्रारम्भिक शिक्षा

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	जिला
1	रा.उ.प्रा.वि. तीतरी	भीम	राजसमन्द
2	रा.उ.प्रा.वि. श्रीमती राधा बंजवाड़िया, तिंवरी	तिंवरी	जोधपुर
3	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मनोहरथाना जावर	मनोहरथाना	झालावाड़
4	रा.उ.प्रा.वि. 66 एल.एन.पी.	पदमपुर	श्रीगंगानगर
5	रा.उ.प्रा.वि. गोठमहुड़ी	आसपुर	डूँगरपुर
6	रा.बा.उ.प्रा.वि. 10 बी.एल.एम.	श्रीविजयनगर	श्रीगंगानगर
7	रा.प्रा.वि. बरावट	धौलपुर	धौलपुर
8	रा.उ.प्रा.वि. अभयपुरा	तारानगर	चूरू
9	रा.उ.प्रा.वि. अजबारा	सराड़ा	उदयपुर
10	रा.आ.उ.प्रा.वि. खरखड़ा	अरनोद	प्रतापगढ़
11	रा.प्रा.वि. दराफला	ऋषभदेव	उदयपुर
12	रा.उ.प्रा.वि. बलिया	तारानगर	चूरू
13	रा.उ.प्रा.वि. बहादुरपुर,मसूदा	दौलतपुरा	अजमेर
14	रा.बा.उ.प्रा.वि. बड़ा नया गाँव	हिंडौली	बून्दी
15	कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, झझु	कोलायत	बीकानेर
16	रा.बा.प्रा.वि. नवीन ज्योति नगर	जयपुर पश्चिम	जयपुर
17	रा.उ.प्रा.वि. प्रेम नगर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
18	रा.उ.प्रा.वि. सुण्डा खेड़ा	सहाड़ा	भीलवाड़ा
19	रा.उ.प्रा.वि. मालाखेड़ा गेट	उमरैन	अलवर
20	राजकीय कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय लाखेरी	के.पाटन	बून्दी

(ब) माध्यमिक शिक्षा

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	जिला
21	रा.मा.वि. संस्कृत, बोरावास	बालोतरा	बाड़मेर
22	रा.उ.मा.वि. दूनी	देवली	टोंक
23	रा.बा.मा.वि. भूणास	सहाड़ा	भीलवाड़ा
24	रा.आ.उ.मा.वि. हीरा की ढाणी	गिडा	बाड़मेर
25	रा.उ.मा.वि. अजेता	बून्दी	बून्दी
26	स्वामी विवेकानन्द रा.मॉ.वि. ब्लॉक रायपुर	रायपुर	भीलवाड़ा
27	रा.आ.उ.मा.वि. मदारिया	देवगढ़	राजसमन्द
28	रा.आ.उ.मा.वि. नापासर	बीकानेर	बीकानेर
29	रा.उ.मा.वि. सिंघासन	पीपराली	सीकर
30	रा.उ.मा.वि. परतापुर	गढ़ी	बांसवाड़ा
31	रा.आ.उ.मा.वि. जीवाना	सायला	जालोर
32	रा.उ.मा.वि. मण्डावर	झालरापाटन	झालावाड़
33	रा.उ.मा.वि. नारौली डांग	सपोटरा	करौली
34	रा.आ.उ.मा.वि. डाबड़ी	भादरा	हनुमानगढ़
35	रा.आ.उ.मा.वि. कुड़की	जैतारण	पाली
36	रा.उ.मा.वि. अमर शहीद सागरमल गोपा, जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर
37	रा.उ.मा.वि. छापर, वार्ड नं.4	सुजानगढ़	चूरू
38	रा.बा.उ.मा.वि. रावतभाटा	भैंसरोड़गढ़	चित्तौड़गढ़
39	रा.बा.उ.मा.वि. छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	प्रतापगढ़
40	रा.उ.मा.वि. गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	सवाई माधोपुर

मितवा स्टूडियो नाहरगढ़ रोड, जयपुर-01
मो: 9414265628

शाला प्रांगण से

स्वेटर वितरण

रा.मा.वि. तुलसियों का नामला, सह. सलूम्बर, उदयपुर में श्री सोहन बाई उषा बावेल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 14,000 रु. के 100 स्वेटर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को तथा मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 5,000 रु. के 30 स्वेटर उ.प्रा. कक्षा की जरूरतमंद बालिकाओं को वितरित किए गए। संस्थाप्रधान श्रीमती कपिला कंठालिया की प्रेरणा से जनजातीय व आदिवासी इलाके में उदयपुर की संस्थाओं द्वारा सेवार्थ कार्य किया गया, परिणामस्वरूप अनियमित व अनुपस्थित छात्र/छात्राओं का विद्यालय आगमन हुआ। एक समान गणवेश से विद्यार्थियों के साथ शाला स्टाफ भी उत्साहित हुआ।

डिवार्मिंग डे पर मटकी एल्बेंडाजोल की गोली

रा.उ.प्रा. वि. सिणधरी (छात्र) जिला बाड़मेर में 10 फरवरी 2017 को भारत स्काउट गाइड दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस (15 फरवरी) के प्रथम चरण में 390 विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई। इससे पूर्व शा.शि. रतनसिंह डांगी ने बताया कि इस गोली को खाने से पेट में उत्पन्न कीड़ों का नाश कर ये हमें स्वस्थ बनाती है। 450 नामांकन वाले विद्यार्थियों में से शेष को 15 फरवरी को गोली खिलाई जाएगी। इस अवसर पर सतपाल सिंह, कमलेश कुमार, अमिता चौधरी, दमयन्ति चौधरी, ममता व मीना शर्मा ने स्काउट दल का सहयोग किया।

फर्नीचर व कक्षा कक्ष सैट

रा.आ.उ.मा.वि. करणीसर भादियान (बीकानेर) को कार्यालय हेतु लोहे की अलमारी तीन कुर्सियाँ लागत- 7,000/- भामाशाह श्री जफर अहमद व्याख्याता (इतिहास) ने संस्था प्रधान को सहर्ष सैंट की। संस्था प्रधान श्री अहमद ने तहेदिल से आभार व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रा.उ.मा.वि. मुआना (नागौर) में गाँव के जन सहयोग से 10 डेस्क जिसकी अनुमानित लागत 11,000 रु. प्राप्त हुई। संस्थाप्रधान ने जनसहयोगी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विशेष प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर shalapraangan.shivira@gmail.com पर भिजवाकर सहयोग करें। -वरिष्ठ संपादक

रा.उ.मा.वि. रोटांवाली, सादुलशहर (श्रीगंगानगर) में श्रीमती द्वारकी देवी ने अपने पति स्व. श्री गुलाबचन्द जी की स्मृति में 22×27 फीट का एक कक्षा-कक्ष मय बरामदा बनाकर शाला को सुपुर्द किया। कक्ष के लोकार्पण समारोह पर भामाशाह द्वारकी देवी के पुत्र अशोक कुमार भी उपस्थित रहे। कर विभाग के उपायुक्त श्री पृथ्वीराज मीणा, सादुलशहर SDM श्रीमती रीना छींपा (RAS), रसला के ADPC श्री वकील सिंह, शाला की व.अ. श्रीमती मंजूला गुप्ता एवं प्रधानाचार्य श्री रतन भटनागर ने भामाशाह को सम्मानित करते हुए आभार व्यक्त किया।

लोगो छपी जर्सियाँ शाला में वितरण

रा.आ.उ.मा.वि. भरणीकला, जहाजपुर भीलवाड़ा के प्रधानाचार्य श्री चांदमल चाट ने बताया कि दिनांक 12 जनवरी 2017 को भरणीकला नि. एम.डी. शर्मा सेक्यूरिटी सर्विस, भीलवाड़ा के भामाशाह श्री राधेश्याम सनाढ्य द्वारा शाला की कक्षा एक से बारह तक समस्त 300 छात्र-छात्राओं को गर्म जर्सियाँ वितरित की गई जिन पर विद्यालय का लोगो छपा हुआ है। शाला परिवार ने भामाशाह श्री सनाढ्य का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए तहेदिल से आभार व्यक्त किया।

पेन्टिंग, आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्रदर्शनी

स्वामी विवेकानन्द रा. मॉडल स्कूल, सिवाना, बाड़मेर में जिला स्तरीय पेन्टिंग, आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्रदर्शनी का दिनांक 15.12.2016 को शानदार आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में बाड़मेर जिले की चूली (बाड़मेर), देवाणी (शिव), पचपदरा (बालोतरा), चौहटन एवं सिवाना की मॉडल स्कूलों ने भाग लिया। पेन्टिंग सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान गरिमा (बालोतरा) व जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान सिवाना के राहुल ने प्राप्त किया। आर्ट एण्ड क्राफ्ट में चसोदा चांगिड़ व (दक्षा) सिवाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को सिवाना प्रधान श्रीमती गरिमा राजपुरोहित ने पुरस्कार वितरण करते हुए कहा कि फाईन आर्ट एक बेहतरीन केरियर फिल्ड है। प्रधानाचार्य पीताम्बर धीर ने तालिम के साथ हुनर से अपनी पहचान में चार चाँद लगाने की बात कही। उत्कृष्ट प्रदर्शन व भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शाला के ही वरिष्ठ अध्यापक श्री ईसरराम पंवार ने किया।

दो दिवसीय तकनीकी भ्रमण सम्पन्न

श्री खेताजी धन्नाजी राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दादाई (पाली) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जोधपुर के सौजन्य से विद्यालय में दो दिवसीय तकनीकी भ्रमण कार्यक्रम का 'जोधपुर भ्रमण' में आयोजित किया गया। छात्रों ने तकनीकी भ्रमण में जोधपुर के वैज्ञानिक स्थलों का भ्रमण कर अवलोकन किया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य पुखराज देवासी ने बताया कि कल्पना चावला विज्ञान क्लब दादाई के अध्यक्ष दिनेश सैनी एवं कार्यक्रम समन्वयक व सचिव भरत शर्मा के दिशा निर्देशन में प्राणी सर्वेक्षण विभाग, सरस डेयरी, केन्द्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान (काजरी,) माचिया जैविक पार्क, राजस्थान पत्रिका कार्यालय, क्षेत्रीय विज्ञान सेन्टर, पब्लिक पार्क, उम्मेद भवन व मेहरानगढ़ का भ्रमण किया। दल ने प्राणी सर्वेक्षण विभाग व क्षेत्रीय विज्ञान सेन्टर के सभा भवन में रेगिस्तानी वन्य जीव, कल्पना चावला वृतचित्र व मंगलयान फिल्म भी देखी। ग्रामीण अंचल के छात्र-छात्राएँ विभिन्न स्थलों को देखकर अभिभूत हुए। दल में शिक्षक रमेश रणावत, रमेश मीणा व श्रीमती कलावती शर्मा भी साथ थे। भ्रमण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परियोजना समन्वयक केसर सिंह राजपुरोहित, चन्द्रशेखर मेहरा व डॉ. पूनम सिंह चौगिड़ का भी सहयोग रहा। दल में 53 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

'साहित्य रथ' की झाँकी

रा. महारावल उ.मा.वि. डूँगरपुर की प्रधानाचार्या दीपिका द्विवेदी ने बताया कि शहर में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह में शाला की ओर से झाँकी का प्रदर्शन किया गया। इस झाँकी का मॉडल 'साहित्य रथ' के रूप में प्रदर्शित किया गया जो न केवल डूँगरपुर में भारत वर्ष में यह अनूठा व प्रथम प्रयास है। शाला प्राचार्य ने बताया कि इससे नई पीढ़ी पुरानी समृद्ध साहित्य परम्परा से साक्षात्कार कर सकेगी व हिन्दी भाषा व साहित्य के प्रति सकारात्मक रुचि जाग्रत होगी। इस 'साहित्य रथ' को 'प्रयास' नामक अन्तर्राष्ट्रीय ई-पत्रिका के मुख्य आवरण पर स्थान दिया गया है।

संकलन : नारायण दास चौनगर

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

कचरा उठाने वाला रोबोट बनाया

कोलकाता–कोलकाता में पहली बार आयोजित होने वाले विश्व रोबोट ओलंपियाड के नेशनल चैम्पियनशिप का थीम 'रैप द स्क्रैप' रखा गया है। इसमें देशभर के होनहार प्रबंधन और निस्तारण में सक्षम रोबोट की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और इंडिया स्टेम फाउंडेशन करा रही है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमें 25 से 27 नवंबर के बीच नोएडा में होने वाले विश्व रोबोट ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 55 देशों के करीब 2000 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की संभावना है।

रोबोट इकट्ठा करेंगे घर का कचरा : चेंबुर, मुंबई के विवेकानन्द प्राइमरी स्कूल के नौ वर्षीय छात्र शार्दुल सचिन की टीम ने यंत्रीकृत डिस्पोजेबल प्रणाली के तहत तीन रोबोट बनाए हैं, जो लोगों के घर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगे और उसे रिसाइकल के लिए भेजने से पहले छंटनी भी करेंगे ताकि अलग प्रकृति के कचरे का उचित ढंग से निस्तारण हो सके। शार्दुल का कहना है, लोगों को पता ही नहीं कि 60 फीसदी घरेलू कचरे को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्मार्टफोन की बैटरी की उम्र 30 फीसदी बढ़ेगी

न्यूयॉर्क: नई तकनीक से लीथियम से बनने वाली स्मार्टफोन की बैटरी का उत्पादन तो सस्ता होगा ही, साथ ही चार्ज होने के बाद इसकी उम्र भी 30 फीसदी तक बढ़ जाएगी। कोलंबिया इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रो. युआन यांग ने तीन परतों वाली संरचना का निर्माण किया है। इससे बनी बैटरी चार्ज होने पर ऊर्जा का क्षरण नहीं होने देती।

मुट्ठी भर मेवे दिल की बीमारी से दूर रखें

लंदन: मेवों की पौष्टिकता से सभी परिचित हैं, लेकिन शायद ही किसी को अनुमान होगा कि वे दिल के दौरे और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जोखिम भी कम कर सकते हैं।

29 अध्ययनों का निष्कर्ष: एक नए अध्ययन से पता चला है कि रोजाना कम से कम 20 ग्राम यानी मुट्ठी भर सूखे मेवे खाने से दिल की बीमारी, कैंसर और अकाल मौत का खतरा कम हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि नियमित रूप से मेवे खाने से श्वसन संबंधी बीमारियों और मधुमेह से मौत होने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। यह अध्ययन इंपीरियल कॉलेज लंदन, नार्वे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है।

मीठा कागज पानी से बैक्टीरिया दूर करेगा

टोरंटो: कनाडा में भारतीय मूल के शोधकर्ताओं के एक दल ने चीनीयुक्त कागज की एक विशेष पट्टी विकसित की है, जिसके जरिये पानी से हानिकारक बैक्टीरिया दूर किया जा सकता है।

शोधकर्त्ताओं का कहना है कि इससे भारत समेत दुनियाभर के खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रदूषित पानी से ई कोलाई बैक्टीरिया को खत्म किया जा सकेगा। इस विशेष पट्टी को 'डिपट्रीट' नाम दिया गया है। यॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ता सुशांत मित्रा ने कहा कि उनकी खोज 'डिपट्रीट' दुनियाभर में स्वास्थ्य लाभों के साथ नई पीढ़ी के किफायती और आसानी से कहीं लाए-ले जाए जाने लायक उपकरणों के विकास के लिए अहम होगी। डिपट्रीट यॉर्क्स लैसोंडे स्कूल की माइक्रो एंड नैनो स्केल ट्रांसपोर्ट लैब के शोधकर्त्ताओं का नवीनतम आविष्कार है। यह दरअसल एक नवोन्मेष है। इससे पहले यह लैब एक सचल जल किट का इस्तेमाल कर प्रदूषित पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया का पता लगाने की विधियाँ खोज चुकी है। मित्रा ने कहा, हम अध्ययन करके यह जान चुके हैं कि डिपट्रीट की मदद से पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया का पता लगाने, उसे पकड़ने और खत्म करने में दो घंटे से भी कम समय लगेगा। प्रदूषित पानी के नमूनों में डिपट्रीट को डुबोकर हम लगभग 90 प्रतिशत बैक्टीरिया को प्रभावी तरीके से खत्म करने में सफल हो चुके हैं।

संतुलित नींद न लेने वाले पुरुषों में कैंसर का खतरा

बीजिंग : रात्रि पाली में काम करने के बाद दिन में अच्छी नींद नहीं लेने वाले पुरुष या रात में दस घंटे से अधिक सोने वाले लोग सावधान हो जाएँ। कम और ज्यादा सोना, दोनों खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में दावा किया है कि कम या ज्यादा सोने से पुरुषों को कैंसर का खतरा अधिक रहता है।

चीन के हुआझोंग विज्ञान एवं तकनीक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 27 हजार से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का साक्षात्कार कर आंकड़े जुटाए और समीक्षा की। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि असंतुलित नींद से पुरुषों को कैंसर होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है।

तीन आदतों का अध्ययन: शोधकर्त्ताओं ने सोने की तीन आदतों और कैंसर के बीच संबंध स्थापित किया। इसमें रात्रि पानी में काम करना, दिन में न सोना और रात में दस घंटे से अधिक सोने वालों पर अध्ययन किया गया।

नई जीन थेरेपी से कैंसर का इलाज

वाशिंगटन: अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नई स्टेम सेल जीन थेरेपी विकसित की है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक देता है। इससे खराब जीनों को स्वस्थ जीनों से बदला जाता है। यह आनुवांशिक बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम है।

वॉशिंगटन स्टेट विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने इसके लिए एक फोमी रिट्रोवायरस से एक वेक्टर विकसित किया। यह मेजबान जीनोम में नए व स्वस्थ जीन को प्रवेश कराने का काम करता है और जीन थेरेपी की प्राकृतिक पसंद हैं। इस स्टेम सेल जीन थेरेपी का सफल प्रयोग नवजात बच्चों में जीवन के लिए खतरनाक प्रतिरक्षा की कमी के उपचार में किया गया।

संकलन : **नारायण दास जीनगर**

श्रीगंगानगर

रा.उ.मा.वि, 78 G.B. तह. अनूपगढ़ को से.नि. प्रधानाचार्य श्री रामरतनलाल कुमावत से एक श्री इन वन एचपी प्रिंटर विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत- 13,000 रुपये। **रा.आ.उ.मा. वि. मालसर, तह. रायसिंहनगर** को श्री सुन्दरलाल गोयल मै. गोयल आयरन स्टोर जैतसर द्वारा 13,500 की लागत से R.O. विद्यालय को भेंट, श्री सतपाल शर्मा द्वारा विद्यालय की निर्धन व जरूरतमंद बालिकाओं को 20 विद्यालय गणवेश लागत- 11,000 रुपये। श्री दलीप राम जंवर से एक लेजर प्रिंटर विद्यालय को भेंट जिसकी लागत 13,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि. चक महाराजका** को श्री राधेश्याम, श्याम मुरारी, राजेन्द्र कुमार, सुभाष चन्द्र व प्रेम कुमार द्वारा अपने स्व. पिता निहालचन्द शर्मा एवं माता स्व. श्रीमती सुमित्रा देवी की याद में विद्यालय के मुख्य द्वार के द्वार स्तंभों का निर्माण करवाया गया, जिसकी लागत 50,000 रुपये, स्व. सरदार बलवन्त सिंह एवं स्व. सरदार बसंत सिंह सिद्धू की याद में उनके परिवार ने विद्यालय में अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक का निर्माण करवाया जिसकी लागत 25,000 रुपये व विद्यालय में जन सहयोग से 51 लोहे के स्टूल प्राप्त हुए। **रा.मा.वि. ऐटा, तह. सूरतगढ़** को विद्यालय स्टाफ की सहायता से 5 क्लास रूम टेबल प्राप्त हुए जिसकी लागत-4,100 रुपये, श्री धर्मपाल वर्मा (व.अ. अंग्रेजी) से एक पंखा प्राप्त हुआ जिसकी लागत 1,650 रुपये। **रा.आ.उ.मा.वि. सिंगरासर** को स्थानीय भामाशाहों से 16 प्लास्टिक कुर्सियाँ जिसकी लागत 6,400 रुपये, एक अलमारी जिसकी लागत 5,200 रुपये तथा 8 पंखे जिसकी कीमत 12,000 रुपये।

चूरू

रा.आ.उ.मा.वि. नेठवा को श्री रावताराम मेघवाल से एक सरस्वती प्रतिमा लागत 51,000 रुपये, श्री रामधन बागोरिया से 51 टेबल स्टूल लागत 51,000 रुपये, श्री पन्नालाल बागोरिया से वाटर-कूलर एक लागत 45,000 रुपये, श्री रोताश प्रजापत से स्वेटर वितरण लागत-25,000 रुपये, श्री भंवरलाल ठेकेदार से ड्यूल डेस्क विद्यार्थियों हेतु लागत 21,000 रुपये, श्री लीलाधर बागोरिया से पंखा 2 व CCTV 2 लागत 12,000 रुपये, सर्वश्री गणेशा राम बागोरिया, खींवाराम घोटड़, मनसाराम द्वारा एक-एक दरी (15×18) तथा प्रत्येक की लागत 10,000 रुपये, श्री बीरबल राम से एक दरी जिसकी कीमत, 9,000 रुपये, श्री धर्मपाल ज्याणी से एक पंखा, CCTV एक लागत 6,500 रुपये, श्री ओंकार दास स्वामी से CCTV एक जिसकी लागत 5000 रुपये, श्री भगतसिंह ज्याणी से एक अलमारी जिसकी लागत 4,500 रुपये, श्री सुनील भाकर से 11 दरी पट्टी लागत 4,200 रुपये, श्री मोहन लाल बागोरिया से एक अलमारी लागत 4,000 रुपये, श्री सुल्तान राम बागोरिया से 8 कुर्सी लागत 3,200 रुपये, श्रीराम कुमार ज्याणी से 2,100 रुपये नकद, श्री माधोसिंह राजपूत से दो पंखे लागत 2,100 रुपये, सर्व श्री खिंवण दास, हेतराम नोखवाल से प्रत्येक से 4-4 कुर्सी जिसकी प्रत्येक की लागत 1,600 रुपये, श्री पुरखा राम खिचड़ से 2 कुर्सी लागत 800 रुपये। **शहीद बजरंगलाल आ.रा.उ.मा.वि. सुलखनियाँ बड़ा तह. राजगढ़** में सेठ श्री निशान्त कुमार राजगढ़िया द्वारा

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। **-वरिष्ठ संपादक**

हमारे भामाशाह

दो कक्षाकक्ष जिसका आकार (27×20) का निर्माण करवाया साथ ही 120 मेज-स्टूल विद्यालय को भेंट। **रा.उ.मा.वि. रणसीसर, तह. सरदार शहर** में श्री रामनिवास बारुपाल द्वारा सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 31,000 रुपये, श्री लूणा राम डूडी द्वारा प्रधानाचार्य कक्ष की मरम्मत व रंग-रोगन करवाया जिसकी लागत 21,000 रुपये, ग्राम वासियों द्वारा प्रार्थना स्थल का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 1,50,000 रुपये, जाट समाज भींयासर व रणसीसर द्वारा 141 फर्नीचर सेट विद्यालय को सप्रेम भेंट, श्री रामसिंह पूनिया द्वारा प्रोजेक्टर विद्यालय को दिया जिसकी लागत 10,000 रुपये। **रा.उ.मा.वि. रतननगर** को के.सी. सोनी द्वारा कक्षा 1 से 12 तक प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को 1500/- रुपये की राशि के गोल्ड एवं सिल्वर मेडल प्रदान किए गए साथ ही विद्यालय को 42,000 रुपये की राशि का एक लेपटॉप, एक प्रिन्टर व स्पीकर प्रदान किए गए।

रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार।
रहिमन फिरि फिरि पोइए टूटे मुक्ताहार।।

शहीद विनोद कुमार रा.उ.मा.वि. हरपालू, तह. राजगढ़ में श्री मीर सिंह पूनिया द्वारा अपने माता-पिता की स्मृति में जल मंदिर का निर्माण (वाटर कूलर सहित) करवाकर भेंट किया जिसकी लागत 65,000 रुपये। **रा.मा.वि. ढाढरिया चारनान** को श्री बनवारी लाल जांगिड़ द्वारा NEXT TECH कम्पनी का स्मार्ट क्लास हेतू 1.5 लाख रुपये की लागत का स्मार्ट बोर्ड विद्यालय को सप्रेम भेंट। श्री कमल रूहेला द्वारा सत्र आरम्भ में विद्यालय में विद्यार्थियों को टाई, बेल्ट, जूते, मोजे एवं बेज प्रदान किए जिनकी लागत 75,000 रुपये, श्री नानूराम द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल बैग दिए जिसकी लागत 40,000 रुपये। सहायक निदेशक मण्डल उप निदेशक चूरू के श्री ओम फगेड़िया ने इस विद्यालय को गोद लेकर प्रेरणा स्रोत बनें। **रा.उ.मा.वि. थिरपाली, बड़ी, तह. राजगढ़** को श्री बलवीर पूनिया फौजी से 10 प्लास्टिक कुर्सियाँ लागत 6,000 रुपये व एक पंखा जिसकी लागत 1,500 रुपये, श्री दलीप लाम्बा से एक प्रिंटर लागत 12,000 रुपये, सर्वश्री सुमेर सिंह डीलर, समशेर सिंह सांगवान, सुबेदार रिछपाल पूनियां, सरपंच पेमाराम से प्रत्येक से एक-एक पंखा प्रत्येक की लागत 1,500 रुपये प्राप्त हुए, श्री आशाराम जांगिड़ से दो पंखे जिसकी लागत 3,000 रुपये, इंफोसिस कम्पनी जयपुर से 07 कम्प्यूटर सेट जिसकी लागत 1,75,000 रुपये जनसहयोग से कक्षा-कक्ष व बरामदा का निर्माण (34×24) करवाया गया जिसकी लागत 8 लाख रुपये, श्री पवन कुमार मीणा (व.अ.) से 40 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर जिसकी लागत 4,000 रुपये, समस्त विद्यालय स्टाफ द्वारा वाटर फिल्टर मशीन R.O. लागत 20,000 रुपये, श्री पन्नालाल देवना से 11 दरी चटाई लागत 2269 रुपये। **रा.उ.मा.वि. रतनादेसर** में स्व. चेतनराम मूलाराम नाई की याद में ट्यूबवैल का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 25,000 रुपये, श्री गौरव व श्रीमती सुरभि गुप्ता द्वारा 21 फर्नीचर लागत 21,000 रुपये, सर्वश्री भोमसिंह, श्रीमती साधना अग्रवाल (प्रधानाचार्य), गिरधारी लाल स्वामी राम किशोर (व.अ), भींवाराम खुडीवाल से प्रत्येक 5-5 फर्नीचर तथा प्रत्येक की लागत 5,100 रुपये, सर्व श्री सुरेन्द्र सिंह, किशनलाल (व.अ.), बाबू लाल (अ.), अमरदास, भगवान सिंह, ओमसिंह, पूर्णमल नाई, शक्ति सिंह से प्रत्येक से 2-2 फर्नीचर तथा प्रत्येक की लागत 2,100 रुपये।

लगातार आगामी अंक में....

संकलन- रमेश कुमार व्यास

शिविरा पत्रिका (मासिक) : अप्रैल, 2017 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : प्रकाश चन्द जाटोलिया, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

सृजन के आयाम

शिक्षा का एक उद्देश्य बालक-बालिकाओं में अन्तर्निहित सृजनात्मक क्षमता को प्रस्फुटित कर उनका विकास करना है। इसी के साथ माननीया मुख्यमंत्री जी के आह्वानस्वरूप विद्यालयी शिक्षा में निरन्तर गुणात्मकता हेतु प्रयास जारी हैं। शिक्षा में यह सृजन लेखन, क्रीड़ा, नृत्य, संगीत, भाषण, चित्रकला आदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। इन सृजनाओं को साकार रूप देने तथा इनमें सतत श्रीवृद्धि करते हुए विद्यार्थी को इनके शीर्ष तक पहुँचाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न प्रवृत्तियों का संचालन किया जाता है, इनमें एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है-**विद्यालय पत्रिका** का प्रकाशन। विद्यालय-महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान हमने ऐसे प्रकाशन न केवल देखें हैं, अपितु बहुतों को उनमें छपने का गौरव भी मिला होगा।

अपने नाम के साथ चंद लाइनें किसी पत्र-पत्रिका में छपी हुई देखकर मिलने वाले सुख की अनुभूति सहज ही में कर सकते हैं। सच तो यह है कि आज के दौर में स्थापित बड़े से बड़े लेखक एवं साहित्यकार के लेखन की शुरुआत विद्यालय पत्रिका (भित्ति पत्रिका सहित) से प्रेरणा पाकर ही हुई होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बड़े से बड़े खिलाड़ी के खेल की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय के क्रीड़ांगन और वहाँ के अध्यापक की देखरेख में हुई कही जाती है। शिक्षा व्यवस्था में यद्यपि नियमित तथा गैरनियमित दोनों श्रेणियों में रहकर पढ़ने की सुविधा होती है तथापि सृजन का सुख तथा सृजन के बलबूते पर आगे बढ़ने का अवसर केवल और केवल शिक्षण संस्थाओं के प्रांगण, कक्षाकक्षों में हो रही साधना, गुरुजन के सामीप्य एवं सहपाठी भैया-बहिन के साथ होने वाले संवाद के समग्रमिश्रण से ही मिल सकता है। विद्यालय और विद्यार्थी का विरल संयोग संसार में संस्कार की स्थापना करता है और इस संयोग संस्कार-यज्ञ के प्रमुख पुरोहित गुरुजन होते हैं।

मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के विद्यालयों में इन सब प्रवृत्तियों पर सुनियोजित ध्यान दिया जाए। सत्र 2016-17 में विद्यालयों से कक्षा 12वीं, 10वीं एवं 8वीं के सीनियर विद्यार्थी परीक्षा-पर्व को मना कर निवृत हो गए हैं। कक्षा 10 एवं 8 के विद्यार्थियों को अगली कक्षा यथा 11वीं एवं 9वीं में अस्थाई प्रवेश देकर शिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पहले के इस महत्त्वपूर्ण समयखण्ड में विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के सृजनात्मक पक्ष को निखारने के लिए उन्हें प्रिय लगने वाली प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाए। ये कदम प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'उत्कृष्टता के लिए प्रतिस्पर्धा' (Competition for Excellence) में अपना उच्चतर स्थान बनाने में नींव के पत्थर साबित होंगे।

आज की पीढ़ी के हम लोग कल नहीं रहेंगे, यह प्रकृति का विधान है। सब भूतपूर्व हो जाएँगे मगर अभूतपूर्व कार्य कभी भूतपूर्व नहीं होते और सच तो यह है कि असाधारण-अभूतपूर्व कार्य उन्हें मूर्त रूप देने वाली पीढ़ी और व्यक्तियों की याद दिलाते रहते हैं। ये उनके कदमों के निशान होते हैं जो यह बताते हैं कि कभी ये महानुभाव इधर से गुजरे थे। ऐसी पीढ़ियाँ और व्यक्ति कभी मरते नहीं बल्कि अपने योगदान के बल पर चिरजिन्दा रहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और गुरुजनों से मैं यही चाहता हूँ कि वे सृजन की दिशा में कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाएँ। विद्यालयों के द्वारा अपनी वार्षिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के समाचार मुझे मिलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय इस बार अपनी वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करें। मुझे ऐसे प्रकाशनों का इंतजार रहेगा। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

'अपनों से अपनी बात' मेरा अपना स्तम्भ है जो पिछले 02 वर्षों से सतत प्रकाशित हो रहा है। आपके हाथों में 'अपनों से अपनी बात' का यह 21वां पुष्प शोभायमान है। ये मेरे हृदय के उद्गार है। मैं जैसा कहता हूँ, वैसा ही करना और करवाना चाहता हूँ। मेरी सोच है कि यह स्तम्भ एक-पथीय (Oneway) न रहकर द्वि-पथीय (Twoway) चलें। मेरी बात पर आपकी न केवल प्रतिक्रिया अपितु आपकी ओर से नूतन विचार भी मुझे आप सुझा सकते हैं।

अप्रैल माह वस्तुतः त्योहारों का माह है। रामनवमी, महावीर जयंती, सैन जयंती, परशुराम जयंती, अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे एवं बैशाखी इसी माह में है। महापुरुषों का जीवन प्रेरणा और उत्तम गुणों का उपाख्यान होता है। हमें इन गुणों को अपने स्वभाव एवं चरित्र का हिस्सा बना कर एक सुखी व संस्कारित समाज की संरचना में भागीदार बनना चाहिए।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

(प्रो. वासुदेव देवनानी)

सत्यमेव जयते

प्रो. वासुदेव देवनानी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा
एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

> "आज की पीढ़ी के हम लोग कल नहीं रहेंगे, यह प्रकृति का विधान है। सब भूतपूर्व हो जाएँगे मगर अभूतपूर्व कार्य कभी भूतपूर्व नहीं होते और सच तो यह है कि असाधारण-अभूतपूर्व कार्य उन्हें मूर्त रूप देने वाली पीढ़ी और व्यक्तियों की याद दिलाते रहते हैं। ये उनके कदमों के निशान होते हैं जो यह बताते हैं कि कभी ये महानुभाव इधर से गुजरे थे। ऐसी पीढ़ियाँ और व्यक्ति कभी मरते नहीं बल्कि अपने योगदान के बल पर चिरजिन्दा रहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और गुरुजनों से मैं यही चाहता हूँ कि वे सृजन की दिशा में कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाएँ।"

चित्र वीथिका-अप्रैल, 2017

'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रा.उ.प्रा.वि. धनावा, ब्लॉक हिण्डोली, जिला-बूँदी की छात्रा संजू मेघवाल को सम्मानित करते हुए माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. वासुदेव देवनानी, शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) श्रीमान् नरेशपाल गंगवार एवं उपस्थित कार्मिक व अन्य प्रतिभागी।

रा.मा.वि. बाड़िया चारणान (चूरू) में कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास का उद्घाटन एवं सम्बोधित करते हुए तत्कालीन चिकित्सा राज्यमंत्री श्रीमान् राजेन्द्र सिंह राठौड़, उपस्थित शिक्षाधिकारीगण एवं ग्रामीण।

स्वतंत्रता सैनानी स्व. श्री सांवता राम रा.आ.उ.मा.वि. सोलाना (झुन्झुनूं) में कक्षा 9 की 17 छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण। समारोह में उपस्थित एसडीएमसी सदस्य, अभिभावक, प्रधानाचार्य प्रतिभा नौलाखा व विद्यालय स्टाफ।

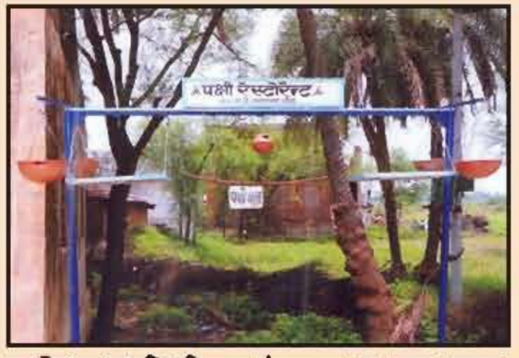

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगलपावास, तह.-रामगढ़ पचवारा, जिला-दौसा में पक्षी पालनार्थ व रक्षणार्थ निर्मित 'पक्षी रेस्टोरेंट व पक्षी झूला'।